खण्ड-318, अंक-10
शुक्रवार, 17 श्रावण, शक संवत् 1897
(8 अगस्त, 1975 ई0)

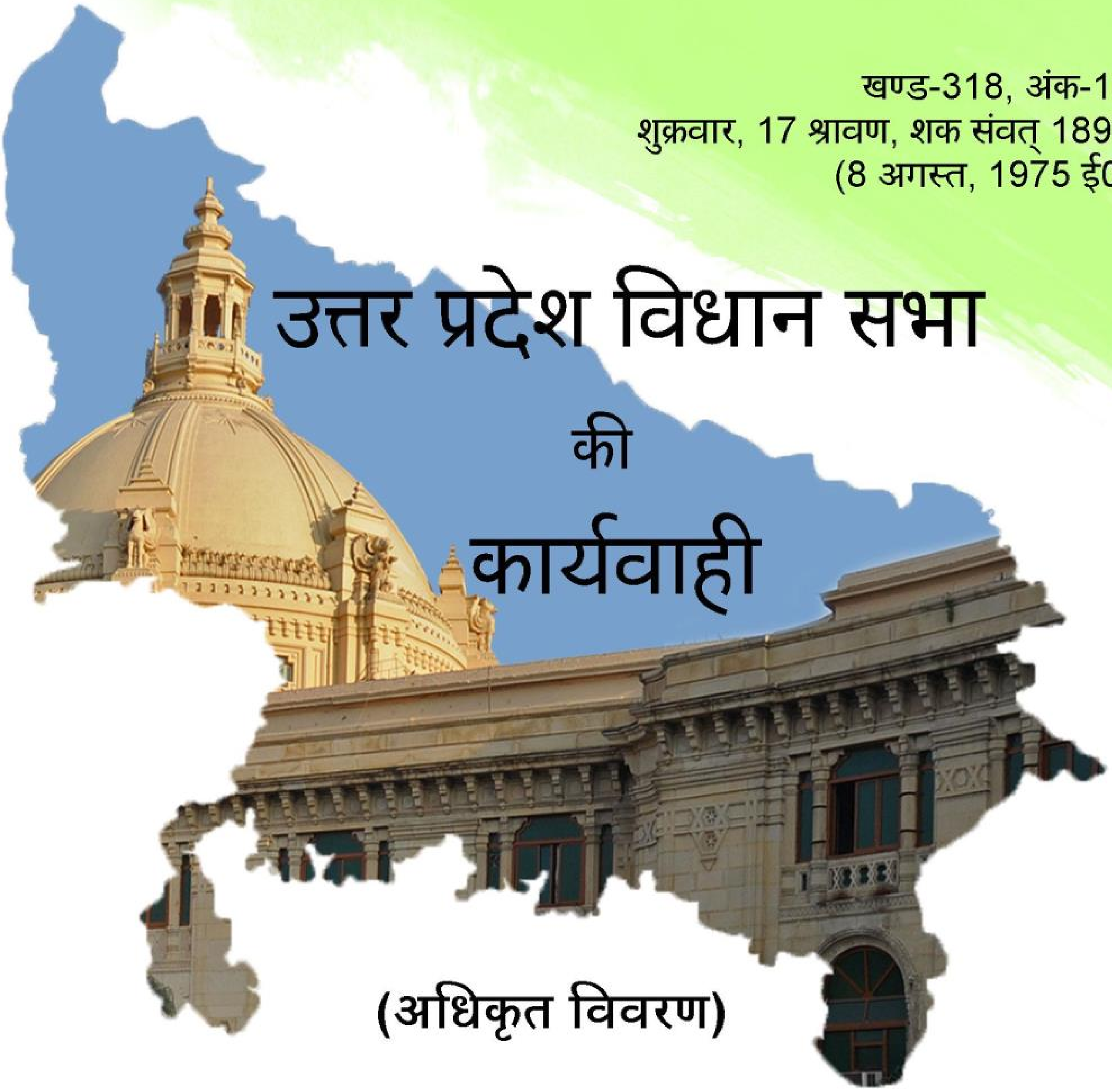

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 318 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1975

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	769-773
उत्तर प्रदेश विनियोग (1968-69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	773
उत्तर प्रदेश विनियोग (1969-70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	773
उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	773
सदस्यों द्वारा अपने दलों से त्याग-पत्र देने की सूचना	774
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	774
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों के उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 (पुरःस्थापित तथा पारित)	775-787
9 अगस्त, 1975 को सदन में 10 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होने की प्रार्थना ..	778
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 (पारित) ..	788-831
उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 (पारित)	831-847
प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा (जारी)	848-861

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 8 अगस्त, 1975

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—319

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील उर्फ जिमी मियां, श्री (एडवोकेट)
अनवार मोहम्मद, श्री
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
उमानाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री (जिला मुरादाबाद)
ओम प्रकाश गुप्त, श्री (जिला शाहजहांपुर)
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
का० मो० मुहीउद्दीन, श्री
काली चरण यादव, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतारसिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्णवीर सिंह, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगासिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गिरिजा शंकर पाठक, श्री
गुलाब चन्द्र, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री

विधान सभा उत्तर प्रदेश

गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह मेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (एडवोकट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर
चितरंजन स्वरूप, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंगबहादुर, श्री (मेहनगर, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री (जिला बाराबंकी)
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झाम लाल अहिरवार, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दधीच सिंह, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दल सिंह यादव, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नजु राम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निसार अहमद अन्सारी, श्री
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल, श्री (जिला मेरठ)
प्यारे लाल वर्मा, श्री (जिला एटा)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री

बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह यादव, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बादाम सिंह, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
बैजनाथ यादव, श्री
भगवत दयाल, श्री
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माखन लाल मिश्र, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद मसूद खां, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मुहम्मद हयात, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद रफी खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जूदेव", श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफी उल्ला, श्री
रमाकान्त द्विवेदी, श्री
रमा पन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राजबहादुर, श्री
राजबहादुर चन्द, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद दौनेरिया, श्री

राजेन्द्र शाह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दयाल सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नाथ, बाबा
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम प्रकाश यादव, श्री
राम बचन, श्री
राम बाबू, ,श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति बिन्द एडवोकेट, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिला इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
द्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नारायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
लोक पति, श्री
विजय कुमार, श्री
विजयपाल सिंह, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप भटनागर, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कुमारी दुबे, श्रीमती
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव प्रसाद, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति राम, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्रीशचन्द्र, श्री

सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सोहन लाल लाठ, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हुकम सिंह, श्री
हुब राज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट---स्वायत्त शासन मंत्री, श्री जगदीश शरण अग्रवाल भी उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1968-69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1968-69 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश विनियोग (1969-70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975

सचिव विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (1969-70 की बढ़ती व्यय का विनियमन) विधेयक, 1975 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 1975 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 7 अगस्त, 1975 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन†

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा (जिला कानपुर)---

मैं सभापति, विशेषाधिकार समिति, उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

सदस्यों द्वारा अपने दलों से त्याग-पत्र देने की सूचना

श्री अध्यक्ष--

अब हम सूचना देंगे ।

श्री काशी प्रसाद (जिला हमीरपुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष--

मुझे सदन को यह सूचित करना है कि जनसंघ दल के सदस्य, डाक्टर धर्मपाल सिंह (जिला फर्रुखाबाद) ने अपने दिनांक 5-8-1975 के पत्र द्वारा यह सूचित किया है कि उन्होंने जनसंघ पार्टी से त्याग-पत्र दे दिया है तथा भविष्य में वह एक निर्दलीय सदस्य के रूप में कार्य करेंगे ।

श्री काशी प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लोक दल की सदस्यता त्याग कर एक निर्दलीय सदस्य की हैसियत से कार्य करूंगा । मैं इस सम्बन्ध में आपकी अनुमति चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप नियमानुसार पत्र लिखकर भेज दें ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज की बैठक में यह संस्तुति की है कि सदन की आज की बैठक में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 सदन की अनुमति से पुरःस्थापित हो तथा उस पर विचार एवं उसका पारण हो । उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा (विधि) (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उनका पारण हो और आज कार्य समाप्त होने के पश्चात् पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा की जाये। समिति ने यह भी संस्तुति की है कि कल शनिवार, दिनांक 9 अगस्त, 1975 को सदन की बैठक 10 बजे पूर्वाह्न से प्रारम्भ होगी ।

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम जिसकी सूचना आज सदन को श्री अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमति प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम, जिसकी सूचना आज सदन को अध्यक्ष द्वारा दी गयी है, से सहमति प्रकट करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन्, यह स्पष्ट हो जाये कि कल सदन 10 बजे से प्रारम्भ होगा ।

श्री अध्यक्ष--

यह है । मैंने उसको पढ़ दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975

*वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 को पुरःस्थापित करता हूं।

(कुछ रुक कर)

श्रीमन्, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाये।

श्रीमन्, इस विधेयक के द्वारा यह प्राविधान किया जा रहा है कि सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निर्वहन कर सकें, इसलिये यह सुझाव है कि माननीय सदस्यों को टी० ए० और डी० ए० मिलाकर उनको 550 रु० दिया जाये। यह नयी व्यवस्था की जा रही है। यह इसलिये मान्यवर, किया जा रहा है कि क्षेत्रों में माननीय सदस्यों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गयी हैं और उन्हें अधिक दौरा करना पड़ता है। इसके अलावा मकानों की यहां पर कठिनाई हो रही थी। इसलिये जिन माननीय सदस्यों को मकान उपलब्ध न होने के कारण 90 रुपये मासिक मिलते थे उसको बढ़ाकर 150 रुपया करने का इसमें प्राविधान है ताकि वे किराये का मकान लेकर रह सकें। परिवार के सदस्यों को अभी तक कोई सुविधा नहीं थी, उनका भी इसमें प्राविधान किया गया है। इसमें सदस्यों के परिवार के अन्य सदस्यों को प्रदेश के बाहर और भीतर ले जाने के लिये भी व्यवस्था की जा रही है। इसमें सिर्फ इतना किया जा रहा है कि जब सदन यहां पर चले या सदन की समितियों की बैठक हो तो अगर उस समय कोई माननीय सदस्य अनुपस्थित रहेगा तो अनुपस्थिति के लिये उक्त भत्ते में से 15 रुपये प्रति दिन की कटौती की जायगी। सब मिलाकर इसमें अधिक व्यय नहीं हो पायेगा। जितनी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उसी के अनुरूप होगा। विरोधी दलों के सदस्यों ने भी इस सुझाव से अपनी सहमति दी थी।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो महिला सदस्यों के लिये किया है, उसको भी तो बता दीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

इस विधेयक में उनकी भी अटैन्डेन्ट की सुविधा दी जा रही है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, संसदीय मंत्री जी ने जो विधेयक आज सदन में प्रस्तुत किया है, और जिस तरीके से किया है, उसका मैं कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से विरोध करता हूं। (आवाजें—

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

आप न लीजिए) हां, नहीं लूंगा। आंख मूंद कर यह नहीं करना चाहिये। इसका अर्थ तो मैं यही समझता हूं कि आप लोग हल्ला मचाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही बेजा बात है। मेरी बात सुनिये, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कम्युनिस्ट पार्टी से कोई राय नहीं ली गई, न हमारे दल के नेता से ही कोई राय ली गई। कार्य-मंत्रणा समिति में हमारी पार्टी के जो माननीय सदस्य हैं, उन्होंने अपनी राय व्यक्त कर दी। इसलिये, श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से इसका विरोध कर रहा हूं।

विरोध 3 कारणों से करना चाहता हूं, कृपया उन्हें पहले समझ लीजिए। मान्यवर, पार्लियामेंट और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट रुपये के मामले में हमसे या पूरे देश से बहुत ज्यादा सक्षम है। अरबों खरबों रुपये का खजाना सेन्ट्रल गवर्नमेंट के पास है लेकिन इस तरह का विधेयक जिस तरह से माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने आज पेश किया है, मैं हिन्दुस्तान के इतिहास में कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रदेश की एसेम्बली के लिये कहना चाहता हूं, इस तरह का विधेयक न पार्लियामेन्ट में और न किसी भी माननीय विधान सभा में आज तक पास किया गया है। श्रीमन्, आप जनाते हैं कि जो विधेयक अभी हाल में पार्लियामेंट में पास हुआ है वह इस तरह का नहीं है, उसमें दूसरे तरीके हैं। मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी सभी सरकारों के सभी विधान सभाओं के विधेयकों को पढ़ लें, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का भी जो विधेयक है, उसको भी पढ़ लें, मैं इस बारे में कोई आलोचना नहीं करता हूं। पिछली बार 2-3 वर्ष पूर्व पार्लियामेंट में 2 बार संशोधन पेश किया गया था। उसमें पार्लियामेन्ट के सदस्यों को जो 30 या 31 रुपये डेली एलाउन्स मिलता था, उसको बढ़ाकर 51 रुपया कर दिया गया था और कुछ और फैसिलिटीज भी दी गई थीं।

माननीय बहुगुणा जी और माननीय तिवारी जी इस विधान सभा के बहुत पुराने सदस्य हैं और हम तो उस वक्त के सदस्य हैं जबकि हम लोगों को 10 रुपया प्रति दिन मिला करता था और 200 रुपये तनख्वाह मिला करती थी, उसको आपने बढ़ाकर 300 रुपये तनख्वाह और 150 रुपया क्षेत्रीय भत्ता कर दिया और 10 रुपये प्रति दिन के एलाउन्स के स्थान पर 25 रुपया कर दिया गया। यह जो सिलसिला चल रहा है यह हमें मुनासिब मालूम नहीं होता है। अगर आप कोई बात करते तो डेली एलाउन्स जो सदस्यों को आप देते हैं, उसको बढ़ा देते, क्षेत्रीय भत्ता जो मिलता है उसको बढ़ा देते या मकान का जो किराया मिलता था, उसको बढ़ा देते या अन्य कुछ फैसिलिटीज बढ़ा देते तो ज्यादा मुनासिब बात होती। इस तरह से श्रीमन्, एक तरफ लोग किस हालत में हैं। हमारे प्रदेश की आर्थिक हालत खराब है, कैसे एक हजार रुपया आप इकट्ठा कर रहे हैं सभी विधायकों के लिये? एक तरफ तो उनकी प्रापर्टी और हैसियत सब लेना चाहते हैं और अब सबके ऊपर उंगली उठवाना चाहते हैं इस प्रदेश की जनता की। इसलिये विरोध है। इस तरह का कहीं हिन्दुस्तान में नहीं हुआ। आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश कुछ उदाहरण प्रस्तुत करता है तो आज आप अच्छा उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसा न हो कि प्रदेश की जनता तो उंगली उठाये ही, पूरे देश की जनता उंगली उठाने लगे। इसलिये मैंने विरोध किया था। मैं बहुगुणा जी से बहुत नम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूं, संसदीय मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जिस कायदे से आपको बढ़ाना चाहिये उस तरह से बढ़ाइये। हम मानते हैं कि कार्यभार बढ़ गया है, लेकिन मैं उधर के माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक कहूंगा कि जब से इमरजेंसी हुई है आप बोलने के लिये भी खड़े नहीं होते। एक दिन 40 मिनट, एक दिन 2 घंटे असेम्बली चली। अगर यही कार्यभार बढ़ गया है तो मैं समझता हूं कि इसके लाने से कोई काम नहीं चलेगा। अभी समय है, भारत सरकार ने जिस तरह से रखा है उसके अनुरूप आप रखिये। कार्यभार बढ़ गया है इसमें शक नहीं, महंगाई है। साढ़े चार सौ रुपया बैंक का और इंश्योरेंस का चपरासी तनख्वाह पाता है, आप बढ़ा दीजिये, लेकिन जो तारतम्य है, जो स्वरूप है विधेयक का, उसको नष्ट मत कीजिये। आप पार्लियामेंट का मंगा लें और उसी चौखटे और तारतम्य के अन्दर रहकर इस काम को करें। साथ ही जब आप अपना बढ़ाते हैं तो असेम्बली में जो चपरासी हैं, गार्ड हैं उनको भी कुछ दे

सकते हों, तो दे दें। कहना सिर्फ इतना ही है कि उसी चौखटे में रहें जैसी कि पूरे देश में प्रथा है, उसी परिधि में जो करना चाहते हैं वह करिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री निर्भयनरायन सिंह (जिला बलिया)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से जो प्रस्तुत विधेयक है उस पर मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। पिछले सत्र में और इसके पहले सत्र में भी जब 1974 के इलेक्शन के बाद हम लोग यहां उपस्थित हुए तो इन्फ्लेशन, बढ़ी हुई कीमतें और विशेषकर पेट्रोल की कीमतों से विशेषकर विधान सभा के सदस्यों को कठिनाइयां उपस्थित हुईं। चाहे कोई किसी तरफ बैठता हो, प्रत्येक सदस्य दबा हुआ महसूस कर रहा था। दूसरी तरफ सरकारी नीतियां थीं कि खर्चा कम करो, जनता की सेवा ज्यादा करो, उससे हमारी उलझन बढ़ी हुई थी। जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, हमको यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में ऐसे-ऐसे प्रदेश हैं जहां 30–40 हजार जनता के बीच में एक एम0 एल0 ए0 चुना जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां कि 2 लाख 8 हजार के ऊपर एक एम0 एल0 ए0 चुना जाता है, कांस्टीट्युएंसीज बड़ी होती है, पापुलेशन बहुत है जिसके कारण जन-संपर्क में कठिनाई होती है। पेट्रोल की महंगाई ने इस कदर परेशान कर दिया है कि अगर फुल करायें जीप को तो डेढ़ सौ रुपया लगता है और उससे अपनी कांस्टीट्यूएंसी में 3 दिन घूम सकते हैं। 2 लाख 8 हजार जनता का प्रतिनिधित्व करना–पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़ दीजिये––मैदानी क्षेत्रों में तो कम से कम 30 मील लम्बे और 30 मील चौड़े प्रदेश को घूमना,पहाड़ों में तो डेढ़-डेढ़ सौ मील की बात है, लेकिन जो जन सम्पर्क हम पहले करते थे उसे उसी रूप में कायम रखना हमारे लिये कठिन हो गया है और सभी सदस्यों ने मिल कर, जिसमें विरोधी दलों के सदस्य भी शामिल हैं, पिछली मर्तबा यह तय किया था, माननीय चौधरी चरण सिंह भी ऐग्रीएबिल थे, उनके दस्तखत थे, जनसंघ और सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य सभी ने मिल कर एक गैरसकारी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन इन्फ्लेशन को कम करने के लिये हमारी सरकार ने हमारी आवश्यकताओं के विरुद्ध भी हम लोगों को दबाये रखा। लेकिन आज हम मजबूर और परेशान हैं।

पार्लियामेंट के मेम्बर भी परेशान हैं। उन्होंने भी कुछ इजाफा किया है। बाई चान्स हमारे बहुत से विरोधी पक्ष वाले नहीं हैं। उनकी भी राय थी और मैं समझता हूं कि आज भी है। तो इसमें हम कोई बुरी बात नहीं कर रहे हैं। हमारी तनख्वाहें तो पूर्ववत् 300 रुपये ही हैं, केवल सुविधायें बढ़ गयी हैं। हमको 10 हजार किलो मीटर प्रदेश के बाहर घूमने के लिये विधान सभा ने स्वीकृति दी है। हम मुश्किल से 2–3 सौ किलोमीटर का उपयोग कर पाते हैं। अगर हम अपने परिवार वालों को भी लायेंगे तो इससे हमारे एक्सचेकर पर कोई बोझा नहीं पड़ता है। इस विधेयक में स्पष्ट है, जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया है कि जो हमको 25 रुपये दैनिक भत्ता मिलता है वह नहीं मिलेगा बल्कि न आने पर कुछ कट ही जायेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि केवल अपने ही दृष्टिकोण से न देखें बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें। यह मिसाल की बात है कि हमारे कम्युनिस्ट दल के भाई अपनी तनख्वाह का एक बढ़िया भाग अपनी पार्टी को अर्पित करते हैं। इसलिये हो सकता है कि कंसालिडेटेड डी० ए०, टी० ए० बढ़ जाने से वह सोचते हों कि उनको और ज्यादा हिस्सा अपनी तनख्वाह का अपनी पार्टी को अर्पित करना पड़ेगा। इसके लिये वे अपनी पार्टी को समझा सकते हैं। लेकिन हमको अपने क्षेत्र में काम करने के लिये, अपनी एफिशियेन्सी को बढ़ाने के लिये और जनसम्पर्क को कायम रखने के लिये यह जो विधेयक आया है, मैं अनुरोध करूंगा कि इसका हम स्वागत करें।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

माननीय ऊदल जी ने जो कहा है मुझे लगता है कि माननीय सदन उसको सही दिशा में नहीं समझा। हमारी पार्टी यह नहीं कहती कि जो सुविधायें आज हमारे विधायकों को प्राप्त

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

हैं वह काफी है । हर्गिज काफी नहीं हैं । इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि जो आज हमें तनख्वाहें मिलती हैं अगर जिम्मेदारियों को देखा जाय तो वह तनख्वाहें काफी नहीं हैं । हमारे कहने का मकसद केवल इतना है कि आप 1 हजार की जब बात करते हैं तो जब जनता के बीच में हम जायेंगे तो लोग यह कहेंगे कि एम0 एल0 ए0 लोगों ने अपनी तनख्वाह 450 से बढ़ा कर 1 हजार कर ली लेकिन कर्मचारियों से जबर्दस्ती कंट्रीब्यूटरी फंड ले रहे हैं । तो जो एक क्लाइमेट है प्रदेश के अन्दर उसमें हमारा चेहरा उजागर होकर नहीं रहेगा, बल्कि लोगों को यह कहने का मौका देंगे कि एम0 एल0 एज0 ने अपनी तनख्वाहों में सौ फीसदी वृद्धि कर ली है । आप सुख सुविधायें बढ़ाते, यह समझ में आता है आप दैनिक भत्ता बढ़ाते, यह बात समझ में आती है, आप क्षेत्रीय भत्ता बढ़ायें, यह सब चीजें समझ में आती हैं लेकिन जब जनता एक हजार की रकम सुनेगी तो वह चौंकेगी । इसलिये हमारा निवेदन यह था कि अच्छा होता अगर हमारे दल की भी राय इसमें ले ली जाती और जो लोग बायकाट करके चले गये हैं उनकी भी राय ले ली जाती । अब विरोध पक्ष कल को यही कहेगा कि चूंकि हम सदन में नहीं थे, इसलिये हमारी अनुपस्थिति में सरकार ने यह बिल पास करा लिया और अपना वेतन बढ़ा लिया । इससे एक भ्रम जनता में फैलेगा । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस पर फिर से आप विचार करें ।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, हमारे कुछ साथियों ने अभी अपने विचार व्यक्त किये । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे वेतन में कोई इजाफा नहीं हो रहा है । कुछ सुविधायें बढ़ा दी गयी हैं, मकान भत्ता आदि बढ़ा दिया गया है, इसकी जगह जो 25 रुपये रोज हमको डेली एलाउन्स के मिलते थे वह अब नहीं मिलेगा । एक तरह से कुल मिलाकर एक माननीय सदस्य को जो कुछ मिलता है उससे कम ही मिलेगा । मैं माननीय नेगी जी से कहूंगा कि जब हम लाबी में कभी मिलते थे तो कामरेड ऊदल जी कहा करते थे कि यार इतने में तो खर्चा नहीं चल पाता, जल्दी कुछ करो बढ़ाने के लिये । जितने भी विधायक बैठे हुये हैं सभी इसकी मांग कर रहे थे और रहने नहीं दे रहे थे, इसको जल्दी से जल्दी चाहते थे । . .

श्री ऊदल—

मैंने कभी नहीं कहा है ।

श्री त्रिवेनी—

आज पेट्रोल आदि की कीमतें इतनी बढ़ गयी हैं कि माननीय विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में जाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी । वे अपने क्षेत्रों में जा नहीं पाते थे । फिर इसमें तो 25 रुपया रोज कम कर दिया गया है । अब जो कुछ मिलेगा उसमें विधायक को घाटा ही होगा । जो माननीय सदस्य कुर्बानी करना चाहते हैं, वे कृपया न लें । हम चाहते हैं कि जो माननीय सदस्य अपने क्षेत्र से चुन कर आते हैं वे अपने क्षेत्रों में जाया करें और ईमानदारी से काम करें । इसके लिये यह जो सुविधायें बढ़ाई जा रही हैं, उचित ही हैं । स्टेट एक्सचेकर पर कोई वित्तीय भार इससे नहीं बढ़ेगा, बल्कि कम ही होगा । इसलिये माननीय वित्त मंत्री जी ने जो यह विधेयक पेश किया है, मैं उसके लिये उन्हें बधाई देता हूं । वे बधाई के पात्र हैं । इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय ऊदल जी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था । मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक माननीय ऊदल जी ने इस विधेयक को पढ़ा नहीं है । इस विधेयक के पास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हो जाने के बाद, जहां तक मैं समझता हूं, स्टेट एक्सचेकर को लाभ ही होगा, जो खर्चा अब तक आता था, उससे अब कम ही होगा। इससे वित्तीय भार बढ़ेगा नहीं. . . . . .

श्री ऊदल—

आप मेरी बात को मिस-इन्टरप्रेट कर रहे हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र—

माननीय ऊदल जी ने जो अपना भाषण दिया है वह विशुद्ध रूप से उनका राजनीतिक भाषण है। मैं उनके भाषण की घोर भर्त्सना करना चाहता हूं। इस सरकार का जो मकसद है उसके विपरीत उनका भाषण है। उनके भाषण का यह असर हो सकता है कि इससे स्टेट एक्सचेकर पर अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब विधान सभा चलती है तो एक-एक विधायक को 1200 रुपये महीना तक पड़ जाता है। इससे तो हमको घाटा ही होगा। जो माननीय सदस्य किसी समिति में नहीं थे, उनको अवश्य कुछ लाभ हो जायेगा, वरन् सभी को घाटा ही होगा। इससे कोई लाभ नहीं होगा। इससे उत्तर प्रदेश के खजाने में वृद्धि ही होगी। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि ये सुविधायें केवल यात्रा के लिये हैं। पहले हम अकेले आते थे, अब अपने साथ अपनी वाईफ को या किसी और को ला सकते हैं या जो महिला सदस्य हैं वे अपने साथ एक और आदमी को ला सकती हैं। 10 हजार किलोमीटर तक यात्रा करने की पहले सुविधा थी लेकिन कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश के बाहर इसका इस्तेमाल नहीं करता था। अब हमसे कहा जा रहा है कि 10 हजार किलोमीटर के अन्दर अपने परिवार को भी साथ ले जा सकते हैं। इस तरह की तमाम बातें जो माननीय ऊदल ने माननीय सदस्यों की उपलब्धियों के बारे में कही हैं, इस समय भी बहुत से माननीय सदस्य ऐसे हैं जो बड़ी हिम्मत, दिलेरी और बहादुरी के साथ मजदूरों और छोटे तबकों के प्रश्न को यहां उठाते हैं और उनके लिये लड़ा करते हैं। यहां एक नया सवाल उठा कर मजदूरों की या औरों की बात करना, एक सस्ती लोकप्रियता कमाने की बात है और मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। मैं तो कहता हूं कि उनके दल के तथा कांग्रेस दल के भी बहुत से सदस्य हैं वे इस बात को समझते हैं कि इस उपलब्धि के बाद भी अगर देखा जाय तो सदस्यों को घाटा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी आज हमारे वित्त मंत्री जी ने इसको पेश किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं और इसको पास होने दिया जाय।

*श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी (जिला मैनपुरी)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो यह विधेयक पेश किया गया, माननीय सदस्यों ने अलग-अलग अपनी राय दी। कम्युनिस्ट पार्टी का दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में पहले से ही बहुत स्पष्ट था। अभी हमारे कामरेड ऊदल जी ने और कामरेड नेगी जी ने जो कुछ बात कही, ऐसा लगा कि मिश्रा जी ने या तो उसे समझा नहीं या समझबूझ कर जो कुछ कहा गया उसको उन्होंने गलत तरीके से पेश किया। इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि आज की महंगाई की समस्या में हमारे विधायकों को जो परेशानी है, इसका हमें अहसास नहीं है। अहसास है, किन्तु प्रश्न यह है कि हमारी जो दिक्कतें हैं उनका भी हल हो और जो जनता के नुमाइन्दे हैं उनके बीच में हमारी तस्वीर मलिन होकर न जाय और उजागर रहे, इस तरह का कोई रास्ता निकले। मान्यवर, जिस तरह से यह वेतन बढ़ाने की तस्वीर विधायकों के लिये पेश की गयी है, उससे हर आदमी के दिमाग में यह बात आती है कि यह सिर्फ विधायकों के लिये है और जिस जनता के वे नुमाइन्दे हैं, उनकी कोई चिन्ता उनको नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं इस सदन के तमाम माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप जरा सारी समस्याओं पर गौर करें। प्रश्न यह नहीं है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जगदीश नरायन त्रिपाठी]

कि जो विधेयक पेश किया गया है इससे हमारे खजाने के ऊपर भार बढ़ेगा कि घटेगा। हो सकता है कि कम हो, जिस तरह के आंकड़े पेश किये गये हैं उससे। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बातें दूसरी तरह से भी पेश की जा सकती थीं और इस तरह की बातें पेश की जा सकती हैं जिससे समस्या का हल भी होता और आम आदमी के अन्दर जो हमारी अच्छी इच्छा के विरोधी हैं और गलत तरीके से चीजों को पेश करने के लिये उधार खाये बैठे हैं, उनको इस बात का मौका नहीं मिलता कि वे कुप्रचार करें। इस पर आप विचार कर लें कि जहां तक सदस्यों की तनख्वाह को 450 से 1000 रुपये तक करने का सवाल है, उसी तरह से आप दूसरे कर्मचारियों की—चपरासी, गार्डस् वगैरह की तनख्वाह क्यों नहीं बढा रहे हैं, यह एक सवाल उठ सकता है। जब कोई ऐसी बात कहता है तो उसका जवाब भी आपको देने के लिये तैयार रहना चाहिये। अगर आपको उनकी बात सुनाई नहीं देती, तब तो कहने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन यह सचमुच आप जनता में जाते हैं और उनकी बात सुनते हैं तो उनको जवाब देना चाहिये और उनको संतुष्ट करना चाहिये। इस पर आपको सोचना पड़ेगा कि यह जो तस्वीर पेश की गयी है उससे कोई न कोई रास्ता भी निकले और सुधार करें जिससे जनता को भी संतुष्ट कर सकें। अगर यह नहीं है तो फिर आप इसको पेश करके और हथेलियां पीट कर पास कर दें। हम सहयोगी हैं आपके और बहुत से प्रगतिशील कदमों में आपका समर्थन करते हैं और आपके साथ खड़े हैं। इसके बावजूद भी अगर आप हमारी बात नहीं सुनते हैं तो जो रेकार्ड है वह इसका गवाह होगा, जनता गवाह होगी, संसदीय परम्परायें गवाह होंगी कि हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह आपकी जबरदस्त मनमानी होगी कि इस तरह से आप जन-प्रतिनिधियों की आवाज पर चोट करें। इसलिये माननीय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो तस्वीर पेश की गयी है इसको विचार करके सुधारिये और इसका रूप संवारिये और इसको ठीक कीजिये, जिससे जो आशंकायें उठने वाली हैं वह न उठें। इस तरह से एक व्यवस्था कीजिये इन्हीं शब्दों के साथ यह जो चीज पेश की गयी है, उसका कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से मैं विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर विचार करके इसको संशोधित करके पेश करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि इसके बारे में बहुत चर्चायें हमारे कक्ष में हुयी हैं और बहुत से विरोधी दल के माननीय सदस्य सहमत थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी-कभी विरोध भी किया था। लेकिन बहुत लम्बे अर्से से यह मसला चल रहा है तो आप लोग कहें तो इसको हम कल लें, इसमें कुछ भ्रम है। तो इसको कल पास कर दें ?

श्री ऊदल—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जी हैं तो इसमें जो कुछ करना चाहते हैं, कर दें। हमको कोई आपत्ति नहीं है और नहीं तो कल कर दें। अगर किसी ने यह समझा तो.....

(सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष—

अभी सुनें ना।

*श्री सन्त सिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। यू0 पी0 का पास जो है वह अन-लिमिटेड है और बाहर का पास 10 हजार का है। जो 60 वर्ष के लोग हैं उनको अटेंडेन्ट साथ लाने की सुविधा दीजिये। मेरी बात समझ लीजिये इसमें कोई चीज बढ़ेगी नहीं। यू0 पी0 के अन्दर का जा कूपन है वह अन-लिमिटेड है और बाहर का 10 हजार है तो वह न बढ़ाइये। अटेंडेंट की सुविधा कर दें, एक फूटी कौड़ी नहीं लगेगी और कुछ लोगों को सुविधा हो जायगी। इतना मेरा निवेदन है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)—

अध्यक्ष जी, जबसे इस माननीय सदन के नेता के पद पर काम करने का मेरा सौभाग्य है, सबसे कठिन और मुश्किल और कोई सवाल रहा है तो विधायकों की सुख–सुविधा का, जो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं, यह सवाल रहा है । लेकिन बराबर हम लोग अगर मैं यह कहूं कि मान्यवर, मेरी पार्टी की सर्वसम्मत राय के बावजूद मेरी पार्टी की कृपा रही और उन्होंने कृपा करके मेरे ऊपर, इस प्रश्न पर मुझे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया । हमने यह क्यों किया, बात सच है कि पेट्रोल के दाम बढने से सबकी मुसीबत हो गयी और करीब-करीब लोगों ने आना-जाना बंद कर दिया, चाहते हुयें भी नहीं जा सके। अगर कहें कि जनता की सेवा भावना लोगों में नहीं है तो वह गलत होगा। अब घर से पैसा लगाकर तो दौरा करने जाना मुश्किल है, कोई जा नहीं सकता। मुख्य मंत्री हूं, फिर भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर में पैसा नहीं है । अगर सरकारी मोटर न हो तो मैं रिक्शे में बैठना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे पास मोटर तो है नहीं। अब अगर प्रापराइटी के सवाल पर, औचित्य, जिसे अंग्रेजी में प्रापराइटी कहते हैं यानी संबंध का जो आधार होता है उसके लिये तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी से क्षमा चाहता हूं कि उन से इस विधेयक के संबंध में आगे हम बात नहीं कर पाये। यह मैं मानता हूं कि वह कुछ सहयोगी पार्टी ऐसी है जिसको मैं इस सदन के बाहर कह चुका हूं कि उसके साथ मिलकर कांग्रेस नया जमाना लाने में कामयाब होगी–ऐसा विश्वास है। फिर प्रश्न यह कि यह मामला जो आया किसी एक संदर्भ में आया जिसके बारे में चर्चा करना उचित नहीं है। अब हमने ऐसा क्यों किया ? माननीय ऊदल जी और कम्युनिस्ट पार्टी के अन्य सदस्यों ने ठीक कहा और इससे सहमत भी हैं कि विधायकों को कठिनाई है क्योंकि उनको एल0 आई0 सी0 के चपरासी से कम तनख्वाह मिलती है। इस सेक्रेटेरिएट में देखा जाय तो जो हमारा वेतन है वह एक यू0 डी0 ए0 के बराबर नहीं है। हमारे विधायकों और मिनिस्टरों के वेतन के साथ कुछ सुख-सुविधायें जुड़ी हैं जैसे मकान, पानी, बिजली और पेट्रोल आदि। विधायक यदि बाहर जाता है तो उसके ऊपर परिवार का बोझा रहता है इसलिये ज्यादा पेट्रोल आदि का खर्चा करना संभव नही है। लेकिन मिनिस्टर यदि बाहर जाता है तो चाहे जितना खर्च पेट्रोल आदि का हो उसके लिये असम्भव नहीं है। परन्तु जिस विधायक का संबंध परिवार से छूट गया हो तो उसके लिये 1–2 को खिलाने के लिये कोई कठिनाई नहीं है। इसलिये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में मंत्रियों का वेतन 1,500 रु0 रहता है और महाराष्ट्र में तथा दूसरे राज्यों में वेतन हमसे ज्यादा है। लेकिन दूसरे राज्यों के मुख्य मंत्री हमारे कम्परीजन करने को बुरा मानते हैं इसलिये मैं नहीं चाहता हूं कि यह बात छपे सिवाय इस सदन के अन्दर रहने के। हमारे 3–4 मंत्री जो मंत्री बनने से पहले इन्कम टैक्स देते थे वही टैक्स अब भी दे रहे हैं और उनके अलावा कोई टैक्स नहीं देते हैं। इसलिये मंत्रियों की बात को हमने ध्यान में रखा और जहां कठिनाई हो उसको दूर करें।

मान्यवर, दूसरी बात यदि टी0 ए0, डी0 ए0 या कान्स्टीटुएन्सी एलाउन्स बढ़ा दिया होता तो कोई हानि न होती। यदि बढ़ाकर 25 रु0 के बजाय 40 रु0 करते तो 15 रु0 बढ़ने के बाद यदि 80 दिन असेम्बली होती तो 15 × 80 = 1,200 रु0 बढ़ता। दूसरे यहां कमेटियां जो होती हैं उनका एवरेज 5 का है जो 150 रोज आते हैं। इसलिये यदि जनता को गणित नहीं आती है तो उसका हमको फायदा नही उठाना चाहिये। जनता उसको नहीं जानती है इसलिये मैं सफाई से कहना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि काम तेजी से हो इसलिये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि इससे सदस्य यह सोचेंगे कि जितने दिन का काम है वह उतने दिनों में पूरा करें और लौट कर घर जायं जिससे जनता की सेवा कर सकें। इसलिये कमेटी का काम खासकर जल्दी होगा। एक कमेटी का काम जब शुरू होता है तो जिस विभाग के सिलसिले में बैठक होती है उस विभाग का काम बन्द हो जाता है जितने दिन कमेटी चलती है। लेकिन

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

अब कमेटी शीघ्र काम करेगी और अधिकारियों का काम बचेगा। और वह काम ज्यादा कर सकेंगे। फिर रिपोर्ट भी जल्दी आयेगी। जब रिपोर्ट जल्दी आयेगी तो सरकार भी उसमें जल्दी करेगी। लेकिन अगर एक कमेटी की रिपोर्ट तीन साल में आये तो उससे क्या फायदा ? तब तक हम चले जायेंगे। हमारे पास वह रिपोर्ट आ रही है जो हमारे पूर्ववर्ती सरकार के विरुद्ध है तो अब हम उसमें क्या करेंगे ? 67 या 70 में क्या हुआ था तो वह अब किस मतलब की दवा है। लेकिन इससे जल्दी-जल्दी रिपोर्ट आयेंगी और इससे जनता को भी काम काज में सुविधा होगी। आखिरी बात और कहना चाहता हूं। मैं उसे छिपाना नहीं चाहता। तनख्वाह साढ़े चार सौ रुपया। एलाउन्स बढ़ा दीजिये 300 रु0, भत्ता दे दीजिये 75 रुपया, एक भत्ता जिसको मकान के सिलसिले में कहें या मेहमान आ जाते हैं उनके सिलसिले में कहें यानी सेंचुरी एलाउन्स दे दीजिये। एक-एक एम0 एल0 ए0 के घर-दस दस मेहमान आ जाते हैं। वह समझते हैं एम0 एल0 ए0 बाबू हो गया है। गुलाब सेहरा तो अमीर हैं तो कितनों को ही खिला सकते हैं। लेकिन यहां तो गरीब अमीर दोनों ही हैं। भगवान की कृपा से कुछ ऐसे भी हैं कि अगर 100 रुपया कम भी कर दें तो भी कोई नुकसान नहीं होगा। सेंचुरी एलाउन्स का इरादा था कि 100 रुपया कर दें तो सब मिलाकर 900 रुपया रख दिया जाय। इसमे पब्लिक एक्सचेकर पर हमारे हिसाब से इस सदन पर 8 लाख रुपया ज्यादा खर्च होगा। इस सदन के मायने इस और उस सदन के हैं।

एक सदस्य---

8 लाख नहीं, 7 लाख, आयेगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा---

करीब सात या आठ लाख। लेकिन जो रुपया अफसरों के टी0 ए0, डी0 ए0 पर खर्च होता है वह बच जायेगा तो उसको इसमें नहीं जोड़ा है। उसको भी अगर मिला लें तो फिर यह घाटे में नहीं फायदे में बदल जायगा। करीब आठ लाख का खर्चा बढ़ेगा, लेकिन जो बचत होगी वह दस लाख की होगी। अगर एक तरफ हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम बचा भी रहे हैं। इसी के साथ-साथ काम जल्दी होगा तो जनहित भी इसमें आ जाता है। हां, एक बात अवश्य है कि यह बहुत अच्छा होता यदि हम कम्युनिस्ट पार्टी से अलग से सलाह कर लिये होते। मुझे इस बात का खेद है कि मैं अलग से बात नहीं कर पाया। इसको मैं इम्प्रोपराइटी मानता हूं। जो सहयोगी दल हो तो उससे राय करनी चाहिये। भीखालाल जी की राय थी कि इसको जोड़-घटा कर देख लें। हमने इसको सब तरह से देखा तो यही निकला कि यह देना ठीक है और न देना जनहित की हानि है। ऊदल जी ने कहा कि अपोजीशन क्या कहेगा। ऊदल जी कहें कि हमने कांग्रेस पार्टी के हाथ बेच दिया तो क्या यह सच है, अमेरिका के हाथ या रूस के हाथ बेच दिया तो क्या यह सच है ? कौन नहीं जानता कि विरोधी दलों ने इतने दिनों तक चरित्र हत्या की और आज उसी का नतीजा है कि हम इस स्थिति पर पहुंच गये। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ कर बाकी दलों ने देश की राजनीति को गंदा किया है और व्यक्ति और समष्टि में कोई अन्तर नहीं रहने दिया। और व्यक्ति और समष्टि के बीच में एक ऐसा उलझाव पैदा किया ताकि वह उलझे रहें और एक दूसरे को न देख सकें। हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिये। वित्त विभाग ने घाटा और बजट जोड़कर जो मशविरा दिया है उसमें जनहित भी है और हित भी है। जहां तक 10 हजार किलोमीटर की यात्रा का सम्बन्ध है, हम 10 हजार किलोमीटर से ज्यादा यात्रा प्रदेश के बाहर न घटा रहे हैं और न बढ़ा रहे हैं, सिर्फ फर्क यह है कि पत्नी, पुत्र और एक नौकर अपने साथ ले जा सकते हैं। फैमली के साथ एक नौकर इसलिये जोड़ देना चाहते हैं कि कुछ माननीय सदस्यों की पत्नियां नहीं है, मान लीजिये हमारे चचा हैं (हंसी)

मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। अपनी उम्र, स्वास्थ्य के बावजूद जो परिश्रम वह करते हैं उसके लिये एक आदमी की जरूरत है क्योंकि मान लीजिये वह मद्रास जायं, अगर उनके साथ कोई आदमी है तो वह अगर रास्ते में तबियत गड़बड़ होती है तो, उसको वह देख सकता है। इसलिये हम फैमली में नौकर को इन्क्लूड कर रहे हैं। मान्यवर, न तो हम तनख्वाह बढ़ा रहे हैं वही 350 रु0 है, कान्स्टीट्एन्सी एलाउन्स भी वही 150 रु0 हैं, हमने डेली एलाउन्स भी नहीं बढ़ाया है, बल्कि सच बात तो यह है कि सदस्यों की उदारता से फायदा उठाकर उनके सामने यह बात प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कोई बात छुपाकर नहीं रखना चाहता और उनके सामने कोई गलत बात बताना नहीं चाहता हूं। बल्कि हम तो पैसा उधर से निकाल कर इधर दे रहे हैं और पैसा तो आपका ही है। काम जल्दी कराने की गर्ज से पैसा दे रहे हैं। इमरजेंसी के माइने हैं कि वह रास्ता पकड़ना जिससे काम जल्दी हो। अगर इमरजेंसी है तो काम जल्दी करना है, अगर काम जल्दी करना है तो कमेटी को जल्दी बुलानी है और जल्दी उनसे रिपोर्ट लेकर अफसरों को जल्दी काम करने के लिये हुक्म देना है। यह सब करना है।

एक बात और है कि भगवान की दया से अखबार वाले भी आजकल सही बात लिख रहे हैं। आजादी को नष्ट करने की जो आजादी है, वह नहीं है। चाहे रेडियो हो, चाहे प्रेस हो, मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि करेक्ट परस्पेक्टिव के अलावा कोई गलत बात प्रेस लिखेगा तो वह चलने वाली नहीं है, प्रदेश की जनता को कोई अब गुमराह नहीं कर सकता। एक बड़ा फायदा हमको यही हुआ है कि गुमराह करने वालों की संख्या जीरो हो गयी है। इसलिये हम इस बात को जब आम जनता में सफाई से और विश्वास के साथ समझायेंगे तो जनता उसका स्वागत करेगी क्योंकि जल्दी से जल्दी काम करने के इरादे से इसे किया गया है।

मैं एक बात यह भी कह देना चाहता हूं कि थोड़े समय बाद अगर सब को यह लगे कि यह ठीक नहीं है, यह अनुचित है तो किसने रोका है हमको। साल, 6 महीने हम इसको देख लें क्या प्रतिक्रिया होती है हम पर और जनता पर और तब इस पर विचार कर लिया जायगा। लेकिन इस समय तो मेरी राय यही है कि जिस रूप में यह विधेयक आया है सदन इसे उसी रूप में मंजूर करेगा।

एक चीज और बढ़ाई है जिसकी सूचना मैं आपको दे दूं। अभी तक जब असेम्बली का सेशन होता था तो आने और जाने का आपको इंसिडेंटल चार्जेज मिलते थे। अब यह किया है कि सेशन हो रहा है बीच में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसका भी इंसिडेंटल चार्ज हम उसको देंगे। यकायक बाढ़ आ गयी है और माननीय नेता, बस्ती के जो हैं वह बस्ती जाना चाहते हैं तो जा रहे हैं वह जनहित में और पैसा अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, यह अब आगे से नहीं होगा। यह माननीय सदस्य के सबस्टेंटिव सैटिसफेक्शन पर रहेगा कि ऐसी विशेष परिस्थिति है और वह सेशन के बीच अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो एक बार का इंसिडेंटल खर्चा उनको दिया जायगा जैसा कि हम उनको शुरू में आने के वक्त और अन्त में जाने के समय देते थे।

गैर हाजिर रहने पर 15 रुपये कट जायेंगे लेकिन गैर हाजिर रहने पर माननीय अध्यक्ष हाउस के मामले में छुट्टी देने में सक्षम हैं। कोई सदस्य बीमार है, नहीं आ सकता तो अर्जी भेज देगा। इस सदन की परम्परा रही है कि किसी की छुट्टी नामंजूर नहीं हुई। एक माननीय सदस्य ने तो जब हमारी संख्या 215 थी तब छुट्टी ले ली दो महीने की। हमने कहा ठीक है और उसे छुट्टी दे दी जब कि हम कच्चे धागे से जुड़े हुए थे। इस माननीय सदन ने छुट्टी को नहीं, नहीं किया। लेकिन एक बात अवश्य है कि सदन के प्रति हम अपना उत्तरदायित्व भी समझेंगे। सर्टिफिकेट बना कर हम और आप भेज सकते हैं और वह स्वीकृत भी होगा, चैलेंज भी नहीं होगा। कोई सदस्य बीमार हो जाता है, क्षेत्र के काम के सिलसिले

[श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा]

में चला जाता है, किसी विशेष परिस्थिति में किसी को प्रदेश के बाहर जाना पड़ता है तो वह उचित ही है। मान लीजिये कम्युनिस्ट पार्टी का अथवा किसी राजनीतिक दल का कहीं पर वार्षिक अथवा प्रदेशीय सम्मेलन हो रहा है और उसमें जो संबंधित एम० एल० ए० हैं वह उसमें सम्मिलित होने जाता है तो उसका कोई पैसा नहीं कटेगा। यह सही परम्परा रहेगी। वह लिख कर भेज देगा स्पीकर साहब को और वह लिखा हुआ काफी माना जायगा कि जनहित में वह गया हुआ है और उसका पैसा नहीं काटा जायगा। लेकिन इस हाउस में कोरम ही न बने तो फिर जनहित कैसे सर्व होगा। इसलिये यह थोड़ा सा अंकुश रखा गया है और वह भी आपके स्वविवेक पर रखा गया है। वैसे आप अध्यक्ष महोदय को लिख कर भेज देंगे तो अध्यक्ष महोदय सदन में सुना देंगे कि फलां माननीय सदस्य ने प्रार्थना-पत्र भेजा है। सदन के सामने रख कर वह राय ले लेंगें जो पक्ष मे हैं हां कहें और जो विपक्ष में हैं वह न कहे और कभी उस पर नहीं हुई नहीं और यह संसदीय परम्परा भी नहीं है हाउस आफ कामन्स में अथवा कहीं भी कि छुट्टी की दरखास्त नामंजूर की जाय। तो छुट्टी की दरख्वास्त नामंजूर नहीं हुई। मुझे आशा है कि अपने बिजनेस या व्यापार के लिये नहीं बल्कि जनहित मे या व्यक्तिगत कठिनाइयों में जो कि आपके परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं या आपकी कांस्टीटुयेन्सी में किन्हीं तत्वों द्वारा हरिजनों को सताया जा रहा हो तब नहीं आप आ पा रहे हों तो क्या वजह है कि आपको पैसा न मिले। आप सकारण उसको लिख कर दे देंगें तो वह आपको मिलेगा। स्पीकर का विवेक तो इसमें रहेगा ही कि कब आपका पैसा काटना है। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि हर गैरहाजिरी के लिये नहीं, जो गैर हाजिरी अमान्य कारणों से होंगी वह स्पीकर के स्वविवेक पर छोड़ी जायेगी। अभी तक तो यह था कि जो नहीं आता है तो 25 रुपये कटते हैं लेकिन इस विधेयक के लाने से सकारण आप रहेंगे तो नहीं कटेगा। मेरा ख्याल है कि 5 फीसदी सदस्यों को भी जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी। मैं समझता हूं कि इसको कल तक के लिये टालने और इसकी न्यूज से वैल्यू बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता है। मुझे आशा है कि सारा सदन जिस प्रवृत्ति से यह पेश किया गया है, उसको ध्यान में रखते हुये इसे स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष—

मैने संसदीय कार्यमंत्री से बता दिया है और मैं समझता हूं कि इसमें नेता विरोधी दल के बारे में कहीं कुछ असावधानी से भूल हो रही है, अगर यह भूल है, तो। इसका अभिप्राय यह होगा कि ऐक्ट में यह था कि नेता विरोधी दल का अध्यक्ष अभिज्ञात करेगा, रिकग्नाइज करेगा। आपने डी-रिकग्नाइज की कोई शक्ति नहीं दी है। जबकि अभिज्ञात करने की शक्ति को समाप्त किया जा रहा है। ऐसा मैं समझता हूं कि मुझे जो रिकग्नाइज करने का अधिकार है, उसे समाप्त किया जा रहा है। तो इसका अर्थ यह होगा कि नेता विरोधी दल हमेशा पद पर बने रहेंगे, चाहे उनका दल विरोध में अल्पमत में क्यों न हो। ..... (व्यवधान) वह त्रुटि है। इस लिये स्पष्टीकरण उसका हो जाना चाहिये.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं इसे स्वीकार करता हूं। विधेयक के पेज दो में खण्ड 2 की उपधारा (3) (ख) में "खड (2) तथा दोनों परन्तुक व स्पष्टीकरण निकाल दिये जांय" में से शब्द "व स्पष्टीकरण" हटा दिये जायेगें।

श्री अध्यक्ष—

और कुछ कहना है.....

श्री नारायण दत्त तिवारी—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3 खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम 1952 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) यह 15 अगस्त, 1975 से प्रवृत्त होगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12, 1952 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) अधिनियम, 1952 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा जायगा, की धारा 2 में —

(1) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायें, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से रेल यात्रा में अपने साथ एक सहवर्ती ले जाने के लिये भी निम्नलिखित दशाओं में प्रयोग कर सकता है :—

(क) यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में दो से अनधिक बार अपने निवास स्थान के निकटतम रेलवे स्टेशन से लखनऊ तक आने के लिये और लखनऊ से ऐसे रेलवे स्टेशन तक वापस जाने के लिए ;

(ख) किसी महिला सदस्य द्वारा ऐसी यात्राओं के लिये, जो उसके द्वारा सदस्य होने के नाते अपने कर्तव्यों तथा कृत्यों के सम्बन्ध में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के निमित्त एवं ऐसी उपस्थिति के बाद निवास स्थान को वापिसी के निमित्त की जाएं।

अग्रेतर ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गई उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिए इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0 मी0 प्रति वर्ष की उपरोक्त अधिकतम सीमा के भीतर होगी।"

(2) उपधारा (1-क) के पश्चात्, किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जाय, अर्थात् :—

"परन्तु ऐसा सदस्य उक्त कूपनों का, नियमों द्वारा नियत की जाने वाली रीति से, रेल यात्रा में अपने साथ अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी उत्तर प्रदेश के बाहर रेल यात्रा में (जिसमें ऐसी रेल यात्रा के क्रम में की गई उत्तर प्रदेश के भीतर की दूरियां भी शामिल होंगी) ले जाने के लिये इस शर्त के अधीन प्रयोग कर सकता है कि उसके एवं उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं की दूरी को सम्मिलित कर इस प्रकार की कुल दूरी 10,000 कि0 मी0 प्रति वर्ष की उपरोक्त अधिकतम सीमा के भीतर रहेगी।"

(3) उपधारा (2) में—

(क) खंड (1) में शब्द "प्रत्येक यात्रा के लिए" के स्थान पर शब्द "उक्त प्रयोजनों के निमित्त, यात्राओं के लिये, अर्थात् यथास्थिति, विधान सभा अथवा विधान परिषद् के प्रत्येक सत्र में अथवा उसकी किसी समिति की बैठक में भाग लेने के लिये, केवल प्रथम बार लखनऊ, आने के लिये और केवल अन्तिम बार अपने निवास स्थान वापस जाने के लिए" रख दिये जायं।

(ख) खंड (2) तथा दोनों परन्तुक व स्पष्टीकरण निकाल दिये जायं।

3—उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य, जो नेता विरोधी दल से भिन्न हो, पांच सौ पचास रुपये प्रति मास का समेकित प्रतिकर भत्ता (जिसके अन्तर्गत सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों या कृत्यों के सिलसिले में अपेक्षित अपनी उपस्थिति के सम्बन्ध में रेल, सड़क या वायुयान द्वारा किसी यात्रा के लिये उपधारा (2) में निर्दिष्ट आनुषंगिक व्यय को छोड़कर कोई और आनुषंगिक व्यय, और दैनिक भत्ता और किसी भी प्रकार के अन्य सभी व्यय भी सम्मिलित हैं) राज्य विधान मण्डल के सदन की या उसकी किसी समिति की, जिसका वह सदस्य हो, किसी बैठक में प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के लिए पन्द्रह रुपया की कटौती की शर्त के अधीन, पाने का हकदार होगा।"

धारा 2-ख का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2-ख में शब्द "आवास के उपयोग" के स्थान पर शब्द "नियमों द्वारा नियत स्तर के सुसज्जित आवास के उपयोग" रख दिए जायं तथा अंक तथा शब्द "90 रु0 प्रति मास" के स्थान पर अंक तथा शब्द "150 रु0 प्रतिमास" रख दिए जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 2 के उपखंड (3) के भाग (ख) में से शब्द "व स्पष्टीकरण" निकाल दिये जायं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 के उपखण्ड (3) के भाग (ख) में से शब्द "व स्पष्टीकरण" निकाल दिए जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड 2, खण्ड 3 और खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री नारायण दत्त तिवारी--

श्रीमन, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियों का) (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा --

अध्यक्ष जी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष--

पहले यह हो जाय। इसमें मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं। आपने शुद्ध करने का अधिकार दे रखा है इसमें पृष्ठ 2 में खण्ड 2 के उपखण्ड (3) के बाद जो खण्ड 3 के रूप में है, वह उपखण्ड (4) होना चाहिए।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

छापने में जो गलती है वह ठीक हो जाएगी, अधिकार आपको दिया हुआ है नियम में।

9 अगस्त, 1975 को सदन में 10 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होने की प्रार्थना

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) --

मान्यवर, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं वैसे कार्यमंत्रणा समिति का जो प्रस्ताव आया है उससे मालूम है ही कि जो कल 10 बजे से विधान सभा होगी उसमें संविधान संशोधन विधेयक होगा। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल शनिवार है कई माननीय सदस्यों ने अपने अलग-अलग प्रोग्राम बना रखे होंगे उनसे मैं क्षमा चाहता हूं क्योंकि उनको इससे असुविधा होगी। पर मुझे आशा है कि सब लोग इस सदन में आने की कृपा करेंगे और जो असुविधा हुई उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांग रहा हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975†

*माध्यमिक शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियों में नया स्वरूप देने के लिए और वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा बोर्ड को विस्तृत बनाने के लिए यह संशोधन विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। मान्यवर, इससे पहले 1921 में जो बोर्ड बना था उसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसमें यह महसूस किया गया कि इससे कार्य में कठिनाइयां हो रही हैं और उन तमाम कमियों को दूर करने के लिए और मैनेजमेंट का जो कालेजेज में ग्रिप है उसको सुचारु रूप देने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया। मान्यवर, इससे पहले जो सेलेक्शन कमेटियां होती थीं जो टीचर्स का चुनाव करती थीं उसमें सही चुनाव नहीं हो पाता था। सही तरह के टीचर्स नहीं आ पाते थे। उसको ठीक करने के लिए यह सोचा गया है कि इसको सही रूप दिया जाय ताकि उन संस्थाओं का सिस्टम ठीक हो और उन कमियों को पूरा करने और प्रबन्धकों का कम से कम असर हो, इन सब बातों को ध्यान में रख कर यह विधेयक सामने रखा गया है। मान्यवर, इससे यह भी रोक लगाई गई है कि जो टीचर्स आदि का सस्पेंशन मैनेजमेन्ट कर दिया करता था या प्रबन्धक लोग कर दिया करते थे, उनके ऊपर भी अंकुश लगाया गया है और जो लोग बोगस सर्टिफिकेट दे देते थे उनके ऊपर भी रोक लगाई गई है। इसके अन्दर इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड और अन्य स्थानीय निकायों के अन्तर्गत शिक्षा संस्थायें हैं, उनके अध्यापकों का वेतन भी गवर्नमेंट दे। क्योंकि यह शिकायत बराबर आती रही है कि इन स्थानीय निकायों में अध्यापकों व कर्मचारियों को तनख्वाहें सही नहीं मिलती हैं और समय पर नहीं मिलती हैं।

इसके अलावा बहुत से विद्यालयों में छात्रों से तरह-तरह की ऐसी फीस ली जाती थी, जिनका किसी तरह का औचित्य नहीं था, उस पर भी रोक लगाई गई है। यह सब इसलिए किया गया है जिससे शिक्षा के विषय में क्रान्तिकारी कदम उठाया जा सके और हमारी शिक्षा व्यवस्था मौजूदा परिस्थितियों में सही और पूर्ण रूप प्राप्त कर सके। मान्यवर, शिक्षा यदि किसी देश में ठीक नहीं होती है, तो पूरी पीढ़ी पर उसका खराब असर पड़ता है। इस विधेयक में, 1921 में बने शिक्षा सम्बन्धी विधेयक और उसके बाद उसमें हुए संशोधनों में जो कमियां महसूस की गई हैं, उनको दूर कर के सुधारा गया है। इस विधेयक के द्वारा उन कमियों का सुधार किया गया है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो मैनेजमेन्ट है, जिसने आजादी के पहले काम तो किया है, लेकिन उसके बाद शिक्षा संस्थाओं को पूरी तरह से कामर्शिलाइज किया है, छोटे-छोटी दुकानों की तरह किया है, उनके ऊपर कन्ट्रोल किया जा सके। यह विधेयक जो कि बहुत ही अहम विधेयक है, मुझे उम्मीद है कि सदन इसका स्वागत करेगा और इसे पारित करेगा।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय अध्यक्ष जी, जो विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया है, उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष जी, यह बात बहुत सही है कि उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जो पुरानी व्यवस्था रही है, वह बहुत से स्थानों में बहुत ही खराब रही है और उन खराबियों को दूर करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

---

†7 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अध्यक्ष जी, आपको जानकारी है कि अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की भर्ती मनमाने ढंग से होती थी। विद्यालयों के मैनेजमेन्ट के आदमी अच्छी श्रेणी में उत्तीर्ण लोगों को छोड़कर खराब श्रेणी में पास हुए अध्यापकों को नियुक्त करते थे और इसी तरह से अन्य कर्मचारियों की भर्ती में भी भ्रष्टाचार और भाई-भतीजा वाद चलता था। इस तरह की सारी खराबियां और पक्षपात इस विधेयक के द्वारा दूर हो जाते हैं। किन्तु साथ ही मैं शिक्षा मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां भी हैं। अच्छा होता कि इसको और विस्तृत करके सदन के सामने लाया गया होता। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जहां सरकार अध्यापकों को हक देती है, वेतन और नियुक्तियों के सम्बन्ध में उन्हें सहूलियतें देती हैं, वह तो ठीक है किन्तु उसके साथ ही एजूकेशन कोड या विधेयक में कहीं भी यह प्राविधान नहीं है कि जो अध्यापक अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध यह-यह कार्यवाही करने का मैनेजमेन्ट को अधिकार होगा। ऐसे अध्यापकों के बारे में मैनेजमेन्ट कमेटी को कहीं अधिकार नहीं दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसका बुरा असर पढ़ाई पर और अनुशासन पर पड़ेगा। मैं सरकार से पूछना चाहूंगा और उसका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस वक्त आप उनको सरकारी खजाने से वेतन नहीं देते थे, उस वक्त का परीक्षा-फल देखें और आज का देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का परीक्षाफल उत्तरोत्तर खराब होता चला जा रहा है। अध्यापगण विद्यालयों में बैठकर पंचायत किया करते हैं, पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अन्य अधिकारी इस चीज को देखते हुए भी इस अव्यवस्था को ठीक करने में अक्षम हैं। इसी तरह से हाई स्कूल की पढ़ाई खराब होती जा रही है और वे अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं कर रहे हैं। अत: एजूकेशन कोड या इस विधेयक में इस चीज की भी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जो अध्यापक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है उसको निम्न-निम्न सजाएं सरकार की ओर से या समिति की ओर से मिलनी चाहिए इसका इस विधेयक में प्राविधान होना चाहिए।

दूसरे, मैं शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जब से उन्होंने तनख्वाह बैंक से देना शुरू किया है उसके पहले काम को देखेंगे। पहले जो फीस हम वसूल किया करते थे उसका भी अधिकांश भाग उस वक्त भी वेतन में जाता था। आज जो नियम बना है, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जायेंगे कि शिक्षा संस्थाओं में क्या है। जब से उन्होंने खजाने से पैसा देना शुरू किया इस ओर सरकार का ध्यान नहीं रहा कि जो शिक्षा संस्थाओं में कार्य होना चाहिए, उसका समुचित प्रबन्ध कैसे होगा। पूरी फीस का 80 फीसदी वेतन में जमा करा लेते हैं। जिन स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा दी जाती है उसकी फीस जो मिलती है वह भी सारी की सारी वेतन में ले लेते हैं। स्कूलों में फर्नीचर की मरम्मत के लिए एक पैसा नहीं है। भवन की मरम्मत के लिए और सफाई के लिए एक पैसा नहीं देते हैं। पुस्तकालयों की मरम्मत के लिए एक पैसा नहीं देते हैं। जिन संस्थाओं में इन्टरमीडिएट और हाई स्कूल की विज्ञान की पढ़ाई होती है, उसके साज-सामान के लिए एक पैसा नहीं देते हैं। सारा पैसा वेतन में चला जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा माननीय शिक्षा मन्त्री से, क्योंकि वह डिग्री कालेज के प्रिंसिपल रहे हैं। आप किसी स्कूल में जा कर देखें कि उसकी हालत क्या है। फर्नीचर की दशा क्या है, जो विज्ञान की पढ़ायी होती है, क्या विज्ञान का सामान जो रोजमर्रा खर्च होता है विद्यालयों में मौजूद है या नहीं। हमारा शिक्षा संस्थाओं से बहुत सम्बन्ध है उनके रोजाना के काम को देखता हूं। शिक्षा मन्त्री जी से मेरा निवेदन है कि जो यह प्रणाली चल रही है जिसमें फीस का सारा पैसा वेतन में काट लिया जाता है, अगर यह दस साल तक चलती रही तो नतीजा यह होगा कि वह भवन गिर जायेंगे, फर्नीचर अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए नहीं रह जाएगा। जो विज्ञान की शिक्षा देते हैं उसकी पढ़ाई लिखाई बन्द हो जाएगी। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि सरकार ने जहां अध्यापकों को वेतन देने में उदारता बरती है वहां सामानों के लिए और मरम्मत के लिए भी पैसा देना चाहिए।

[श्री राम सुन्दर पाण्डेय]

हर साल आपके सामने बजट पेश होता है। आपका पुराने बजट की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं। इस प्रदेश में हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट में विज्ञान की पढ़ाई के लिए दस हजार रुपया सामान के लिए मिलता था, 16 हजार प्रयोगशाला बनाने के लिए मिलता था, सारे जो आवर्तक अनुदान थे भवन निर्माण के लिए सब बन्द पड़े हैं। मैं आपके जरिए शिक्षा मन्त्री से जो शिक्षाविद् हैं, कहना चाहता हूं कि वेतन देने की जो परिपाटी है अगर दस साल तक चलती रही तो यह शिक्षा संस्थायें नहीं रहेंगी, धराशायी हो जायेंगी। उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। जो प्रबन्धकों द्वारा शिक्षा संस्थायें चलायी जाती थीं उनकी हालत बदतर है। इस विधेयक को आप देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बहुत सी कमियां थीं उनको दूर करने की कोशिश की गयी है। हायर सेकेन्डरी स्कूलों से तकनीकी शिक्षा के, इन्जीनियरिंग स्कूलों से जो माध्यमिक शिक्षा परिषद् में सदस्य गये हैं, उनकी काफी तादाद है और होनी भी चाहिए कि इस प्रदेश में जहां इस तरह की पढ़ायी होती है, सारे के सारे प्रतिनिधि अपना मत देने के लिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य रहें। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस विधेयक में कितने विधान सभा के सदस्यों को मनोनीत करने का प्राविधान किया है? अब तक 3 रखे जाते थे और इस समय 5 रखे जा रहे हैं। जितने सदस्यों को आप मनोनीत कर रहे हैं उनमें विधान सभा के सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। इससे जनता का प्रतिनिधित्व अधिक होगा और उसमें सुधार भी होगा।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् में बहुत सी अनियमिततायें हैं, जिनको दूर करने की कोशिश नहीं की गयी है। परिषद् के सचिव का पद बड़ी अहमियत रखता है। हमारे प्रदेश में पुरानी सरकार ने यह फैसला लिया था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् का विकेन्द्रीयकरण किया जाए। मेरठ में एक बोर्ड बना लेकिन वह काम ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इलाहाबाद का परिषद् बहुत बड़ा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पिछले सालों में वहां पर आग लग गयी और लाखों कापियां जल गयीं। इसके फलस्वरूप मान्यवर, यह किया गया कि बिना कापियों को जंचवाये ही लड़कों को पास कर दिया गया और उनका परीक्षाफल घोषित कर दिया गया। यह कितना बड़ा खिलवाड़ खेला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सचिव के पद पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को रखना चाहिए। इस ओर शासन का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री ए0 सी0 ग्राइस (नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष —

माननीय सदस्य आपस में बातें न करें। यदि उन्हें बातचीत करनी है तो वे दीर्घाओं में चले जायें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

ये काम के प्रति सीरियस हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह आप कह सकते हैं।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

1921 के बाद 1958 में थोड़ा सा अमेन्डमेंट हुआ था और आज बिल ला रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो एजूकेशन बोर्ड है उसम आज पालिटिक्स घुस गया है और पालिटिक्स और बढ़ेगा। आप हमारी बात गौर से सुन लीजियेगा। मैं हिन्दी में कम बता पाता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अच्छी तरह से सुन रहा हूं।

श्री ए० सी० ग्राइस—

हमारें स्टेट में सी० टी०, एल० टी० और बी० एड० मिलाकर कुल लगभग ८० हजार टीचर हैं और ४ हजार के लगभग प्रिन्सिपल हैं। यह हमारी समझ में नहीं आता है, इट इज पुटिंग पालिटिक्स इन्टू एजूकेशन। तो मेरा माननीय मुख्य मन्त्री जी और शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि वे फिर से इसको सोचें कि बोर्ड में पालिटिक्स को नहीं आना चाहिए। अगर इस पालिटिक्स को लाना है तो आप ज्वाइन्ट इलेक्टोरेट रखिए नहीं तो 11 टीचर्स के और 11 प्रिंसिपल्स के प्रतिनिध रखिए टु बी इलेक्टेड फ्रम एमंग्स्ट दैम सेल्व्ज। चूंकि हाई स्कूल के टीचर्स अलग हैं, सी० टी० व एल० टी० टीचर्स अलग हैं: इसलिए हाई स्कूल टीचर्स में से ४ और इन्टरमीडिएट कालेजेज के टीचर्स में से 7 प्रतिनिधि हों तब जाकर हाई. स्कूल और इन्टरमीडिएट बोर्ड का कुछ फायदा होगा। ८ आप यूनिवर्सिटी से ले लें। इस प्रकार से कुल ३० होंगे तब यह इतना मजबूत होगा और इसमें सब के प्रतिनिधि चले जायेंगे। सरकार जो इस समय संशोधन लाई है उसमें थोड़ी सी गुंजाइश है लेकिन फिर मैं कहे देता हूं कि अगर ज्वाइन्ट इलेक्टोरेट रहेगा तो बोर्ड बिल्कुल मैनीप्युलेशन हो जाएगा। इस समय यू० पी० का बोर्ड हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सबसे बड़ा बोर्ड है और अगर इसमें ऐसा किया गया तो यह केवल एक मजाक हो जायगी।

इसके अलावा आपने मैनेजर्स में से एक को भी इस बोर्ड में नहीं रखा है। कहते हैं कि मैनेजर्स नालायक होते हैं। मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि सरकार ने जो 22 नोमिनेटेड व्यक्ति रखे हैं, उनमें हमारे ख्याल से 5 मैनेजर को भी नोमिनेट कर दिया जाय तो उनके लिए भी गुन्जायश हो जायगी कि उनका भी प्रतिनिधित्व बोर्ड में हो। ऐसा नहीं है कि सभी उनमें से नालायक हों, कुछ विद्वान भी अवश्य ही होंगे।

वर्क ओरिएन्टेड एजूकेशन की जो बात इसमें हो रही है, आज दुनिया तक में यह बात फैल रही है। हमारी केन्द्रीय सरकार भी बहुत कार्य इस दिशा में कर रही है मैं सरकार से केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे शिक्षा में बहुत ज्यादा इन्टरफियर न करें। सरकार ने जो स्पेशलाइजेशन की बात की है, अगर उसे करनी है तो बाद में करें। यह न हो कि जूनियर हाई स्कूल से ही स्पेशलाइजेशन की कार्यवाही की जाय कि तुम इन्जीनियर बनो, डाक्टर बनो या यह बनो अन्यथा शिक्षा बिल्कुल बरबाद हो जायगी। यह हमारी पर्सनल बात है, यह माइनोरिटीज की ओर से बात है। हमारे स्कूलों में नर्स और सिस्टर्स रहती हैं, जो 18, 20 या 25 साल की उम्र की होती है, डेडीकेटेड दैम सेल्व्ज टु दि सर्विस आफ दि एजूकेशन। तो एक दफा जब वे सेलेक्ट हो जाती हैं बतौर प्रिंसिपल आर एज ए टीचर तो उसके लिए मेरा कहना है कि व्हेयर ए नम्बर आफ इन्स्टीट्यूशन्स आर मैनेज्ड बाई वन आर्गनाइजेशन दे शुड बी अलाउड ट्रान्सफर्स फ्रोम वन टू दि अदर विदाउट ऐन एडवरटाइजमेंट आर एपियरिंग बिफोर दि सेलेक्शन बोर्ड। हमारे मुरादाबाद में एक आर्गेनाइजेशन है जिसने सेन्ट्रलाइज्ड टीचर्स आर्गेनाइजेशन कायम कर रखी है और मुरादाबाद से टिहरी-गढ़वाल और सब जगह वह टीचर्स को ट्रान्सफर करते हैं। कोई मदर या सिस्टर एक स्कूल में प्रिंसिपल रही और भले ही उन्होंने कितनी ही तरक्की की हो उनका ट्रान्सफर दूसरी जगह कर दिया जाता है ताकि उनका दिमाग ज्यादा न बढ़ जाय।

आखिर में मैं यह बताना चाहता हूं कि जबसे आपने वेतन देने का इन्तजाम किया है इससे बड़ी कठिन समस्या सामने आ गयी है। "ही हू पेज दि पाइपिर लिसिन्स दि टयून।" सरकार पे कर रही है, लेकिन काम करना है मैनेजमेन्ट को। 80-85 परसेंट हमारी तरफ से लेते हैं और छोड़ते हैं 15-20 परसेन्ट, तो नतीजा यह है कि हमारा कुछ काम नहीं बन रहा

[श्री ए० सी० ग्राइस]

है साइन्स इक्विपमेंट बहुत मंहगा हो गया है। एक डेस्क जो पहले 15 रुपये की आती थी अब वह 90 की हो गयी है। पहले 90 रुपये में पूरी क्लास की पेंटिंग करा देते थे, अब ढाई-तीन सौ रुपया देते हैं। तो नतीजा यह है कि पहले गवर्नमेंट सेलरी देती है, हमारा टीचर्स के ऊपर कोई रोक-थाम नहीं है। इन्डिसिप्लिन बहुत है। इमरजेंसी आखिर कब तक लागू रह सकती है? हमें पता नहीं। इस बीच में टीचर्स डिस्पिलिन सीख जायं तो हम मिसेज गांधी को वन आफ दि फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स आफ दि वर्ल्ड मान कर प्रेज करेंगे। पर पता नहीं यह पैटर्न कब तक रहेगा। जो आपने यह वेतन देने के लिए तरीका रखा है वह वर्क के ख्याल से ठीक नहीं है, टीचर्स के लिए तो ठीक है। हम टीचर्स को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, डिस्मिस नहीं कर सकते हैं। आज टीचर स्कूल का मालिक है, मालिक स्कूल का मालिक नहीं है। टीचर सब चीज है चाहे काम करें या न करे। साथ ही टीचर इतना प्राइवेट ट्यूशन लेता है कि स्कूल में कुछ नहीं करता, अपने घर पर प्राइवेट क्लास लगाता है। जहां आपने मैनेजमेन्ट पर रोक रखी है प्राइवेट ट्यूशन पर भी रोक होनी चाहिए और वह बन्द होना चाहिए।

आखिर में मैं धन्यवाद देता हूं इस बिल के लिए, यह अच्छा बिल है और जल्दी से जल्दी इसको इम्पलीमेन्ट होना चाहिए।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

माननीय अध्यक्ष जी, जिन उद्देश्यों से यह बिल लाया गया है माननीय सदन में मन्त्री जी द्वारा उनकी पूर्ति भी, जहां तक मैंने इस बिल को देखा समझा है, इससे न हो सकेगी।

दूसरी बात मान्यवर, यह है कि यह शिक्षा का सवाल है। किस जमाने में कौनसी शिक्षा पद्धति किस जमाने की थी वह वैसी की वैसी चली आ रही है। 1921 में मान्यवर, इन्टरमीडिएट एजूकेश ऐक्ट पास हुआ था जबकि अंग्रेज हमारे ऊपर हुकूमत करते थे और नीति यह थी कि हमारे देश के अन्दर शिक्षा इसलिए दी जाय ताकि क्लर्क पैदा हों, नौकरी करने वाले लोग पैदा हों। 1958 में उसके बाद हल्की-फुलकी तरमीम हुई और अब 1975 में आप तरमीम कर रहे हैं खाली कुछ चयन के बारे में, अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में और बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में। मान्यवर, खासतौर से ऐसी हालत में जबकि आपातकालीन स्थिति की घोषणा की गयी प्रतिक्रान्ति की ताकतें, दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद किन चीजों का सहारा लेकर आपके सामने खड़ा हुआ है, किन-किन चीजों को इस्तेमाल किया गया। इसमें शिक्षा का एक प्रमुख स्थान है। हमारे युवा वर्ग का, हमारे विद्यार्थियों का इन प्रतिक्रान्ति की ताकतों ने किस प्रकार प्रयोग किया, इस ओर हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने भी, जो डिग्री कालेज के प्रिन्सिपल रह चुके हैं, अगर ध्यान नहीं दिया तो बड़े अफसोस की बात होगी। दस साल पहले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्डोनेशिया में सुहार्तो ने इन्हीं विद्यार्थियों का सहारा ले कर डा० सुकर्ण को हटा कर हुकूमत में आये थे। क्या यह बात छिपी है कि बनारस विश्वविद्यालय के अन्दर आर० एस० एस० के अड्डे कायम थे। तमाम स्कूल आर० एस० एस० ने कायम किये, सारा प्रबन्ध उनके हाथों में है और किस तरह की शिक्षा प्रणाली वह दे रहे थे। आज इन्टर पास कर के विद्यार्थी विश्व-विद्यालय में आता है। उसका भविष्य क्या है, इस बारे में आपने कोई विचार नहीं किया। अगर आपने समय रहते इन सारी चीजों में परिवर्तन नहीं किया तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी। कोई विद्यार्थी नहीं चाहता कि वह न पढ़े। वह पढ़ने लिखने के बाद चाहता है अच्छी नौकरी। वह न भी मिले तो इस लायक तो हो जाय कि उसको कुछ काम मिल सके। आज सारी शिक्षा नीति जाब-ओरियेन्टेड है। आज वर्क-ओरियन्टेड शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है ताकि ऐसे लोग निकलें जो अपनी और समाज की भलाई कर सकें। लेकिन दुःख है कि आप अमेन्डमेंट पर अमेंडमेन्ट लाते रहे उसी तरह से जैसे कहीं एक छेद हो गया तो उस पर पैबन्द लगा दिया। आप दक्षिणपन्थी ताकतों

से लड़ने की बात करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके विश्वविद्यालयों में अच्छा माहौल बने। तो आपको सोचना पड़ेगा कि इस अनरेस्ट का कारण क्या है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है। इन बुनियादी सवालों को हल किये बगैर मैं समझता हूं कि इस तरह से संशोधन लाने से कुछ होने वाला नहीं है।

आज दो तरह की शिक्षा दी जा रही है। एक तरफ तो कालविन ताल्लुकेदार कालेज है, लोरिटो कन्वेन्ट है और दूसरी तरफ ऐसे स्कूल हैं जहां बैठने की जगह नहीं है, टाट पट्टी नहीं है, जहां पर टीचर्स के रहने के लिये जगह नहीं है। ट्रान्सफर के बाद एक-एक टीचर को मकान ढूंढने में 6-6- महीने लग जाते हैं। तो सब से जरूरी चीज यह है कि एक यूनिफार्म एजूकेशन प्रणाली होनी चाहिये जिससे मालूम हो कि वाकई में समाज को एक नयी दिशा मिलने वाली है, आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक अच्छे भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं। इस तरह की बात कहीं नहीं कही गयी है। यह सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। आज कम्पीटीशन्स में बड़े-बड़े आदमियों के अच्छे स्कूल्स में पढ़े हुये लड़के बाजी मार ले जाते हैं और हमारे आपके स्कूलों में जहां गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं उसमें नहीं ठहर पाते। आप एक लंगड़े को और एक अच्छे लड़के को कम्पीटीशन में यदि खड़ा करेंगे तो लंगड़ा निश्चय ही हार जायेगा।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, आज शिक्षा की स्थिति वैसी ही है जैसी पहले थी। यह दूषित शिक्षा प्रणाली का ही परिणाम है कि आज बेकारों की लम्बी लाइन लगी हुई है। आज फर्स्ट डिवीजन और सेकेन्ड डिवीजन वाले छात्र भी मारे-मारे घूम रहे हैं। आपने कभी अपनी शिक्षा पद्धति में बुनियादी परिवर्तन करने के लिये सोचा ही नहीं। आज तक जाने कितने कमीशन सरकार की ओर से बिठाये गये। मगर उनकी सिफारिशों पर कभी सरकार ने अमल नहीं किया।

निजी प्रबन्धकों का अस्तित्व भी समाप्त किया जाना चाहिये। जब तक यह प्राइवेट स्कूल्स चलते रहेंगे, सुधार नहीं होगा। मैं यह जानता हूं कि आपके सामने कुछ दिक्कतें हैं, मगर यह भी सही है कि आज बहुत से स्कूल्स और कालिज बिजनेस के अड्डे बने हुए हैं। डेढ़ सौ रुपये एक शिक्षक को देकर 4–5 सौ रुपये की रसीद उनसे लिखायी जाती है। इसके अलावा जो अनुदान वगैरह सरकार देती है उसमें भी बहुत घपला होता है। इसलिये निजी प्रबन्धकों के अस्तित्व को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए। शिक्षा का एक यूनिफार्म सिस्टम होना चाहिए। जो भी सरकारी कमीशन बैठे हैं उनकी सिफारिशों पर अमल होना चाहिए। आज कल तो देखने में आता है कि खुले आम विद्यार्थियों से एडमीशन्स के वक्त पैसा लिया जाता है, चाहे वह चन्दे के नाम से हो, चाहे इमारत बनवाने के नाम से हो। हमारे यहां बाराबंकी में एक गवर्नमेंट गर्ल्स इन्टर कालेज है, उसकी इमारत में बीसों वर्ष से कोई सुधार नहीं हुआ है। बरसात में वह सारी इमारत टपकती है। प्रिन्सिपल से लेकर छात्रों तक को कमरों में छाता लगाकर बैठना पड़ता है। मैंने कई बार असेम्बली में प्रश्न भी किये, माननीय मन्त्री जी को भी लिखा। वहां के प्रिन्सिपल ने भी लिखा कि वहां की इमारत बहुत खराब है, बैठने के लिये टाट पट्टियां तक नहीं हैं, मगर यहां मन्त्री जी की ओर से गलत जवाब दिलवा दिया गया कि इमारत ठीक है। मैं विशेषाधिकार का प्रश्न लाना चाहता था, मगर नहीं लाया। जाड़ों में तो बच्चे पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, मगर बरसात में कहां बैठें? मैं कहता हूं कि आज भी मन्त्री जी जाकर तो देखें कि कम से कम वहां की क्या हालत है? कई बार कहा गया है, लेकिन अपने डाइरेक्टोरेट को ही नौकरशाही के जरिये आप प्रभावशाली बना रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनको निकालने की जरूरत है। जिन लोगों की आप पहले आलोचना करते थे उन्हीं के ऊपर विश्वास करते दिखलायी पड़ते हैं।

इस बिल के अन्दर तमाम खामियां हैं लेकिन कम से कम कोई माननीय सदस्य जब किसी स्कूल बिल्डिंग के बारे में कहता है कि वह खराब है तो उसके ऊपर आपको विश्वास करना

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

चाहिए। आखिर किसी माननीय सदस्य को इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है कि ऐसे ही वह कह दे कि फलां स्कूल की बिल्डिंग खराब है। ऐसा न करके आप कह देते हैं कि सारी की सारी बात गलत है। अगर कोई माननीय सदस्य किसी मन्त्री से कोई गलत बात कहता है तो वास्तविकता क्या है, इसकी जानकारी के लिये आप डाइरेक्ट इनक्वायरी करा लें। सारे जन प्रतिनिधि चुन कर आये हैं और जब वे किसी स्कूल के बारे में कहते हैं कि वहां की बिल्डिंग ठीक नहीं है तो आप उसकी बात को सही न मान कर डाइरेक्टर या, ब्यूरोक्रेसी की बात का समर्थन करते हैं। सारी बात जो हम लोग कहते हैं उसका असर माननीय मन्त्री जी पर कितना प ता है, सरकारी तन्त्र पर कितना प ता है, इसको हम लोग भलीभांति जानते हैं और उसके हम शिकार भी हुए हैं। लाखों गरीबों का जो शोषण हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, उस पर आप जरूर ध्यान दें। अगर माननीय सदस्य कहता है। बाराबंकी का वह स्कूल जिला परिषद् से किराये पर लिया गया है, सरकार का उस पर खर्चा हो रहा है, बोर्डिंग हाउस सारे के सारे गिर प , सारे टीचर्स लखनऊ और बाराबंकी में मारे-मारे फिर रहे हैं किसी के रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल बस कहने के लिये खड़ा है, और किसी दिन खतरा है कि स्कूल की छत ही गिर जाय और कोई बहुत ब ी दुर्घटना हो जाय। तो माननीय मन्त्री जी ब्यूरोक्रेसी की बात पर ही चल रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

आप बार-बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं।

श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

दोहराऊंगा नहीं, मान्यवर। अब दूसरी चीज, जो इस सम्बन्ध में तरमीम लायी गयी है उस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। धारा 3 के अन्दर आप सारी धाराओं को देखें, उनमें नौकरशाही को आपने बाहुल्य दिया है। इन्टरमीडिएट बोर्ड में बहुत ब ी मेजारिटी इलेक्टेड के बजाय नामिनेटेड लोगों की होगी। इसमें उद्योगों के 3 प्रतिनिधि सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायेंगे। यहां पर मान्यवर, आप देखें कि सरकार का दिमागी दृष्टिकोण क्या है। क्यों नहीं उसमें किसानों के प्रतिनिधि नामिनेट किये जाते, क्यों नहीं उसमें लेबर के प्रतिनिधि नामिनेट किये जाते, क्यों नहीं विभाग के अन्दर काम करने वाले टीचर, प्रधानाध्यापक होंगे तो चौथी श्रेणी के कर्मचारी को आप क्यों इतना हीन समझते हैं और वे उसमें नामिनेट नहीं किये जायेंगे। इससे स्पष्ट होता है कि आपके दिमाग में वही सारे के सारे बड़े लोग हैं और इस तरह से आपने बोर्ड को एक डिबेटिंग बाडी बना दिया है। जिस तरह से इस सदन में बैठ कर एक बात के ऊपर माननीय सदस्य बैठ कर आपस में बहस मुबाहसा करते हैं उसी तरह से वहां भी बहस चलती रहे। उसके बाद फिर वे क्या करें। डिबेटिंग बाडी बना देने से ही शिक्षा का काम नहीं होने वाला है। यह प्रोविजन किया है कि अगर वोट नहीं कर सकते या नहीं कर रहे हैं तो सरकार कर देगी। तो यह आपको नहीं करना चाहिए था और सहूलियत देनी चाहिए थी।

अब जो बात मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं वह धारा 7 के संशोधन में है। पाठ्य-पुस्तकों के सम्बन्ध में संशोधन किया है। लेकिन आज प्रदेश भर के अन्दर पाठ्य-पुस्तकों की समस्या है। पाठ्य-पुस्तकें कैसे प्रकाशित होंगी, क्या होगा? पूरा विवरण इस सन्दर्भ में आना चाहिए था। लेकिन इस विधेयक में वह नहीं आया है। यह स्पष्ट होना चाहिये था। सब चीजें साफ तरीके से इसमें आनी चाहिये थीं जो आपने नहीं रखीं हैं। दूसरी चीज अल्प-संख्यकों के द्वारा संचालित स्कूलों का सवाल जो है उसके बारे में जहां तक मान्यवर, मैं समझता हूं कि वह इक्सेप्शन आपने कर दिया है। क्या चाहते हैं मन्त्री महोदय बतायें कि योग्य अध्यापकों की जरूरत नहीं है। अध्यापक अल्प संख्यक स्कूलों में किस प्रकार से, किस आधार पर नियुक्त किये जायेंगे। अल्प-संख्यकों द्वारा जो स्कूल चलाये

जा रहे हैं उनमें अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन की प्रक्रिया दूसरी क्यों ? क्या मतलब है ? क्या आप चाहते हैं कि भाई-भतीजावाद चलता रहे। सारे के सारे मामले में आप अपने चंगुल में अध्यापक को रखना चाहते हैं, क्या आधार है ? यह माइनारिटी का जो अपवाद आप लाये हैं इससे अध्यापकों और स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का हित नहीं होगा। भावनात्मक, सेंटीमेंटल तरीके से वह आप असल में करना नहीं चाहते हैं। सारे के सारे स्कूल और कालेज जो इनके चल रहे हैं, इनके द्वारा संचालित हैं, यूनिफार्मिटी आनी चाहिये। यह सही है कि वहां विशेष एजूकेशन देना चाहते हैं, क्रिस्टियनटी को देना चाहते हैं या और को देना चाहते हैं तो एलाऊ कीजिये लेकिन माइनारिटी स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति और दूसरे अध्यापकों की नियुक्ति में अन्तर क्यों ? उनके प्रबन्ध में अन्तर क्यों ? इससे जो एक विशेष भावना समाज में बनी हुयी है उसको और मजबूत किया जा रहा है जो नहीं होना चाहिए था।

अगली बात धारा 16-चचच के सम्बन्ध में है जिसमें यह है कि अगर सरकार यह समझे कि अध्यापक और टीचर्स कुछ गड़बड़ करते हैं तो स्कूल की प्रापर्टी को वह अपने कब्जे में ले सकते हैं लेकिन इस धारा का सही इस्तेमाल किया जाय। लेकिन मान्यवर, जिस नियत से यह धारा बनायी गयी है वह ठीक नही है। टीचर्स भी अपने अधिकार के लिये ल सकते हैं। वह भी अपने अधिकार के लिये फाइट कर सकते हैं। इस प्राविजन से आपने बन्दिश में डाल दिया है। लिहाजा मान्यवर, यह धारा भी जिस नियत से रखी गयी है, वह ठीक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी इसके ऊपर विचार करके आवश्यक कार्यवाही करें।

*श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मन्त्री जी द्वारा जो यह शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 रखा गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं परन्तु साथ ही साथ इतना अवश्य कहूंगा कि 54 वर्षों के बाद 1921 में यह विधेयक बना था, और आज इतने दिनों के बाद होश आया है :—

बाद मुद्दत के होश आया है बन्दों को।

और विधेयक भी बनाया तो इस तरह से बनाया कि जाहिरा तौर पर देखने से जो अध्यापक वर्ग है वह भी खुश हुआ और प्रिन्सिपल बहुत ज्यादा खुश होंगे कि हमें रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है। मान्यवर, यह एक ऐसा मसला है कि कोई एक अन्धी थी जिसने वैद्य से इलाज कराया। वैद्य उसके घर का सामान बांध कर ले जाता था। जब बुढ़िया ने आंखें खोली तो देखा कि उसके घर का सारा सामान गायब था। तो उसने भगवान से कहा कि मेरी आंखें नहीं थी तो ज्यादा अच्छा था। इसी प्रकार अध्यापकों को जब मिला तो बहुत ही खुश थे। यह बोर्ड जो बना है पता नहीं कि वह आटोनामस बाडी के नाम से घोषित होता है या और नाम से। बोर्ड में 71 मेम्बर रखे गये, 22 प्राइवेट स्कूलों के प्रधानाचार्य और अध्यापक तथा ४ सरकारी स्कूलों के। इस प्रकार 26 को प्रतिनिधित्व दे दिया गया जिससे अध्यापक खुश हों कि बोर्ड में छा जायेंगे। प्रिंसिपल खुश होंगे कि वह अध्यापकों के ऊपर हो जायेंगे। 5 समितियां बनायी और समिति में एक प्रिंसिपल रहेगा और एक अध्यापक रहेगा। वहीं उनकी सीमा पर एक अंकुश लगा दिया गया कि जिससे उनका बहुमत न हो जाय। यह सब कुछ किया गया ठीक है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आयी कि अध्यापकों का प्रतिनिधित्व कुछ भी नहीं था और 11 हो गया। लेकिन 4 एम0एल0ए0 की जगह पर 11 क्यों नहीं हो गये ? यह क्षेत्रवाइज और मन्डलवाइज बनाते तो एक-एक एम0एल0ए0 हो जाना चाहिए था। काउन्सिल के सदस्य 2 से कर दिये गये जो कि 5 किये जाने चाहिए। इसलिए उनको भी रिप्रेजेन्टेशन पूरा नहीं मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया]

मान्यवर, दूसरी बात यह कही गयी कि जिन्होंने संस्थायें चलाई हैं उनका सारा मैनेजमेंट छीन लिया जाय, उनको रिप्रेजेन्टेशन नहीं मिला तो यह उनके साथ धोखा हुआ। हम कहना चाहते ह कि मानना पड़ेगा कि प्राइवेट मैनेजमेंट ने सारे यू0 पी0 में शिक्षा का प्रसार किया क्या सरकार कर सकती है। एक भी हाई स्कूल या इन्टर कालेज नहीं चलता। रायबरेली में एक स्कूल खोला प्रिंसिपल मौजूद लेकिन चपरासी और अध्यापक नहीं हैं। प्राइवेट स्कूल किले जैसे हैं और सरकारी स्कूल में कुछ भी नहीं है। एक मछली सारे तालाब को गन्दा करती है। लेकिन यह नहीं होता है कि जिस मैनेजमेंट ने सारी संस्थायें चलाई हों, जिसने बहुत से अध्यापकों को रोजगार दिया हो जो कि सरकार नहीं दे सकती थी, उसके सारे अधिकार छीन लिये जायं। लेकिन अध्यापक खुश हो गये हैं कि सरकारी तौर पर वेतन मिलना शुरू हो गया है। अध्यक्ष महोदय, सब जानते ह कि जब रेल में भीड़ होती है तो सब चाहते हैं कि हम घुस जायं और अन्दर वाला कहता है कि अन्दर जगह नहीं है। जब बाहर वाला अन्दर चला जाता है तो वह कहता है कि इसमें जगह नहीं है। इसलिए जो बाद में घुसता है वह भी अन्दर जाकर मना करने लगता है। उसी प्रकार अध्यापकों ने किलेबन्दी कर ली कि अध्यापक अब नहीं लिए जायेंगे। 20 हजार ट्रेन्ड टीचर निकलता है बी0 टी0 सी0 आदि पास करके। तो वह कहां जायेगा? एक दिन यह किलेबन्दी टूट जायेगी। सरकार ने बैन लगा दिया है कि कोई पद सृजित नहीं होगा बिना सरकार की अनुमति से। इसलिए ऐसी परिस्थिति में जो आ गया वह आ गया, लेकिन आगे आने वाले का क्या होगा उसको किसी ने क्या सोचा है?

करीब 50 हजार ट्रेन्ड टीचर्स इस समय यू0 पी0 में खाली हैं तो इनका क्या होगा? आप किले का फाटक बन्द करके बैठ गये। मैनेजमेंट ने जितने भी स्कूल खोले और नये छोकरे उनमें रखे गये तो तीस साल बाद वह रिटायर होंगे। इसलिए रिटायरमेंट का भी अभी सवाल नहीं उठता। मैनेजमेंट को रिप्रेजेन्टेशन नहीं दिया गया तो यह गलत है। मेरी बहुत सी संस्थायें हैं। मैं पहला आदमी हूं यह कह रहा हूं कि सरकार को राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिए लेकिन साथ ही साथ अध्यापकों के लिए एक कोड बना देना चाहिए कि वह काम करें। मैं जानता हूं कि अध्यापक कितना पढ़ाते हैं। दोष लड़के को दिया जाता है कि वह पढ़ता नहीं और नकल करता है। लेकिन जब साल भर तक स्कूल में उसको पढ़ाया नहीं जायगा तो वह नकल नहीं करेगा तो क्या करेगा? कुछ तो अध्यापक ही लड़कों को नहीं पढ़ाते और कुछ लड़के भी इसलिए नहीं पढ़ पाते कि नई-नई राजनीतिक पार्टियों के जलसे, अधिवेशन होते हैं तो उनमें वे जाते हैं। फिर सिनेमा का इतना प्रचार है कि लड़के स्कूल से ही सिनेमा देखने भाग जाते हैं। इन चीजों पर आपने प्रतिबन्ध नहीं लगाया। जब परीक्षा होती है तो परीक्षक समझता है कि इतना हार्ड पेपर बना देना चाहिए कि अगर बिलायत का कोई आदमी उसे पढ़े तो समझे कि इतनी हार्ड परीक्षायें यहां होती हैं। लेकिन बाम्बे गवर्नमेन्ट ने कह दिया है कि वहां यह परीक्षा अमान्य है।

श्री ए0 सी0 ग्राइस—

उन्होंने इसलिए ऐसा किया है कि वहां फर्जी सर्टीफिकेट बन रहे हैं। यह जो कह रहे हैं कि यू0 पी0 बोर्ड का स्टैण्डर्ड गलत है इसलिए उन्होंने ऐसा किया है, यह गलत है। यह मिसलीड कर रहे हैं।

श्री मेघनाथ सिंह शिशोदिया—

अखबारों में जैसा आया वह सबको रोशन है, स्टैन्डर्ड जैसा है वह भी सबको रोशन है। पाठ्य-क्रम अपनी जगह पर सही है। हाई स्कूल में इतने उच्च स्तर का पाठ्य-क्रम बना दिया गया है कि जो पुराने पढ़ाने वाले अध्यापक हैं वह नहीं पढ़ा सकते। उन्हें रिफ्रेशर कोर्स देना ही होगा। फिजिक्स, कैमिस्ट्री, में नई-नई चीजें बढ़ गयी हैं। साइन्स का स्टैन्डर्ड बढ़ा देने का यह नतीजा निकला है कि दो साल पहले जितने लड़के साइन्स लेते

थे अब बहुत कम लड़के साइन्स ले रहे हैं। यह बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सरकार को, इस ओर ध्यान देना चाहिये। यह सीधी सी बात है कि ज्ञान और विज्ञान रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। अंग्रेजी जमाने में जो चीज हो गयी कि हाई स्कूल और छः साल बाद एम0 ए0 हो जायगा तो आज भी वह चीज चल रही है और गागर में सागर भरा जा रहा है। इतना ज्ञान का विस्तार हो गया और उतने ही सालों में उपाधियां दी जा रही हैं। मेरा सुझाव है कि हाई स्कूल तक एक ही साइड होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपका इन्टरमीडिएट ऐक्ट बना। पहले हम सुनते थे कि पांच बोर्ड बनेंगे और हर रीजन में अलग-अलग हो जायेंगे लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह सब धोखा था। केवल इलाहाबाद में ही उसका दफ्तर रहेगा और वहीं बोर्ड कायम रहेगा और उसी के अन्तर्गत सारा कार्य होगा। मेरठ में उसके दफ्तर कायम कर देने का वायदा यह सब धोखा और वही से 10 लाख लड़का परीक्षा देगा और अगर एक पेपर आउट हो जाता है तो लाखों रुपयों का बोर्ड का नुकसान हो जाता है और सारी मशीनरी बेकार हो जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं दूसरी जगह बोर्ड के दफ्तर कायम होने का नहीं है।

जैसा मैंने कहा, हमारा जो पाठ्य-क्रम है वह तो अपनी जगह पर सही है, लेकिन जैसा अंग्रेजों के जमाने में होता था, चौथा पास करने के बाद दूसरी में दाखिल होता था, वरनाक्यूलर मिडिल पास करने के बाद छठी क्लास में दाखिला होता था। और इस तरह के कम से कम 17 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल पास करता था उससे पहले नहीं। आज तो 14 वर्ष में भी इन्टरमीडिएट बोर्ड ने बैन लगाया है, वरना आज लड़का 13 वर्ष की उम्र में हाई स्कूल पास करने को तैयार है और ६ वर्ष में एम0 ए0 पास करने के बाद उसकी उम्र 19 वर्ष की हो जाती है। और जो उसका दिमाग शिक्षा अर्जन में लगना चाहिये, उस समय, उसका दिमाग खाली रहता है। और दूसरी खुराफातों में उसका दिमाग रहता है। इस समय इतना अधिक कोर्स बढ़ा दिया गया है, इसलिए कम से कम 16 साल से पहले लड़के को हाई स्कूल पास नहीं करना चाहिए। पहले 6ठे वर्ष में लड़का प्रवेश पाता था कक्षा में और अब 4थे वर्ष में ही बच्चा पढ़ने बैठ जाता है तो उसका ब्रेन उतना बढ़ नहीं पाता है और इसी लिये परसेन्टेज के हिसाब से उतने इन्टलेक्ट नहीं निकलते हैं जितना पहले निकलते थे।

जब आप शिक्षा में एक-रुपया लाने की बात कह रहे हैं तो अल्प-संख्यकों के स्कूलों को अलग प्रतिनिधित्व, अलग उनकी चयन-समिति, उनके लिये अलग स्टैन्डर्ड निर्धारित करने की बात, तो यह तो एक प्रकार से भेद-भाव कायम करना हुआ। एक तरफ तो आप यह चाहते हैं और जिसके लिये आपने 6 जून को आर्डीनेन्स जारी किया ताकि कहीं हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज में भाई-भतीजा वाद न फैले, दूसरी तरफ आप क्लीयर शब्दों में अल्प-संख्यक संस्थाओं में भर्ती का अधिकार मैनेजमेंट को दे दिया है। जब उनको अधिकार है तो वह उन्हीं को भर्ती करेंगे और भाई-भतीजावाद फैलेगा और इस तरह से अच्छे टीचर नहीं आ पायेंगे। और जैसा मैंने अभी कहा कि नये पद सृजन पर पाबन्दी लगा दी गई है, कोई नई संस्था भी नहीं खुलेगी और इस तरह से जो मान्यता समिति है वह बेकार रहेगी। नई संस्थाओं को रिकगनिशन नहीं मिलेगा और मिलेगा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मैं जानता हूं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सन् 1973 से केसेज प हुये हैं। तो एक प्रकार से रिकगनीशन कमेटी का बनना मखौल सा है। रह गया एग्जामीनेशन कमेटी का सवाल। परीक्षा समिति में पहले यह होता था कि जो परीक्षा समिति का मेम्बर बन जाता था उसके पीछे सैकड़ों टीचर की भीड़ लग जाती थी कि उनको भी परीक्षक बना दे और वह वोट दिलवाने में मदद करेंगे। अब तो वह सवाल है नहीं क्योंकि बोर्ड ने रेम्युनरेशन बन्द कर दिया इसका नतीजा यह होगा कि जैसा थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि कमेटी में जो नहीं आयेगा तो उसको तो एलाउन्स मिलेगा नहीं बल्कि कट अलग से जायेगा। परीक्षा में यह देखा गया है कि इनविजीलेशन के लिये पहले 5-5 रुपया या 3-3 रुपया मिलता था, अब उसका दुष्परिणाम यह निकलेगा कि कोई भी व्यक्ति घर से एक एप्लीकेशन लिखकर

[श्री मेघनाथ सिंह शिशौदिया]

भेज देगा कि उसको दस्त आ रहे हैं और परीक्षा में आने से असमर्थ हैं। मैं यह कापी नहीं जांच सकूंगा। इसका उल्टा परिणाम निकलेगा। मन से वह अध्यापक कापी नहीं जांचेगा। हाई स्कूल अथवा इन्टरमीडिएट की परीक्षा का काम अलग काम है, इसका रेम्युनरेशन जो रोका गया है उचित नहीं है। कापी जांचने का काम लिया जाना एक प्रकार से बेगार है। शासन ने जो अंकुश लगाया है वह शिक्षा की बेगार होगी।

एक साहब ने अध्यापक कास्टीट्युएन्सी तथा प्रधानाचार्य कांस्टीट्युएन्सी का नाम लिया है। इसे निश्चित रूप से अलग होना चाहिये वर्ना इसमें फितूर पैदा होगा। यह शंका व्यक्त की गयी है कि यह विश्वास दिला दिया गया है कि ये दोनों कांस्टीट्युएन्सीज एक होंगी तो मेरा कहना है कि किसी तरह के भी इनको एक नहीं होना चाहिए, ये दो ही रहनी चाहिए।

एक बात मुझे यह कहनी है कि सरकारी रिप्रेजेन्टेशन बहुत ज्यादा कर दिया गया है। बाज जगह यह खटकने वाला है। इलाहाबाद की एक विज्ञान संस्थान, साइकालोजी तथा ट्रेनिंग कालेज तीनों एक ही इमारत में हैं। इन सब मेम्बर्स को इसमें रिप्रजेंटेशन दे दिया गया है। अध्यापकों का एक प्रकार से सरकारी करण किया जा रहा है। सरकार ने बोर्ड पर, कागज पर, सेलेक्शन पर, समितियों पर, नये नियमों के बनाने पर यानी हर तरह के अपना नियन्त्रण कर रखा है। यह नियन्त्रण इतना नहीं होना चाहिये और सरकार को शिक्षाविदों पर भी शिक्षा के मामले में कुछ बातों को छोड़ देना चाहिये था। सरकारी कर्मचारी जो विभागीय कामों से घिरा रहता है उससे यह आशा करना कि वह शिक्षा के सम्बन्ध में नये-नये फारमूले बतलायेगा मुमकिन नहीं मालूम होता। वहां पर डायरेक्टर, इन्स्पेक्टर तथा अध्यापक सभी बैठे होंगे। वे कैसे उनके सामने अपनी राय दे सकेंगे? उनकी राय वही होगी जो डायरेक्टर साहब की राय होगी, हाथ उठाने वाली राय होगी। 5 का जो रिप्रेजन्टेशन इसमें दिया गया है सरकार को विश्वास हो जाय कि अल्पसंख्यकों का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो इसमें से उसकी पूर्ति कर ली जाय, जो हाउस से एम0 एल0 एज0 जायेंगे उसमें से कर सकती है। मेरा अपना सुझाव यह है कि सरकारी जो रिप्रेजेंटेशन रखा गया है उसे कुछ कम किया जाय और लेजिस्लेचर का जो रिप्रेजेन्टेशन है उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)--

मान्यवर, मैं अभी शिक्षा मन्त्री तथा अन्य सदस्यों की बातों को सुन रहा था माननीय शिक्षा मन्त्री ने इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य को बताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वह बहुत क्रान्तिकारी परिवर्तन करने जा रहे हैं। बात सही है। आपने अध्यापकों के संरक्षण के हेतु यह प्राविधान किया कि अनिश्चित काल के लिये उनका निलम्बन नहीं किया जा सकता।

(इस समय 1 बजकर 11 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए।)

और भी चीजों में परिवर्तन कर दिया लेकिन मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से बड़ी विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या आपका यह लक्ष्य पूरा होगा? हमारे देश की बदलती हुई राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में संशोधनों को लाकर शिक्षा के लक्ष्य को पूरा करती है जो आज देश की जनता इन शिक्षा संस्थाओं से अपेक्षा रखती है? आपको मालूम है कि हमारे देश की शिक्षा नीति १८५७ यानी प्रथम स्वतंत्रता के युद्ध के पश्चात् अंग्रेजों ने इस ढंग से बनायी थी ताकि इस देश में उनका शासन चलता रहे और इस मुल्क के अन्दर ऐसे लोग पैदा होते रहें जो केवल क्लर्क या हुमपरस्त बनकर उनका शासन चलाते रहे। आपने बीच में भी संशोधन

किये। लेकिन आज का यह संशोधन जिसको आपने क्रांतिकारी कहा है, वर्तमान परिस्थितियों में इस प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है।

मान्यवर, मुझे इसे पढ़कर निराशा हुई और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बुनियादी नीति, जैसा कि हमारे कुछ माननीय मित्रों ने कहा, इसके पीछे कुछ अ चने हैं, आर्थिक कठिनाइयां हैं। बुनियादी सवाल यह है कि हमारे इस सदन में कई माननीय मंत्रीगण बैठे हुये हैं कोई नहर का निर्माण करता है, कोई नलकूपों का निर्माण करता है, कोई बांधों का निर्माण करता है लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री जी शिक्षा जगत में इन्सानों का निर्माण करते हैं। अगर आप इस देश की ५६ करो जनता को बनाना चाहते हैं जो कि संवैधानिक लक्ष्य आपका है, तो उसके लिये आपको शिक्षा जगत में बुनियादी परिवर्तन करने प ेंगे। समाजवादी लक्ष्य को पूरा करने के लिये समाजवादी दृष्टिकोण आपको अपनाना प ेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी आपके पास मशीनरी है, कौन से साधन हैं जिनके जरिये आप ऐसे इंसानों को पैदा करेंगे जो इन लक्ष्यों को पूरा कर सकें। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी काफी तरुण हैं। सोवियत रूस आदि देशों का दौरा करने के बाद, वहां की शिक्षा-पद्धित को देखने के बाद हमको आशा थी कि वे वास्तव में एक क्रांतिकारी संशोधन पेश करेंगे जिसका देश की जनता स्वागत करेगी लेकिन मैंने देखा और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मुल्क के अन्दर इस क्षेत्र में बुनियादी संशोधन की जरूरत है। आपकी शिक्षा का क्या लक्ष्य है? कैसें आप देश और प्रदेश को बनाना चाहते हैं? किस सांचे में आप इस देश को ढालना चाहते हैं?

मान्यवर, एक किताब छपी है—यू० एस० पैनिट्रेशन इन दि एजूकेशन सिस्टम आफ इंडिया। उसमें सब दिया हुआ है। मैंने अभी अंग्रेजों की शिक्षा नीति का जिक्र किया। शिक्षा जगत में जितने साम्राज्यवादी देश हैं, जितने फिरकापरस्त देश हैं उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है। मैं इस सदन में ब ेजोरदार शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन के अन्दर कौन सा ऐसा बार आपने लगा दिया। सरस्वती शिशु मंदिर जिनको आर० एस० एस० चला रहा था, वे बच्चों के अन्दर जहर फैला रहे थे और फासिज्म की ओर ले जा रहे थे, उन पर आपने बैन लगा दिया, बैन उन पर लगना चाहिये यह ठीक है। अब तक आप उनको मौका देते रहे कि वे नई पीढ़ी के दिमाग पर इस तरह का जहर घोलते रहे। उन पर आपने बैन लगाया। लेकिन उन अध्यापकों को केवल जेल भेज देने से या उन स्कूलों के प्रशासन को हाथ में लेने से लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर आपका प्रशासन यह देखे कि जितने भी लोग आर० एस० एस० के हैं, मुझे व्यक्तिगत अनुभव है कि जितनी एक्टीविटीज इन शिक्षा संस्थाओं के अन्दर होती हैं वह केवल वहां के अध्यापकों को जेल भेज देने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आप छटनी करिये, उसके लिये रिपोर्ट मंगवाइये और जितने ऐसे लोग हैं जो आर० एस० एस० के सदस्य इन शिक्षा संस्थाओं में थे, उनको अविलंब बरखास्त कर दीजिये। शिक्षा जगत में ऐसे लोगों का पैनिट्रेशन नहीं होना चाहिये जो कि इस शिक्षा जगत में जहर फैलाते हैं। हमारे मित्र ने एक बात और जो बताई कि आपने धारा में संशोधन किया है उसमें 30, 35 आदमियों की जगह आपने अब 71 आदमियों की फौज कर दी है यह एक बुनियादी बात है इस पर शिक्षा मंत्री जी इस बिल को पारित कराने से पहले विचार करें और इसके कांस्टीट्यूशन में, इसके फोरमेशन निश्चित रूप से परिवर्तन करें।

आपने डिमक्रेटिक सिस्टम का भी इसमें हनन किया है और 70 लोगों में मान्यवर, 40 लोगों को आप नामजद करेंगे और केवल 30 लोग इलेक्टेड होंगे। तो यह कहां की डिमक्रेसी है, यह कौन सा जनतंत्र है? कैसी संस्थायें आप बनाना चाहते हैं? दूसरा इसमें हमने देखा है कि आपने उद्योगपतियों को भी प्रतिनिधित्व दिया है। लेकिन हैरत की बात है कि इस मुल्क के जो 86 फीसदी आदमी हैं जो गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं या दफतरों में छोटे कर्मचारी हैं या चपरासी हैं उनके प्रतिनिधित्व की आवश्यकता आपने नहीं समझी है। आप एक तरफ समाजवादी समाज की रचना का नारा देते हैं, कल ही आपने

[श्री देव कुमार यादव]

एक सूक्ष्म संकल्प पारित किया था शहरी संपत्ति की सीमा के बारे में जो आपने केन्द्र को भेजा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहां पर आपकी जो वह नीति है वह कहां चली गई? आपकी यह नीति जो है वह क्या श्रमपरस्त नीति है या पूंजीपरस्त नीति है जो कि आप 86 प्रतिशत आदमियों को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि 86 प्रतिशत नहीं बल्कि 90 और 95 प्रतिशत वह लोग हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय यादव जी, आप जो शब्द 'आप' इस्तेमाल कर रहे हैं इसका आशय मुझसे है या माननीय मंत्री जी से है ?

श्री देव कुमार यादव—

आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं। तो मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहा था कि यह जो आप एक नई शिक्षा नीति बना रहे हैं जिसमें श्रमिकों, कृषकों और छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो उससे आप छात्रों में अनुशासन कैसे लायेंगे ? छात्रों की समस्याओं को समझने के लिये उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं रखा गया है। शायद यह दलील दी जा सकती है कि आजकल इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा तक लड़के मेजर नहीं होते हैं, यानी 18 साल तक के नहीं होते हैं तो उनको कैसे नामजद किया जा सकता है। तो मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि थोड़े दिन पहले जो राजनैतिक आन्दोलन या जो गड़बड़ियां यहां हो रही थीं उसमें कौन लोग थे, कितने ऐसे लोग थे जो 18 साल से ज्यादा उम्र के थे ? तो मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिये आप उसमें उम्र का प्रतिबंध लगा दें। ऐसा नहीं हो सकता है कि 18 साल की उम्र वाले कोई छात्र न मिले और अगर न मिले तो जो समझदार छात्र हैं जो अपनी समस्याओं को रख सकते हैं उनको रखें। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी शिक्षा नीति आप प्रदेश को दीजिये, ऐसा बुनियादी परिवर्तन कीजिये जो बदलती हुई राजनीतिक और आर्थिक हालत में नया समाज बना सके, समाजवादी समाज की रचना कर सके। आप आज इस बात को देखें जब तक शिक्षा जगत में बुनियादी परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक सही इंसान बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप इस देश में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इस देश को बना नहीं सकते। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975 पर बोलने और उसका समर्थन करने का सुअवसर मुझे दिया। मान्यवर, इस विधेयक में यह प्रयास किया गया है कि वर्तमान समय में इटरमीडिएट कालेजों और हाई स्कूलों को चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें परीक्षा सम्बन्धी जो समस्याएं हैं, उनका समाधान इस विधेयक के द्वारा किया जाए। इसमें एक बोर्ड का भी गठन किया गया है और सबसे प्रमुख बात यह है कि डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र जो फर्जी, गलत तरीके से दिये जाते थे, उनको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है और इसका अपराध सिद्ध होने पर दोषी को तीन वर्ष तक की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की व्यवस्था की गई है। चयन समिति बनाई गई है, जिससे अध्यापकों की नियुक्ति में होने वाली धांधली समाप्त हो जाए। निजी शिक्षा संस्थाओं में एक अव्यवस्था यह थी कि वे अध्यापकों से देय धनराशि की प्राप्ति पर हस्ताक्षर करा लेते थे, लेकिन उनको वेतन कम देते थे, उसे भी इसके द्वारा दूर कर दिया गया है। प्रयास किया गया है कि प्रदेश की जनता की जो शिक्षा सम्बन्धी समस्याएं हैं, उनको दूर करने में उच्च कोटि की व्यवस्था हो। फिर भी यह विधेयक निर्दोष नहीं कहा जा सकता है। जैसे, बोर्ड में 71 आदमियों की फौज खड़ी कर दी गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। 71 आदमियों की बैठक में आप क्या निर्णय ले सकेंगे, यह समझ में नहीं आता है। इसमें विशेष कृपा इलाहाबाद पर की गई है....

श्री उपाध्यक्ष—

आपके संगठनों में भी तो बहुत भीड़ होती है।

श्री देवबहादुर सिंह—

उसी प्रकार का निर्णय करना चाहते हैं, तो दूसरी बात है। लेकिन यदि कोई पाजिटिव निर्णय लेकर शिक्षा संस्थाओं को अच्छी तरह से चलाने का उद्देश्य है, तो मैं कहूंगा कि इसमें मंत्री जी को काफी कठिनाई आएगी। इस में 5 को सीधे इलाहाबाद से ले लिया गया है, ये पदेन हैं, इन्हें नामनिर्दिष्ट करने की भी जरूरत नहीं है। खण्ड—3 में एक जगह है, जिनके द्वारा यह सदस्य चुने जाएंगे कि—

"(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट, दो प्रधान"; इसे भी निर्वाचन द्वारा आप कर देते, तो मैं समझता हूं कि आप पर कलंक न आता कि आपने किसी के साथ पक्षपात किया है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करें, ऐसा करेंगे तो यह जो दोष लगने की बात है, वह भी शायद दूर हो जाएगी। इसमें जैसा कि पहले लिखा है, दण्ड की व्यवस्था है, एक बात और बता दूं, इसमें यह कहीं नहीं लिखा है जो अनुदान आप निजी संस्थाओं को देते हैं, उसका दुरुपयोग हो जाए या जनता से प्राप्त चन्दे का दुरुपयोग हो जाए तो वह भी दंडनीय अपराध होगा। यह भी रख देते तो मैं कह सकता कि इससे लोगों में भय होता और संस्थाओं को लाभ होता। इस सदन में प्राय: सुनने में आता है कि कहीं-कहीं गबन हुआ और लोग इसे लिखकर लाते हैं, लेकिन उस पर शिक्षा विभाग कोई कार्यवाही करने में अपने को असमर्थ पाता है। वह कहता है कि आप निजी तौर पर पुलिस में रिपोर्ट करें या अन्य जो कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा अपनी शिकायतों का परिमार्जन कर लें। मैं चाहता हूं कि इस चीज का भी इसी में समावेश हो जाता तो अच्छा होता क्योंकि आप उनको सरकारी अनुदान देते हैं।

एक बात और कहूंगा कि जो अनुदान दिया जाता है फर्जी वाउचर बना कर उसका व्यय दिखला दिया जाता है, अनुदान प्राप्त करने के लिये। आपके विभाग में लोग आते हैं। उसका प्रतिशत बंधा हुआ है कि इतना प्रतिशत देने पर इतना अनुदान मिलेगा। जितनी निजी संस्थाएं हैं, शिक्षा विभाग में आते हैं, हर काम के लिये अलग—अलग फीस बंधी हुई है। जब तक वह दक्षिणा न दी जाय किसी का काम हो नहीं सकता। मैं नहीं जानता कि आपत्तकालीन स्थिति का असर इस विभाग पर प ेगा या नहीं। आज तक हमने कभी नहीं सुना कि शिक्षा विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी भ्रष्टाचार में, या अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही की गयी हो। मैं नहीं जानता कि मंत्री जी कितना अपने को सक्षम पा रहे हैं उसके दोष को दूर करने में। लेकिन प्रत्येक जगह यह चर्चा है। शिक्षा विभाग में इतना भारी जाल है जिसका भेद करना असम्भव सा लगता है। कोई काम मंत्री जी भी नहीं जानेंगे और विभग अपने आप कर देता है। कोई ट्रांसफर कराने आये, पैसा दीजिये ट्रांसफर हो जायगा। जो सबसे भ्रष्ट कर्मचारी या पदाधिकारी होगा उसको पदोन्नति दी जाती है। जिस प्रदेश का शिक्षा विभाग इतना भ्रष्ट हो उससे हम उम्मीद करें कि शिक्षा का प्रसार जनहित में होगा, उससे विद्यार्थियों का लाभ होगा? मैं यह मान नहीं सकता कि यह कभी सम्भव है। जितनी भी निजी संस्थाएं हैं चाहे कुछ भी कर लें, चाहे जितनी समितियां बनाएं, वेतन भुगतान की व्यवस्था कर लें, लेकिन वह दोष दूर नहीं हो सकता।

उसका एक विकल्प है कि सब का राष्ट्रीयकरण कर लें। जो अनुदान वह देते हैं, उससे कम में उनकी व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि जो पैसे का दुरुपयोग होता है अगर उसको

[श्री देव बहादुर सिंह]

हम देखें तो एक्सचेकर पर उतना भार नहीं पड़ेगा, यदि राष्ट्रीयकरण कर लें। नीति भी है सरकार की। जितनी निजी शिक्षा संस्थाएं चलती हैं वह इस लिये नहीं चलती हैं कि शिक्षा का प्रसार हो। निजी शिक्षा संस्थाएं कितने ही लोगों के लिये कमाई का साधन हैं, और कितनी ही निजी शिक्षा संस्थाएं राजनीतिक प्रचार और प्रसार के लिये बनायी गयी हैं। इसको माननीय मंत्री जी भी जानते होंगे। वह इस पर विचार करें और अगला जो संशोधन आये वह यह आये कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है जिसका सारे प्रदेश की जनता स्वागत करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, जहां तक इस विधेयक के द्वारा प्राइवेट मैनेजमेंट पर लगाम लगाने का कार्य है उसका हर व्यक्ति समर्थन करेगा। अभी एक माननीय मित्र ने कहा, प्राइवेट मैनेजमेंट के बारे में कह रहे थे। प्राइवेट मैनेजमेंट क्या है? उन्होंने शिक्षा का कामर्शलाइजेशन कर दिया है। अभी माननीय मित्र कह रहे थे कि मैनेजमेंट कमेटियों में किस तरह से गुटबन्दी है, किस तरह से टीचर्स के अप्वाइन्टमेंट में, टीचर्स का विक्टिमाइजेशन होता था, उसका इंतजाम किया इसमें हम सब लोग आपका समर्थन करते हैं। लेकिन यह प्रश्न नहीं है। प्रश्न बुनियादी है। बदकिस्मती यह है कि इस देश के अन्दर जो भी शिक्षा मंत्री रहा है, हर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे देश के अन्दर जो शिक्षा की पद्धति है बेकार है, एजूकेशनल सिस्टम राटेन है। डा० राधाकृष्णन से लेकर डा० जाकिर हुसेन तक सबने इस शिक्षा प्रणाली को गलत बताया है। जितने नेता रहे हैं और जितने विद्वान रहे हैं उन सभी ने इस प्रणाली को गलत बताया है। मान्यवर, हो क्या रहा है हाई स्कूल पास करने के बाद इन्टरमीडिएट करने के बाद, बी० ए० और एम० एस सी० पास करने के बाद जब एक नवयुवक निकलता है तो उसके सामने अन्धकार रहता है।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रीयकरण के बारे में। आपने अपने घोषणा-पत्र में इस बात को स्वीकार किया है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। आपने लगातार इस सदन में आश्वासन दिए हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। आपने इस सम्बन्ध में एक समिति भी गठित की है। इस समिति की बैठकें भी हुई हैं और उसकी सिफारिशें भी आ रही हैं। मैं समझता था कि आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करेंगे, लेकिन आप उसको भी टालते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार के खजाने में, राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद, कोई कमी आने वाली नहीं है और उस पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला नहीं है। आप देखते हैं कि प्राइवेट संस्थायें सरकार के अनुदान के भरोसे पर चल रही हैं। सरकार द्वारा जो धन उनको दिया जाता है उसका दुरुपयोग किया जाता है। अगर सरकार उनको अपने हाथ में ले ले तो कोई कठिनाई न होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण करना नहीं चाहते हैं।

इस विधेयक के अन्दर बहुत सी खतरनाक धारायें हैं। आपने जो बोर्ड गठित किया है, उस बोर्ड के अन्दर किन आदमियों को रखा है। आज तो अम्मार रिजवी साहब उस कुर्सी पर बैठे हुए हैं लेकिन अगर कोई आर० एस० एस० का आदमी आ गया तो शिक्षा का क्या होगा? इतना ही नहीं, आप एक तरफ कहते हैं कि प्रिन्सिपल को रखेंगे, अध्यापकों को रखेंगे और उद्योगपतियों को रखेंगे। आपने इतने बड़े-बड़े आदमियों की जमात बना दी है और आप देखेंगे कि बोर्ड के फैसले को सरकार रद्द कर सकती है उसको डाइरेक्शन दे सकती है। यह सरकार को अधिकार दिया गया है। सरकार का मतलब माननीय शिक्षा मंत्री जी नहीं है, माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं है, सरकार का मतलब उस अधिकारी से है जो डाइरेक्टर है या डिप्टी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डाइरेक्टर हैं। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता हूं। डा0 महेरोत्रा डाइरेक्टर आफ एजूकेशन हैं, उनकी सभी लोग तारीफ करते हैं। अगर डा0 मेहरोत्रा की जगह कोई आई0 ए0 एस0 व्यक्ति पहुंच गया तो उसकी कलम सर्वोपरि होगी।

मान्यवर, मान्यता समिति के अन्दर प्रिन्सिपल्स भी होंगे और अध्यापक भी होंगे और आपने यह भी व्यवस्था कर दी है इस सदन के माननीय सदस्य भी उस समिति के सदस्य होंगे। अगर मान्यता समिति कोई सिफारिश करती है तो इन अधिकारियों को यह अधिकार है कि वे इसका फैसला रद्द कर दें। पता नहीं इनका क्या अधिकार है। जिसमें इस प्रदेश के शिक्षा विद् होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे, जिनके ऊपर आप शिक्षा का भार देना चाहते हैं। आपने इसका ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दिया।

तीसरी चीज मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अध्यापकों के संगठनों के बारे में उनकी क्या राय है, ? मैं पर्वतीय अंचल से आता हूं। मान्यवर, टिहरी गढ़वाल के अध्यापकों की एक समस्या अभी तक लटकी हुई है, उनके प्रतिनिधि यहां पर महीनों से होटल में पड़े हुए हैं। वे लगातार माननीय शिक्षा मंत्री के दरवाजे खटखटाये जाते हैं, वित्त मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री के दरवाजे खटखटाते हैं लेकिन अभी तक भी उनकी समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कैबिनेट की एक सब–कमेटी भी बनाई, उसकी भी कई मीटिंग्स हो चुकी हैं लेकिन शिक्षा विभाग के जो नौकरशाह हैं, वे इस समस्या को हल नहीं करना चाहते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और हमारे मुख्य मंत्री भी इस मामले में मजबूर हैं। कितना बड़ा ब्यूरोक्रेटाइजेशन आपने कर रखा है? प्रश्न क्या है? अध्यापकों के जो नेता हैं, उन्होंने पुराने जमाने में एक पाप किया था कि अध्यापकों का उन्होंने एक संगठन बनाया, उनके लिये वे लड़ाई लड़ते रहे। पहले टिहरी में रियासत थी फिर जब वहां पर सरकार का नियंत्रण हुआ तो उस नेता को कभी कानपुर, कभी बिजनौर पटक दिया जाता रहा है। अब वे राम नगर में हैं। उन्होंने क्या कसूर किया है, अध्यापकों का संगठन किया? तो कम से कम 21 सूत्री कार्यक्रम की जो बात आप कह रहे हैं, आप कुछ नई नीतियां, कुछ नये समाजवाद की बात करें, जनता के जो प्रगतिशील संगठन हैं, आर0 एस0 एस0 के संगठन नहीं हैं प्रगतिशील जनता के संगठन हैं जिसमें हमारी पार्टी के और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उनके बारे में विचार करें। कम से कम उन नीतियों की जो पुराने रवइये हैं उनको खत्म किया जाय? अभी तक आपकी नौकरशाही का प्रहार दक्षिण पंथी के ऊपर था अब वाम पंथी के ऊपर हो रहा है। मेहरबानी करके आप अपनी नौकरशाही को समझा दीजिए कि जमाना बदल रहा है। जो भार 27 साल से हमारे ऊपर प ता आता है, उसको अब रोकिए। आप जो श्री बच्ची राम कंसवाल का फजीता कर रहे हैं, उसको समाप्त कीजिए, 27 साल तक जो हमारी पिटाई आपने की है, अब तो उसे खत्म कीजिए?

बाबू प्रभाकर सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिये और शिक्षा व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने के लिये उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

इस विधेयक के द्वारा यह आशा की जाती थी कि शिक्षा व्यवस्था में कोई नया क्रान्तिकारी परिवर्तन किया जायगा क्योंकि एक ओर जहां प्रदेश का शिक्षक संघ इस बात की मांग कर रहा था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाय, वहां दूसरी ओर शिक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि बदली हुई परिस्थितियों में शिक्षा व्यवस्था को इस प्रकार पुनसंगठित किया जायगा कि वह हमारी वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बन सके। मान्यवर, सम्पूर्ण विधेयक को देख जाने के पश्चात् आप इसी निर्णय पर पहुंचेंगे कि कोई ऐसे आमूल चूल परिवर्तन की बात इस विधेयक के द्वारा नहीं रखी गई है। मूलतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पुनःसंगठन की कुछ बातें ली गयी हैं और जैसा कि अभी हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने संकेत किया है, हमारा पुनसंगठन भी जितना संतोषजनक नहीं है जितना कि बदली हुई

[बाबू प्रभाकर सिंह]

परिस्थितियों में अपेक्षित थी। फिर भी इस विधेयक के अन्तर्गत अध्यापकों के चुनाव के लिये चयन समिति की व्यवस्था है, सेवा की शर्तों के लिये जो सुरक्षा प्रदान की गयी है, इसी तरह से स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में लगे हुए शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को वेतन देने की जो सुनिश्चित व्यवस्था की गयी है ये कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जो निश्चय ही स्वागत योग्य हैं।

अब मैं, मान्यवर, आपके द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान बोर्ड की माध्यमिक शिक्षा परिषद् के पुनर्गठन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। धारा 3 में कहा गया है कि "क" और "ख" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो प्रधान होंगे और राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट दो अध्यापक होंगे। मान्यवर, सरकारी संस्थाओं के जो प्रधान होंगे, जो अध्यापक होंगे जिन्हें बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जायगा उनके लिये इस विधेयक में अनुभव की कोई शर्त नहीं रखी गयी है। जहां समान काम के लिये समान वेतन की बात है, समान आर्थिक स्तर उठाने की बात है, मेरी समझ में नहीं आता कि अननुरक्षित संस्थाओं के अध्यापकों के लिये, प्रधानों केलिये तो 10 और 5 वर्ष का क्रमशः अनुभव मांगा गया है और सरकारी संस्थाओं में काम करने वाले प्रधान और शिक्षक के लिये ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गयी है। यह विचारणीय है और मैं आपके द्वारा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि या तो वहां भी अनुभव की बात न रखी जाय या इन दो धाराओं में भी अनुभव की बात होनी चाहिये।

इसी तरह से अगर इसकी ओर निगाह हम करें तो हमें मिलेगा "च" में, "छ" में और "ज" में कि जो भी विशेषज्ञ शिक्षा की इस नयी व्यवस्था के अन्तर्गत बोर्ड में रखे गये हैं उनके लिये किसी भी प्रकार के अनुभव का प्रतिबन्ध नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यह हमारी नीति उचित नहीं है। इसी तरह से "ग" और "घ" में कहा गया है कि 11 प्रधान और 11 अध्यापक शिक्षा समिति के सदस्य बनाये जायेंगे। अभी वाद–विवाद के दौरान इस बात की चर्चा आयी थी कि अध्यापकों और प्रधान के चुनाव के लिये संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था होगी। मैं यह समझता हूं कि संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था हमारे उन उद्देश्यों की कतई पूर्ति नहीं कर सकेगी जिनको सामने रखकर के इस परिषद् का हम पुनर्गठन करना चाहते हैं। मेरी तो स्पष्ट राय है और अनुभव है कि अगर इस प्रकार की कोई संयुक्त व्यवस्था की जायगी तो जाहिर है कि ऐसी व्यवस्था में अध्यापकों के प्रतिनिधि भारी संख्या में पहुंच सकेंगे और उन आचार्यों के प्रतिनिधि उन बोर्ड में नहीं पहुंच पायेंगे जिनके कि अनुभव की अपेक्षा बोर्ड में की जाती है। मेरा अनुमान है कि 11 प्रतिनिधि शायद इसी विचार से लिये जा रहे हैं कि हमारा पूरा प्रदेश 11 संभागों में बटा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसा विचार है तो मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक संभाग से एक अध्यापक और एक आचार्य लिया जाय जिसकी निर्वाचन व्यवस्था संयुक्त नहीं होनी चाहिये।

इसी तरह से मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान धारा 3 (ङ) की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस धारा में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट 5 अध्यापक होंगे कि जो कि विश्वविद्यालयों या उसी से संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों में काम करने वाले अध्यापक होंगे। ऐसी संस्थाओं में आचार्य भी काम करते हैं। उनका भी अपना अनुभव होता है। यह उचित ही होगा कि इस व्यवस्था के अन्तर्गत आचार्यों को भी नामनिर्दिष्ट करने में शामिल किया जाय। इसी प्रकार मैं उनका ध्यान इस धारा के अन्तर्गत उस उपधारा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिसमें तीन महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है। यह शिक्षा की बात है, यहां कोई राजनीति या सामाजिक प्रतिनिधित्व देने की बात नहीं है। इसलिये मैं यह अनुभव करता हूं कि जब (ण) के अन्तर्गत प्राचार्य महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा (ब) में राज्य सरकार द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका माध्यमिक शिक्षा परिषद् की सदस्या होंगी तो यह आवश्यक नहीं है कि तीन महिलाओं को राज्य सरकार नाम निर्दिष्ट करे। वैसे ही हमारे सदस्य यह बात कहते हैं कि बोर्ड बहुत भारी भरकम हो गया है, वह एक प्रकार की वाद विवाद सभा के रूप में हो जायगा और कोई काम नहीं कर सकेगा। मैं समझता हूं कि अगर यह प्रतिनिधित्व हटा दिया जाय तो इससे बोर्ड के कामों में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

इसी तरह से नियम 2, जिसमें कि अल्पसंख्यकों को धर्म या भाषा के नाम पर प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी है, के सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब हम वहां पर शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार करेंगे, शिक्षा के सिद्धान्तों के बारे में विचार करेंगे, वहां पर भाषा या धर्म के नाम पर किसी भी वर्ग के अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व देना हमारी शिक्षा नीति है उसके प्रतिकूल पड़ता है। मेरा विश्वास है कि इसमें जितने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जो विभिन्न संस्थाओं से आयेंगे उसमें ऐसे लोग जरूर पहुंचेंगे जोकि ऐसे समुदायों से सम्बन्धित होंगे जिनको प्रतिनिधित्व देने की बात इसमें उठायी गयी है। मैं समझता हूं कि इस तरह से अगर माध्यमिक शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया जाय तो वह ज्यादा उपयोगी हो सकेगा।

जहां तक इसकी कार्य-प्रणाली का सवाल है, मैं समझता था कि यह नयी व्यवस्था स्वशासी होगी, इसके निर्णय ऐसे होंगे जिन पर किसी दूसरी सस्था या अधिकारी का किन्हीं मानों में अंकुश नहीं होगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो पुरानी व्यवस्था है वह लगभग उसी रूप में ज्यों की त्यों रख दी गयी है। होना यह चाहिये था कि इस परिषद् के विस्तार से कुछ कुछ समितियां बनायी जातीं, उनकी कुछ जिम्मेदारी निश्चित की जाती और उनको शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने का अवसर दिया जाता और फिर हम सदन या शिक्षा विभाग के माध्यम से यह देखते कि वहां पर क्या हो रहा है। ऐसी कोई बात पुनर्गठन में नहीं की गयी है। केवल प्रतिनिधित्व पहले से अधिक संस्थाओं को दे दिया गया है।

अब मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री का ध्यान उन धाराओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं जिनमें अध्यापकों के चयन की बात कही गयी है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि अभी तक अध्यापकों के चयन की जो पद्धति थी उसमें इस विधेयक के द्वारा सुधार करने का प्रयास किया गया है। लेकिन फिर भी जो मुख्य बात है कि किस प्रकार के अध्यापक का चयन होगा उसके बारे में यह विधेयक चुप है। सन् 73 में विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के लिये जो विधेयक पारित किया गया था उसकी कुछ बातें इसमें अविकल रख दी गयी हैं। लेकिन उस विधेयक की ऐसी बातें जोकि अध्यापक के चयन में सहायक हो सकती थीं उन्हें अनदेखा कर दिया गया है। सन् 73 में जो विधेयक पारित हुआ था उसमें यह कहा गया है कि लगातार उच्च शिक्षा प्राप्त योग्य अध्यापक वह होगा जिसने द्वितीय श्रेणी से अधिक अंक प्राप्त किये हों। यहां पर चयन के लिये आपने विशेषज्ञों की समिति तो जरूर बना दी है, मगर न्यूनतम अर्हता जरूरी नहीं कर दी है। आपने इसमें यह रखा है कि कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो। मेरा निवेदन है कि न्यूनतम अर्हता को स्पष्ट किया जाना चाहिये। आज भी चोर दरवाजे से तथा नानाप्रकार से ऐसे लोग शिक्षा क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं जिनका शिक्षा से संबंध नाम मात्र का ही रहा है। महाविद्यालय की शिक्षा से मेरा सबंध काफी रहा है इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं। आजही मेरे पास एक सज्जन जो बी0 एस सी0 थे एक प्रार्थना-पत्र लेकर आये। उसमें तमाम गलतियां व्याकरण संबंधी तो थी हीं, उसमें कामा तथा विराम तक की तमाम गलतियां थीं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह उचित होगा कि इसमें अर्हता संबंधी प्रतिबन्ध को स्पष्ट कर दिया जाय। आज सारा देश यह अनुभव कर रहा है कि हम बहे जा रहे हैं, पर पता नहीं कहां और किधर जायेंगे, नाव हमारी कहां जाकर लगेगी। अगर शिक्षा की यही व्यवस्था चलती रही तो 15 वर्ष के अन्दर इसी सचिवालय के अन्दर, न्यायपालिका के अन्दर, कार्यपालिका के अन्दर, ऐसे लोग आसीन होंगे जिन्हें अपने कर्त्तव्यों का भी ज्ञान नहीं होगा और फिर उसका दोष शिक्षा संस्थाओं को दिया जायेगा। उनको इसके लिये जिम्मेदार ठहराया जायेगा।

एक सुझाव और देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है--"नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायेगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायेगा और वह उसे प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा।" जब

[बाबू प्रभाकर सिंह]

से 1958 का माध्यमिक शिक्षा (संशोधन) विधेयक पारित हुआ है तब से जिला विद्यालय निरीक्षकों के कार्यालय को काफी अधिकार दे दिये गये हैं और उसके कारण वहां पर भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया विहित करने की है, इसमें डाक से भेजने की व्यवस्था करें जमा करने की व्यवस्था न रखें।

इसमें मैंने यह भी देखा है कि अध्यापकों के चयन के बारे में अल्प संख्यकों को कुछ विशेष छूट दी गयी है। इसके पहले 1973 में जो विधेयक विश्वविद्यालय से संबंधित पास हुआ था उसमें यह व्यवस्था थी। वही इसमें भी रखी जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा जैसी संस्थाओं में भाषा का सवाल, धर्म का सवाल, या जाति का सवाल क्यों लाया जा रहा है। निश्चय ही हमारे संविधान में इनके लिये यह व्यवस्था है कि उनको संरक्षण मिलना चाहिये लेकिन जहां तक अच्छे अध्यापकों के चुनाव का सवाल है, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं प्रतीत होता है। मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहूंगा कि अगर हम इस प्रकार की कमजोरी दिखाते रहे तो यह एक ऐसी चीज है कि आगे चलकर हमें और व्यवस्थाओं में भी इसी प्रकार की छूट देनी पड़ेगी। आज भी सेना में भर्ती जो करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिये जो भर्ती होती है तो उसमें कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं रखते। विश्वविद्यालयों में जो चुनाव की व्यवस्था रखी गयी है वहां पर भी कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। यहां पर इस तरह का प्रतिबन्ध करके यह कहा जा रहा है कि संविधान में अल्पसंख्यकों के लिये विशेष छूट की व्यवस्था है। तो मैं उसी संविधान की उस धारा का मान्यवर, आपके माध्यम से स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जिसमें इस बात की कल्पना की गयी है कि सरकार इस बात के लिये प्रयास करेगी कि सारे देश के लिये एक सिविल कोड होगा, एक नागरिक विधि संहिता होगी। यह हमारा अन्तिम ध्येय होगा कि सारे देश की एक नागरिक विधि संहिता होगी। उस वह धारा के तहत इस विधेयक में जो प्राविधान किया गया है, जो पहले नहीं था, क्या उचित प्रतीत होता है? मैं ऐसा समझता हूं कि इस बात का समावेश भले ही हमें अल्पसंख्यकों को संतोष देने के लिये उचित प्रतीत होता हो, लेकिन इससे समाज में जो एक भेदभाव है वह बढ़ता चला जाता है और अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की भी भावना नहीं आती है। यह कदम सच्चाई से दूर है। आवश्यकता इस बात की है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक सम्पूर्ण राष्ट्र की धारा में बहें चाहे शिक्षा संस्था हो, चाहे शासन हो, चाहे राजनीति हो, उसमें वह काम करें। इसलिये मैं आपके माध्यम से इस धारा के सम्बन्ध में संशोधन करने के लिये माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं।

इसी तरह से अध्यापकों की सेवा शर्तों के बारे में जो थोड़ी बहुत राहत दी गयी है जैसे उनको अधिक दिनों तक निलम्बित नहीं किया जा सकेगा, निलम्बन के मामले को लेकर अदालतों में जाने से रोकने की जो व्यवस्था है आदि कतिपय ऐसी कुछ बातें हैं जिनका कि मैं स्वागत करता हूं। इन शब्दों के साथ इस विधेयक में जो कुछ ऐसी बातें थीं जिनकी ओर एक अध्यापक होने के नाते मैं यह अनुभव करता हूं कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षा मंत्री का ध्यान आपके माध्यम से आकृष्ट करूं मैंने आकृष्ट किया है और मैं आशा करता हूं कि इसमें अपेक्षित संशोधन करने पर हमारे शिक्षा मंत्री जी अवश्य विचार करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया है।

श्री ऊदल—

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो यह विधेयक प्रस्तुत किया है, इसमें कुछ चीजें तो अच्छी हैं लेकिन इससे शिक्षा के क्षेत्र में कोई समाधान नहीं हो सकेगा। श्रीमन्, असल में बात है दृष्टिकोण की। शिक्षा के बारे में हमारा दृष्टिकोण आज तक ठीक नहीं हो सका। और दृष्टिकोण कैसे ठीक होगा? दिक्कत यह है कि आज हम इस देश का विकास प्लानिंग के तरीके से कर रहे हैं और करना चाहते हैं। कभी-कभी उसका रूप भी हम अलग

अलग नामों से सम्बोधित करते हैं—कभी समाजवादी समाज, कभी कुछ और कभी कुछ। इस तरह से आप देखते हैं तो उसका परिवर्तित रूप दिखलायी देता है। आज बुनियादी तरीके से सोचने की जरूरत है। आज प्लानिंग का युग है, हम समाजवादी समाज बनाना चाहते हैं। तब उससे भी आगे जाकर के इस देश में जो वातावरण, विषाक्त वातावरण, जाति वाद का पैदा हुआ है, धर्म को लेकर पैदा हुआ है और बहुत सी चीजों को लेकर पैदा हुआ है, इस वातावरण को समाप्त करना होगा। जो हमारे समाज का वातावरण दूषित हो गया है उससे समाज को निकालना होगा और समता तथा एकरूपता लानी होंगी। समाजवादी समाज की स्थापना के लिये श्रीमन्, हमें शिक्षा को भी ठीक करना होगा। अगर हम शिक्षा में आमूल परिवर्तन नहीं कर सकेंगे, शिक्षा को ठीक से पूरे देश में बड़े पैमाने पर एकसी नहीं बनायेंगे तो श्रीमन्, इस देश का भविष्य कभी उज्ज्वल नहीं हो सकेगा। और श्रीमन्, न तो समाजवादी समाज, जाति विहीन, वर्गविहीन, समाज एक समता के समाज की स्थापना हम नहीं कर सकेंगे। जो सवाल है वह दृष्टिकोण का है। मैं समझता था कि माननीय शिक्षा मंत्री जी, वह मंत्री बनने के पहले हमारे मित्र थे यहीं वे डिग्री कालेज के प्रिंसिपल थे इस वक्त हैं कि नहीं यह मैं नहीं कह सकता। काफी पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति हैं।

मंत्री जी ने दुनियां के देशों का भी भ्रमण किया है और अभी इंग्लैंड तथा और देशों में जाने वाले हैं। मैं समझता हूं कि इसका कुछ असर तो पड़ना चाहिये। शिक्षा हमारी श्रीमन् क्या है? शिशु मंदिर चल रहे थे और कितने वर्षों से चल रहे थे। शिशु मंदिर में पढ़ने वाले लड़के अब नौजवान हो चुके हैं। वह श्रीमन् जहां गये, चाहे इंटरमीडिएट कालेज में गये या यूनीवर्सिटी में गये वहां उन्होंने उस वातावरण को विषाक्त किया। जिसका नतीजा क्या हुआ? तमाम टीचर्स को देख लीजिये, चाहे विश्वविद्यालय के हों या इन्टरमीडियेट कालेज के हैं, आर0 एस0 एस0 से प्रभावित उनकी विचारधारा है। क्यों है? उनको छूट इस तरह की दी गयी जैसी चाहे वैसी शिक्षा दो। तो इस तरह से जो हम देश में भले नागरिक, देश भक्त नागरिक बनाना चाहते हैं उस तरह के नागरिक तैयार नहीं कर सके। शिक्षा मंत्री जी को याद होगा। श्रीमन्, बहुत से लोग कहते हैं धार्मिक शिक्षा होनी चाहिये धार्मिक शिक्षा से कोई बहुत लाभ होने वाला नहीं है। बाबू सम्पूर्णानन्द जी थे। उसके बाद भी हमारे बहुत से माननीय सदस्य, कहते थे कि धार्मिक शिक्षा के बिना चरित्र निर्माण नहीं हो सकता। श्रीमन्, चरित्र अलग चीज है, वह एक किस्म की शिक्षा है। श्रीमन्, मैंने देखा मुझे भी 3 बार बाहर जाने का मौका मिला। रूमानिया को देखा, रूस को 2-3 बार देखने का मौका मिला। अभी आपकी कृपा से इसी साल जी0 डी0 आर0 भी जाने का मौका मिला। तो श्रीमन् चरित्र शिक्षा में देशभक्ति की शिक्षा है। मैंने देखा श्रीमन्, कोई भी लड़का, वहां, ऐसी शिक्षा दी जाती है कि जहां पर सजावट के लिये रास्ते में घास लगायी गयी है उस पर से रास्ता नहीं डालता। क्यों? हमारे यहां क्या है चाहे जितना बढ़िया सजा सजाया कोई बाग हो, घास हों, फूल पत्तियों की सजावट हो उसमें हम 10 रास्ते डाल देंगे, बरबाद कर देंगे। यहीं नहीं फूल जो सजावट के हैं उनको तोड़ लेंगे। यह बहुत छोटी-छोटी चीजें हैं। लेकिन इसकी वहां शुरू से ही, चरित्र की शिक्षा में एक आदर्श के रूप में उन्होंने, देशभक्ति के रूप में, पढ़ाया है। जिसका नतीजा यह है कि उन्होंने अच्छा नागरिक, देश भक्त नागरिक, एक देश से प्यार करने वाले नागरिक का निर्माण किया।

मान्यवर, दूसरी बात आपकी हालत ऐसी नहीं है कि रोजगारपरक शिक्षा कर दें, लेकिन उसकी तरफ हमारी शिक्षा होनी चाहिए। हमारे यहां की शिक्षा थ्योरी में है, प्रैक्टिस में नहीं है। लेकिन दूसरे राष्ट्रों में जो टेक्निकल कालेज हैं जहां 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देते हैं, हमने कई जगहों पर देखा कि थ्योरी के अलावा प्रैक्टिस में शिक्षा हर बच्चे को देते हैं। वहां कलेजों में मशीनरी का सामान होता है जिसको हर बच्चे

[श्री ऊदल]

को दिखाकर शिक्षा देते हैं। सिनेमा की तरह बटन को दबाकर बच्चों को दिखाकर शिक्षा देते हैं। इसलिये प्रैक्टिकल शिक्षा देने की आवश्यकता है। अत: जो आपने संशोधन पेश किया है इसमें मंशा पूर्ण नहीं होती, हालांकि कुछ चीजें अच्छी हैं।

श्रीमन्, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है लेकिन मुख्य मन्त्री जी काफी उससे बढ़कर घोषणा करते हैं। जिस तरह ढपोरशंख बोलता है। उसी तरह मुख्य मन्त्री जी से एक मांगों तो हजार देते हैं। वह चाहे पब्लिक में हो या यहां हो। उनकी और कांग्रेस की घोषणा अलग-अलग है। उधर से भी कोई विरोध नहीं है दूसरी सोशलिस्ट पार्टी भी उसका समर्थन करती है। सभी लोगों की और एसोशियेशन की मांग है कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण आप करलें तो आपको क्या आपत्ति है? सरकार पूरे वेतन की ग्रान्ट देती है, बिल्डिंग की ग्रान्ट देती है, साइन्स और खेलकूद के लिये ग्रान्ट देती है लेकिन उसका जितना दुरुपयोग होता है उसको सभी जानते हैं इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। शिक्षा किसके क्षेत्र में आती है इस पर विचार करना चाहिए। क्या शिक्षा राज्य के क्षेत्र में आती है कि नहीं? संविधान कहता है कि हर बच्चे को शिक्षा देना राज्य का परम और पुनीत कर्तव्य है। आज के 6 साल पहले इस परम और पुनीत कर्त्तव्य को लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया था कि 25 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्राइमरी में हो जाना चाहिए। इससे फर्जी नाम स्कूलों में लिखने लगे। आज देहात के स्कूलों की चेकिंग करें तो 25 प्रतिशत फर्जी नाम निकलेंगे। इसलिये फर्जी आंकड़े दिखा देने से और फर्जी भर्ती दिखा देने से काम चलने वाला नहीं है। संविधान कहता है कि राज्य की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे को वह शिक्षा दे। तो क्या वजह है कि हम प्राइवेट लोगों को जिस तरह चाहें उन्हें शिक्षा चलाने का अधिकार दे दें। यह बात सोचने की आवश्यकता है। मैं मन्त्री जी जानना चाहता हूं कि वह चाहते हैं कि जिस तरह से लोग चाहें उस तरह से शिक्षा को चलायें। क्या बड़े लोगों के बच्चे देहरादून या कान्वेन्ट में जाकर पढ़ सकते हैं और गरीबों के बच्चे उन स्कूलों में जहां कि न तो इमारत है, न टाट-पट्टी। शिक्षा में हमारी प्रगति तो हुई लेकिन उसका परसेन्टेज क्या है? अगर इन फर्जी आंकड़ों को भी शामिल करलें तो 40 फीसदी से आगे नहीं बढ़ सकते। इसमें लड़कियों का कितना है और लड़कों का कितना है? मैं आपके माध्यम से एक-एक जिले का नहीं, सिर्फ बनारस का पूछना चाहता हूं कि वहां देहाती क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा के बारे में आपने क्या किया है? वहां देहाती क्षेत्र में तीन चार हाई स्कूल के अलावा न तो प्राइवेट और न सरकारी ही कोई कालेज है। यह हालत है जबकि आप कहते हैं कि हम सबको शिक्षित करना चाहते हैं। अगर शहर की लड़कियों को निकाल दें तो देहाती क्षेत्रों के आंकड़े निकालें तो 4 या 5 परसेन्ट आयेगा। हमारे बहुगुणा जी उर्दू की बहुत चर्चा करते हैं। कुछ टीचर्स को भी म्युनिसिपल बोर्डों में पिछले साल रख दिया। क्या मैं जान सकता हूं कि देहाती क्षेत्र में उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं या नहीं? मैंने आपको पत्र भी लिखा था कि वाराणसी में बहुत से बड़े-बड़े गांव हैं जहां उर्दू पढ़ने वाले बहुत से बच्चे हैं उर्दू हिन्दी मिक्स प्राइमरी स्कूल खोलें। उसका नतीजा कुछ नहीं निकला।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उदाहरण देते हुए इस विधेयक पर भी बोलें।

श्री ऊदल—

मैं इसी पर बोल रहा हूं। यह जो संशोधन कर रहे हैं यह सिर्फ पैबन्द है। इनसे शिक्षा जगत में कोई आमूल परिवर्तन नहीं होगा। एक धारा 16(ङ) है। इसके बाद 16(चच) है। इसमें क्या परिवर्तन है। इसमें मैजनेमेंट का आदमी रहेगा। इसमें आपका डिप्टी डायरेक्टर जिसको नामीनेट करेगा दूसरे जिले से वह रहेगा। यह तो पहले से ही था। इसमें परिवर्तन क्या हुआ? मेरा तो यह कहना है कि जिस तरह से

पब्लिक सर्विस कमीशन है, या जिस तरह से यूनिवर्सिटी टीचर्स का सेलेक्शन होता है उसी तरह से होना चाहिए। शिक्षा आयोग का गठन होना चाहिये। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो पांच-पांच जिलों की चयन समिति बना सकते हैं। शिक्षा मन्त्री जी इससे डरते क्यों हैं? श्रीमन् 'केरल की सरकार ने एक बार इसी तरह का विधेयक बना दिया था। उन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन की तरह का एक आयोग बना दिया। वहां श्रीमन् क्रिश्चियनों ने तमाम स्कूलों पर कब्जा कर रखा था। वहां 1959 में आन्दोलन हुआ और उसमें हमारे कांग्रेसी भाई भी मिल गये। नतीजा यह हुआ कि वहां की उस समय की सरकार को हटना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार छोटे-छोटे संशोधन करके, पैबन्द लगाकर अगर शिक्षा मंत्री जी यह समझते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन हो सकेगा, ऐसा ख्याल उनका गलत है। अगर आप चाहते हैं कि योग्य अध्यापक, जिनमें क्षमता हो जो उस परिधि के अन्दर आते हैं, तो 16(ङ) और 16(चच) संशोधन से काम चलने वाला नहीं है। हमारे माननीय रिजवी साहब मित्र हैं और प्रोग्रेसिव भी हैं मैं उनसे यह आग्रह करूंगा कि वह अपने मुखारबिन्दु से यह कह दें कि सभी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण होगा तो बहुत अच्छा हो।

अभी एक भाई मैनेजमेंट की तरफ थे बोल रहे थे कि मैनेजमेंट को कोई अधिकार नहीं दिया गया और जो कमेटी बोर्ड की तरफ से गठित की गई हैं उसमें मैनेजमेंट की तरफ से भी कोई आदमी होना चाहिए, मेरा तो कहना यह है कि उसमें विद्यार्थियों को होना चाहिए, उसमें शिक्षा विभाग में जो फोर्थ क्लास के इम्पलाइज हैं उनको आप शामिल कर दें तो मैं ठीक समझूंगा। इसी तरह से जो चयन समिति का गठन हुआ है संशोधन करके, वह भी ठीक नहीं है और उसको भी बदलने की आवश्यकता है अगर राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है। शिक्षण संस्थाओं में योग्य अध्यापकों को रखने के लिए, सरकार को एक शिक्षा आयोग बनाना चाहिए।

मान्यवर, उद्देश्य और कारणों में लिखा गया है कि ".....वर्तमान माध्यमिक शिक्षा परिषद् में अध्यापकों का और विभिन्न शैक्षिक, तकनीकी और अन्य विशेषित संस्थाओं के प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने की व्यवस्था करके....." तो अगर शिक्षा मन्त्री जी यह समझते हैं और उनके दिमाग में यह बात है कि शिक्षा परिषद् में तकनीकी लोगों को रखकर कोई आमूल परिवर्तन हो जायेगा शिक्षा में, तो यह उनकी खाम-ख्याली है। उससे शिक्षा नीति में न तो थ्योरी में और न ही प्रैक्टिस में कोई परिवर्तन होने वाला है। उससे फायदा तभी होगा जब कि तकनीकी शिक्षा हम स्कूलों में शुरू करें और वह शिक्षा उद्योग परक शिक्षा हो ताकि इस प्रदेश के लड़के शिक्षा से निकलकर रोजगार प्राप्त कर सकें। यह सब चीजें अगर नीचे नहीं शुरू होगी तो बोर्ड में विशेषज्ञों के रख देने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं। कि उद्देश्य और कारणों में रख कर हम लोगों को भुलावे में मत डालिये कि तकनीकी और विशेषज्ञों के रख देने से सारी शिक्षा नीति बदल गई। उससे वह काम चलने वाला नहीं है। कुछ चीजें इसमें बहुत अच्छी रखी गयी हैं जैसे झूठे प्रमाण-पत्र देने वाली बात, मैनेजमेंट पर दबाव डालने वाली बात और सजा देने का अधिकार। लेकिन इसमें बहुत सी कमियां भी रह गयी हैं। अगर इस समय आप उनको दूर करने की हैसियत में न हों तो जो सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन पर विचार किया जाय और इसको इस देश की व्यवस्था के अनुकूल समाजवादी समाज की रचना के लिए, प्लानिंग के अनुकूल शिक्षा में एक रूपता लाने के लिये आपको एक व्यापक बिल लाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मन्त्री इन सुझावों पर विचार करके निकट भविष्य में, समाजवादी समाज की रचना हेतु, प्लानिंग को कार्यान्वित करने हेतु, एक अच्छा तथा देशभक्त नागरिक पैदा करने हेतु सदन में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेंगे जिससे अच्छा व देशभक्त नागरिक पैदा हो सकेगा जो चरित्रवान होगा और देश की रक्षा करके उसकी इज्जत को ऊंचा उठा सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करूंगा कि यह विधेयक महत्वपूर्ण है और बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। इसलिये वे थोड़ा कम समय लें तो अच्छा होगा।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र (जिला हमीरपुर)--

मान्यवर, जो माध्यमिक शिक्षा विधेयक मन्त्री महोदय ने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसमें जो विशेष बातें हैं जिनको मैं समझा हूं वह यह हैं--एक तो माध्यमिक शिक्षकों को संरक्षण देने वाली बात, माध्यमिक शिक्षा परिषद् को पुनर्गठित करने की बात--इन दो बातों को इसके द्वारा पूरा करने का प्रयास किया गया है। जहां माध्यमिक शिक्षकों को संरक्षण देने का सवाल है वहीं चयन समिति के द्वारा अच्छे अध्यापक लाने की बात भी सोची गयी है। यह प्रयास किया गया है कि उनकी सेवायें ऐसी रहें कि मैनेजमेंट उनमें मदाखिलत न कर सके। मैं समझता हूं कि आमतौर से कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को छोड़कर प्राय: सभी प्रधानाचार्य मैनेजमेंट के प्रभाव में होते हैं और जो प्रबन्धक होता है जैसा वह चाहता है वैसे ही प्रधानाचार्य को नचाता है। चयन समिति में प्रधानाचार्य और प्रबन्धक के अलावा बाहर के तीन विशेषज्ञ और हैं। यदि प्रबन्धक घाघ है तो चयन समिति के एक और सदस्य को तोड़ना उसके लिये मुश्किल नहीं है और फिर वह अपनी मर्जी के मुताबिक चयन करेगा। इस प्रकार जो संशोधन हुआ है उससे कुछ ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि प्रबन्धक जिसको चाहे उसको न ला सके ऐसा होने वाला नहीं है दरअसल सच्ची बात तो यह है कि प्रबन्धक समितियों पर नियन्त्रण रखने या उन्हें सरकारी नियन्त्रण में लाने की बात इस संशोधन में नहीं सोची गयी है। मैंने देखा है, बहुत सी प्रबन्ध समितियां ऐसी हैं जो कि अपना-अपना चयन स्वयं कर लेती हैं। मेम्बरशिप की छूट सबके लिए नहीं होती है। वे दूसरों की रसीद या दूसरों से चन्दा हासिल नहीं करत और इस तरह से बहुत दिनों तक एक ही मैनेजमेंट हावी बना रहता है। कालेज को अपनी मरजी से चलाते हैं। कुछ कालेज के मैनेजमेंट ऐसे होते हैं जिनको मान्यता प्राप्त होती है लेकिन वे स्कीम आफ ऐडमिनिस्ट्रेशन में परिवर्तन करके उसे अपने ढंग से और अपनी मरजी से चलाते हैं और विभागीय अधिकारी एक तरह से उसमें मदाखिलत नहीं करते हैं। इस वजह से आज व्यवस्था के स्थान पर अव्यवस्था होती है और मैनजमेंट स्वयं अपना इन्तजाम करती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे ऐसा प्रयास करें कि जिससे जहां ऐसा हो रहा है, वह न हो। कम से कम जिला विद्यालय निरीक्षक या उसके प्रतिनिधि को ऐसे अधिकार दिये जायं ताकि वे विद्यालयों में जिसमें चुनाव होता हो, मेम्बरशिप दाखिल होती है, ऐसी व्यवस्था करें कि जो विद्यालय मेम्बर बनना चाहता हो, वह बन सकें, प्रबन्ध समिति में भाग ले सकें।

जहां तक निरीक्षण का सवाल है, इस अधिनियम में अधिकारियों के निरीक्षण के बारे में जोर नहीं दिया गया है और उसके न होने के कारण जो अन्धेरगर्दी विद्यालयों में चलती है वह बराबर चलती रहती है। हमारे हमीरपुर जिले के भौदाई नेशनल इन्टर कालेज का जब से जन्म हुआ है तब से लेकर अब तक लगभग 2 हजार अध्यापकों की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं। वहां की आज की स्थिति यह है कि वह अपने मूल भवन से एक मील दूर पर लड़कियों का स्कूल चलाता है। उसको मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती थी क्योंकि वह व्यापार की तरह से चलता है। उसके अध्यापकों से मैंने पूछताछ की। अच्छे से अच्छे काबिल अध्यापकों को 30, 35, 40 रुपया दिया जाता है। वहां पर दो तरह के रजिस्टर रखे जाते हैं। एक नेशनल कालेज के नाम का है तथा दूसरा दूसरे नाम से है। वह विद्यालय बराबर चलता है। न जाने कितने विद्यालय निरीक्षक वहां गये और चले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आये, लेकिन आज भी दोनों विद्यालय चल रहे हैं। उसका अभी तक कोई प्रबन्ध नहीं हो सका है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि इस तरह के विद्यालयों को आप देखें। ऐसी संस्थाओं पर नियन्त्रण रखने की जरूरत है अन्यथा जो आपका लक्ष्य है वह पूरा नहीं हो पायेगा।

जहां तक बोर्ड का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अधिक डेमोक्रेटिक बनना चाहिए। आज ऐसा लगता है कि नामजदगियों की इतनी संख्या हो गयी है जिससे अध्यापकों के या प्रधानाचार्यों के प्रतिनिधि बनने पर उनकी आवाज टिकने वाली नहीं है। उससे प्रतिनिधियों की मदाखिलत होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद का जो काम है वह बहुत विशाल है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उसे सम्भाल नहीं पाती है। सिलेंवस समय पर नहीं निकल पाता है। पाठ्य-क्रम समय पर घोषित नहीं हो पाते हैं। आज भी जो हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट के हिन्दी के विद्यार्थी हैं या कुछ और विषयों के विद्यार्थी हैं उनको मालूम नहीं है कि कौनसा पाठ्य-क्रम या किताबें आ रही हैं। पूरी जुलाई बीत गई है वह व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई है। तो यह काम बहुत जल्दी निश्चित रूप से होना चाहिए।

इस अधिनियम में माइनोरिटीज के लिए, अल्प-संख्यकों के लिए जो अलग से व्यवस्था की गई है वह मैं समझता हूं बाजिब नहीं है। अन्धेर गर्दी वहां भी हो सकती है तो वहां मदाखिलत न हो वहां पर चयन समिति न हो या वहां पर अच्छे अध्यापक न जायं यह बात नहीं होनी चाहिए। इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था करना मैं समझता हूं कि एक अन्याय की बात होगी ?

यह कहना है कि शिक्षा में गिरावट आ रही है जैसा कि ग्राइस साहब ने कहा कि उसका कारण यह है कि अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं या वह दोषी हैं इस बात को मैं सही नहीं मानता हूं। यह बात स्पष्ट है कि विद्यार्थी जो हैं 3 या 4 घंटे विद्यालय में जाते हैं बाकी वह बाहर या अपने घर में समय बिताते हैं तो जो वातावरण बाहर या उसके घर में होगा उसका असर उस पर पड़ेगा। उसी से विद्यार्थी बनते हैं या बिगड़ते हैं। जो मां बाप ऐसे हैं जो अपने बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं या ज्यादा देखभाल करते हैं वह निश्चित रूप से अच्छे विद्यार्थी बनते हैं, होनहार बनते हैं। उसको ऐसा नहीं कहना पड़ता है कि विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है या अध्यापक नहीं पढ़ाते हैं।

जहां तक हमारे बोर्ड के स्टैन्डर्ड का प्रश्न है मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि हमारे इन्टरमीडिएट बोर्ड का स्टैन्डर्ड गिरा हुआ है। मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि यहां के बोर्ड का मापदन्ड दूसरे अनेक बोर्डों से अजमेर बोर्ड से या मध्य प्रदेश के बोर्ड से कम नहीं है। हमारे यहां जो लड़के परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं वह वहां जाकर अच्छी अच्छी श्रेणी में पास हो जाते हैं। इसलिए यह कहना कि माप दन्ड में गिरावट हुई है उचित नहीं है।

जाली सार्टिफिकेट जो इश्यू होते थे उन पर प्रतिबन्ध लगा कर माननीय शिक्षा मन्त्री ने बेहतर काम किया है। जहां तक राष्ट्रीयकरण का सवाल है उसमें जो अध्यापकों की मांग है कि उसको माना जाना चाहिए। यह जो प्रतिबन्ध लगा दिया गया है कि अब जो विद्यालय खुलेंगे उनको मान्यता नहीं दी जाएगी यह मैं समझता हूं कि शिक्षा के प्रसार को रोकने की बात है खास कर उन इलाकों के लिए जो पिछड़े हुए हैं जैसे हमारे बुन्देलखंड का इलाका है जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है ऐसे भू-भागों के लिए अन्याय होगा। वहां के लिए विशेष रियायत दी जानी चाहिए इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का ध्यान रखें वहां यह प्रतिबन्ध लागू न हो।

यहां पर हमारे माननीय सदस्य जो इसमें चर्चा कर रहे थे कहा कि अब अध्यापकों को अनिवार्यरूप से एनविजिलेशन करना पड़ेगा और उसके लिए उनको पारिश्रमिक नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं कि शायद ऐसा नहीं है। इसका स्पष्टीकरण माननीय मन्त्री

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र]

जी देंगे। यह जो अनिवार्य ड्यूटी बना दी गई है वह इस विचार से कि अध्यापक पहले जो आमतौर पर परीक्षा का बहिष्कार करते थे और कहते थे कि हम मूल्यांकन नहीं करेंगे उन पर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है उनको पारिश्रमिक नहीं देने की बात नहीं है।

एक बात मैं और मन्त्री जी से कहूंगा आपके माध्यम से कि आज भी बहुत से मामले शिक्षा विभाग में अनिर्णीत पड़े हुए हैं वह अनेक वर्षों से पड़े हैं, मैं नहीं समझता कि वह कौन सी बात है जिसके कारण ऐसा है। एक तरफ तो आप अध्यापकों की भलाई में लगे हुए हैं और उस के लिए बहुत से अच्छे-अच्छे कदम उठा रहे हैं और दूसरी तरफ उनके साथ जो पहले से अन्याय हुआ है, उसका फैसला न करके उनके साथ आप न्याय नहीं कर रहे हैं। एक बात और निवेदन करनी है जो विद्यालयों में अवकाश दिया जाता है उसके सम्बन्ध में आप शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर देते हैं और बेकारी दूर करना चाहते हैं, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आप दशहरे, दीवाली या वार्षिक छुट्टी देते हैं, उसे काम के समय पर दें यानी बुवाई और कटाई के समय पर दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो वह अपनी रुचि के अनुसार वहां पर काम कर सकेंगे। इससे जो आपका लक्ष्य है कि वह मिट्टी से प्रेम करने वाला हो, अध्यापक प्रैक्टिकल स्वरूप लेकर आए, तो इससे उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी और एक अच्छा कार्या होगा।

इन शब्दों के साथ मैं आपके संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री रामसमुझ तिवारी (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, भाषण तो बहुत हो गए, मुझे बहुत तो कहना नहीं है। केवल यही कहना है कि जो संशोधन विधेयक आप लाए हैं, उसको पास होना चाहिए। उसमें बहुत सी कमियां हैं, और कमियां तो तब तक रहेंगी जब तक यह सृष्टि रहेगी। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक कमियां रहेंगी। मनुष्य से गलतियां भी होती है भगवान से नहीं तो मनुष्य तो मनुष्य ही रहेगा, ब्रह्म नहीं हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी भी मूल कमियां हैं, जैसे जिसके लिये शिक्षा है यानी शिक्षा किस लिये है—शिक्षित करने के उसके लिए कोई ऐसा कानून न बने तो यह ठीक बात नहीं है। जाली सार्टीफिकेट देने पर तो सजा होगी, लेकिन जो प्राइवेट कालेज हैं, गैर सरकारी शिक्षा संस्थायें हैं नाम-मात्र की, क्योंकि उन्हें पैसा तो सरकार देती है। इसलिये उसको गैर-सरकारी केवल नाम को कहा जाता है, परन्तु उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक से लेकर अध्यापक तक पढ़ाई नहीं करते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते, रिजल्ट अच्छा नहीं होता तो उसके बारें में उनका इन्क्रीमेंट रुके, सजा मिले, दन्ड मिले, ऐसी कोई व्यवस्था इस विधेयक में नहीं की गई है। 'साम- दाम, अरु दन्ड विभेदा, नृपउर बसहिं नाथ कहि वेदा" तो राजदन्ड राजा के पास नहीं रहेगा, तो वही स्थिति होगी जैसे आज आखिर में आपातकालीन स्थिति आई। इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के दफ्तर में और लखनऊ के इसी सचिवालय में मैं बहुत से लोगों को सालों साल चक्कर लगाते देखता हूं, जिन्हें मैं पहचानता हुं, पता नहीं वह कैसे तनख्वाह अपनी बनाते हैं और कैसे इतनी-इतनी छुट्टियां पाते हैं, जो बराबर सचिवालय में बने रहते हैं और तनख्वाह वहां लेते हैं। बेल्सर, जिला गोरखपुर का एक गांव है। कूड़ा नदी के एक ओर मेरा गांव है और दूसरी तरफ वह गांव है, जहां एक स्कूल कागज पर चलाया जाता है। वहां पर कहा जाता है कि कोई कालेज चलता है। चार ऐसे स्कूल चलाकर 4 लाख रुपया सरकार का खा लिए। जैसे चीनी की दूकान हो गई। कोई चार बोरी लेकर दो बोरी दूकान पर बेच कर 2 बोरी चोरी में बेंच दे वह तो बेईमान और चोर कहा जाएगा लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चारों बोरी ब्लैक में बेच देते हैं, तो उनकी बेईमानी और चोरी का कुछ पता ही नहीं चल पाता है। उसी तरह के यह हमारे भाई लोग खा रहे हैं और सचिवालय में घूमा करते हैं। जैसे कि लाला ने अधिया पर भीख मंगाया था, वैसे फर्जी कालेज का अधिया इन्होंने ले लिया और अधिया यहां सरकारी अधि-

कारियों को दे दिया। कानून सब बनते हैं, लेकिन कानून मुर्दा है। पास में बन्दूक रखी है, लेकिन घोड़ा नही दगेगा तो डकैत लूट ले जायेंगे। कानून अच्छा बनेगा, लेकिन अमल नहीं होगा तो उससे कुछ नहीं होगा।

बस्ती जिले में उस्काबाजार के किसान इन्टर कालेज में 30 जून, 1972 को प्रधानाचार्य श्रीनिवास पांडेय रिटायर हो गये और पहली जुलाई से एक महीने के अन्दर कानून बना हुआ है कि प्रधानाचार्य क्लियर वैकेंसी में चुन जायगा। लेकिन तीन वर्ष हुए मामला लटका हुआ है। हीरामणि हाई कोर्ट से हार गया, सारी जगह से हार गया। डिप्टी डाइरेक्टर का आर्डर अपनी जगह पर मौजूद है, हीरामणि पांडेय, कार्यवाहक प्रधानाचार्य मथुरा प्रसाद पांडेय प्रबन्धक के सगे चाचा जात भाई हटा दिये गये। आज तक हटे नही। मैं नहीं जानता कि कानून क्यों बनता है? लोग शिक्षा– मत्री को कहते हैं कि फारेन गये हैं। फारेन का कोई जमाना रहा होगा। अब इंग्लैन्ड वगैरह का कोई महत्व नहीं रह गया है। भारतीय संस्कृति वह संस्कृति है जिसने हमारे देश में कपिल, कणाद, ऋषि गौतम को पैदा किया। क्यों विदेशों की तरफ जाते हैं? हमारे आदर्श बहुत ऊंचे हैं। हमारे शिक्षा मन्त्री विद्वान हैं, प्रिंसिपल हैं, और डाइरेक्टर की सभी तारीफ करते हैं। वह भी विद्वान हैं। ब मधुरभाषी हैं। लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। काम हुआ नही जिसके लिए कानून बना है। आज तक हीरामणि इस सरकार की छाती पर कोदों दर रहा है। कानून सब मौजूद हैं, परिणाम कुछ नहीं होगा जब तक सरकार उस पर अमल नहीं करेगी। हाय रे इन्दिरा गांधी एक ही कदम में सारे भारत को शान्त कर दिया।

अमेरिका ने कहा कि भाई हम नहीं बोलेंगे। इंग्लैन्ड ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे। इतने मन्त्री बैठे हैं, शिक्षा मन्त्री बैठे हैं, अपना काम नहीं कर पाते। एक प्रिंसिपल को नहीं निकाल पाते जो गलत तरीके से कानून के खिलाफ बैठा हुआ है। मेरा केवल इतना मतलब है कि आप जांच कर लें कि कितने ऐसे विद्यालय हैं जो चलते नहीं, जिले में हैं, सारी ग्रान्ट वह खा गये। एक सदस्य ने कहा कि माननीय मुख्य मन्त्री ढपोरशंख हैं। वही माननीय मुख्य मन्त्री के कमरे में जाते हैं और जयराम जी करके काम पहले करा लेते हैं। माननीय मुख्य मन्त्री जितना रुपया है उतना ही बांटेंगे। माननीय मुख्य मन्त्री ने सब पैसा स्कूलों को दे दिया। रिजवी साहब और मेहरोत्रा साहब हमेशा यह समय नहीं रहेगा बड़े-बड़े शिक्षा मन्त्री, विद्वान आये हैं और चले गए हैं। समय को न गंवाओं। जल्दी से काक करो; क्यों कि समय नहीं रुकता है, हम भले ही रुके रहें। जो कानून बना है उस पर अमल नहीं करना है तो गोरख धंधा न करो, इस दूकानदारी को न करो।

*श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया। जो माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं उन्होंने इसकी अच्छाइयों और बुराइयों पर प्रकाश डाला है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब शिक्षा के विषय में कोई विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर शिक्षा की दृष्टि से विचार व्यक्त किये जाते हैं। सारे देश में जो शिक्षा की पद्धति है, उसमें सारा देश परिवर्तन चाहता है। और ऐसा परिवर्तन चाहता है है कि विद्यार्थी जब स्कूल से निकले तो वह नौकरी की तालाश न करे। हम चाहते हैं कि शिक्षा का सब से पहला परपज जीवकोपार्जन होता है, लेकिन हमारे यहां शिक्षा व्यक्ति को जीवकोपार्जन के बजाय हाथ पैरों को बेकार कर देती है। जो आदमी पढ़ लिख गया है किसी काम का नहीं रह जाता है। सिवा नौकरी के वह कुछ नहीं कर पाता है। यह वास्तव में सोचने की बात है। इस अवसर पर यह चर्चा इतनी विशद रूप से नहीं की जा सकती है, यह जो विधेयक माननीय शिक्षा परिषद् को एक दिशा देने के लिए बनाया गया है मै शिक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला]

मन्त्री जी को बहुत धन्यावाद देता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने एक विशद रूप में इस विधेयक को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ ग बड़ियां हैं। इसको छोटे रूपसे बड़े रूप में लाया गया है। कक्षा एक से कक्षा 12 तक शिक्षा सें ठीक ढंग से संचालन के लिए इस विधेयक को लाया गया है।; इ समें शिक्षकों के प्रतिनिधि, प्रधानाध्यपकों के प्रतिनिधि डिग्री कालेज के अध्यापकों के प्रतिनिधि, टेकनिकल स्कूलों के प्रतिनिधि और महिलाओं के प्रतिनिधि रखे जायेंगे। इस इस प्रकार से हर वर्ग के व्यक्तियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिए जाने की इसमें व्यवस्था की गयी ह। ऐसा करके कोशिश यह की गयी है कि सारे प्रदेश की शिक्षा सम्बन्धी समस्यायें हल हो सकें और उनका समाधान हो सके। ऐसी व्यवस्था की गयी है जिससे हमारी शिक्षा को गति मिले। इस विधेयक में खूबी यह है कि समितियों का गठन भी किया गया है। इसमें पाठ्य-क्रम और परीक्षा समितियां मुख्य हैं। जिला स्तर पर छोटी-छोटी समितियां बनायी जायेंगी। तो यह जितनी जल्दी बन जाये उतना ही अच्छा है।

मेरा एक सुझाव है कि एक क्वेश्चेनेयर तैयार किया जाये और उसकी एक प्रति शिक्षाविदों को भेजी जाये तथा जो व्यक्ति रिटायर हो गये हैं और उनका शिक्षा से गहरा सम्बन्ध रहा है उनको भी उसकी प्रति भेजी जाये और उनके बहुमूल्य सुझाव मंगाये जाएं। इससे हमारी इन समितियों को बहुत अच्छे सुझाव प्राप्त हो सकेंगे और किसी निर्णय पर पहुंचने में सहायता मिलेगी। नियुक्ति के लिये बाहर से लोग आयेंगे और इसमें बड़े-बड़े शिक्षाविद होंगे। यह एक बहुत ही अच्छा काम है इससे नियुक्ति में किसी तरह का पक्षपात नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में योग्य और अनुभवी व्यक्ति आ सकेंगे। इस तरह से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। इस तरह से बहुत सी बुराइयों को दूर करने का प्रयास इस विधेयक में किया गया है।

मान्यवर, अब मैं प्राइवेट विद्यालयों के बारें में अपने सुझाव देना चाहता हूं। वहां के कर्मचारियों और अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन नहीं मिल पाता है और इसके साथ ही साथ उनसे वेतन पाने के रजिस्टर अधिक धन पर हस्ताक्षर कराये जाते हैं और वास्तविक धन जो उन्हें दिया जाता है वह कम दिया जाता है। इस प्रकार उनका शोषण किया जाता है और उनका मन शिक्षा में लगता नहीं है। इस विधेयक में इसीलिए सरकार ने यह व्यवस्था की है कि उनका वेतन बैंक से दिया जायेगा, जिससे प्रबन्धकों को इस तरह की अनियमिततायें करने का अवसर न मिले।

मान्यवर, इस विधेयक में कुछ सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा में तब तक सुधार नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें दन्ड और पारितोषिक की व्यवस्था नहीं की जाती है। दन्ड का मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया जाए। मेरा दन्ड से मतलब यह है कि उसके वेतन की बढ़ोत्तरी रोक दी जाए, अगर ठीक से कार्य नहीं हो रहा है तो मनेजमेंट को भंग कर दिया जाए अगर कोई धन सम्बन्धी ग बड़ियां हैं तो उसकी ग्रान्ट को बन्द कर दिया जए। इससे बहुत सी बुराइया अपने आप दूर हो जायेंगी। पारितोषिक का मेरा मतलब यह नहीं है कि किसी कर्मचारी को धन दिया जाए। अगर किसी कर्मचारी का कार्य अच्छा है तो उसे एक दो इन्क्रीमेंट दे दिए जाने चाहिये। मेरा मतलब यह नहीं कि दन्ड और पारितोषिक केवल शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाये बल्कि सभी नौकरियों में इसकी व्यवस्था की जाये तो कार्य में कुशलता आवेगी। उनका इनिरिश-एटिव क्या रहेगा अगर वे ठीक काम करते हैं और उनको कोई पारितोषिक नहीं देता है? कोई भय क्या खायेगा अगर उसको दन्ड नहीं दिया जाएगा?

एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि इन्टरमीडिएट कालेजेज में हम पैनल बनाते हैं और दूसरे कालेजों के अध्यापक और प्रधानाध्यापक उसके इन्सपेक्शन के लिये जाते हैं। अगर इस पैनल प्रणाली को आप बेसिक स्कूलों में भी कर दें तो क्या अच्छा

हो ? देखने में आता है कि जितने हमारे डिग्री कालेजेज हैं, उनमें अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनका वेतन-क्रम अच्छा होता है, उनमें लाइब्रेरी भी अच्छी होती लेकिन बेसिक स्कूलों की ओर हम कम ध्यान देते हैं। जितनी बड़ी संस्थायें हैं, उनमें उतनी ही सुविधायें हैं और जितनी हमारी छोटी संस्थायें हैं, बेसिक जूनियर स्कूल्स आदि हैं, उनमें कम। मेरी प्रार्थना है कि पैनल प्रणाली को आप बेसिक, जूनियर और हायर सेकेन्डरी स्कूल्स में भी लागू करें। उसका मतलब यह होगा कि एक स्कूल के अध्यापक या प्रधानाध्यापक यदि दूसरे स्कूल में जायेंगे और मुआयना करेंगे तो अवश्य सुधार आएगा।

एक बात मुझे और इस सम्बन्ध में कहनी है। इस समय आपने दो परिषदें बना दी हैं, एक बेसिक शिक्षा परिषद् और दूसरी माध्यमिक शिक्षा परिषद्। उनको एक कर दिया जाना चाहिए। न जाने कब और क्यों सरकार ने इनको अलग-अलग करने की घोषणा की ? इन दोनों के डायरेक्टर भी एक ही होने चाहिए। बेसिक शिक्षा में 1 से 8 तक की शिक्षा होती है और हायर सेकेन्डरी में 8 से 12 तक। तो यह उचित ही होगा कि यदि इन दोनों परिषदों को एक कर दिया जाय और फिर जिला स्तर पर और खंड स्तर पर समितियों का निर्माण हो, तभी अच्छा काम हो सकता है।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, शिक्षा जगत में काफी अर्से से शिक्षा प्रणाली को, शिक्षा के प्रबन्ध को तब्दील करने की ख्वाहिश रही है। मैं यह समझता हूं कि शिक्षा के विषय पर पीछे भी इसी सदन में चर्चा भी हुई थी। मान्यवर, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विधेयक लाने के पहले हम यह सोच लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से रोग हैं और उनका क्या निदान है ताकि जो विधेयक आता वह बहुत ही सुन्दर होता। शिक्षा जगत में यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश पीरियड से आज तक शिक्षा प्रणाली में जितनी भी हमारी प्राइवेट संस्थायें हैं जो मजहबी संस्थायें हैं, इलाकाई संस्थायें हैं, या किसानों की संस्थायें हैं उन्होंने काफी महत्वपूर्ण पार्ट अदा किया है और उसका ही यह कारण है कि ब्रिटिश पीरियड से जो शिक्षा मिलती रही, वह बाबू ही बनाती रही। इसके बाद शिक्षा में हमने परिवर्तन लाने की कोशिश की। कितने अधिक स्कूल बने, जब स्कूल्स बहुत बढ़े तो टीचर्स भी बढ़े और हमारे बच्चे पढ़ने वाले भी बढ़े हैं, लेकिन किसी ने भी कोई कन्सट्रक्टिव काम नहीं किया हालांकि इस हाउस में, देश और प्रदेश में भी अनेकों नेताओं ने शिक्षा के बारे में अपने-अपने विचार रखे। समानता की शिक्षा देना बच्चों को बहुत जरूरी चीज है जब हम अपने देश को एक लाइन पर ले जाना चाहते हैं तो हमें वैसी ही शिक्षा भी अपने बच्चों को देनी चाहिए। एक बागवान जो पौधा लगाता है, उसे सींचता है, वह यह जानता है कि उसमें कैसे-कैसे फूल खिलेंगे, कौनसा सुगंधित होगा, कौनसा सुन्दर होगा ठीक उसी प्रकार के हमें भी अपनी संस्थाओं को देखना होगा। अभी तक देखने में यह आया है कि जो रोग इसके अन्दर आ गये हैं, उनकी ओर हमने कम ध्यान दिया है। वे रोग इलाकाई रोग हैं, कौमों के रोग हैं और दूसरे तरीके के रोग हैं। हमने नेशनलाइजेशन की ओर ध्यान नहीं दिया है। एक जगह पर एक किस्म की शिक्षा दी जाती है, जिसमें बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं जो कम्पनी बागों के फूलों की तरह खिल सकें और दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जो टाट पट्टी वाले स्कूलों में पढ़ कर कुछ नहीं बन सके, गलियों में घूमते फिरते हैं। तो यह एक रोग था जिसकी तरफ ध्यान होना चाहिए, लेकिन इस विधेयक में जहां मन्त्री जी ने प्रबन्ध की तरफ बहुत ध्यान रखा, हम समझते हैं कि यह भी बहुत बड़ा रोग था। आपने टीचर्स, प्रोफेसर्स को और दूसरी अन्य आर्गेनाइजेशन्स को भले ही सन्तुष्ट कर दिया कि वह प्रबन्ध में शामिल हो जायं। लेकिन जो उमरदराज लोग बैठे हैं उन से मैं पूछता हूं कि क्या उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, प्रबन्धकों को रखना इसमें कितना जरूरी था ? मैं अपनी बात जानता हूं कि पेशावर से लेकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

हरियाणा तक सारे इन्स्टीट्यूशन्स पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे होते थे और बड़ी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आज शिक्षा की प्रणाली को इतना विस्तार दे दिया गया, लेकिन अनुशासन बिलकुल खराब है। किताबों की हालत यह है कि जो "गुलिस्तान" हम शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ रहे थे आज सियासी आधार पर या किसी को धन कमवाने के लिए शिक्षा प्रणाली के अन्दर किताबों में बार-बार परिवर्तन कर दिया जाता है। भले ही हम समर्थन करने वाले इस का समर्थन कर रहे हैं लेकिन इतनी लम्बी जहां आपने प्रबन्ध कमेटी बनायी है उसमें या तो शिक्षा प्रणाली को प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स से ले लेते तो अच्छा था और अगर ये हैं तो फिर प्रबन्ध समिति को उनमें बिलकुल शामिल न करना यह कुछ अच्छा दिखलाई नहीं देता, क्योंकि यही लोग होते हैं जो दाम देने वाले हैं और जो रन करने की कोशिश करते हैं।

एक प्वाइन्ट और उठाना चाहता हूं कि कमेटियां जो 5 बनायी गयीं, मैं हैरान हूं कि खेल-कूद की कमेटी क्यों गायब है? उसको बिलकुल ही गायब कर दिया। वैसे तो 80 परसेन्ट स्कूलों के पास मैदान नहीं हैं। प्राइवेट संस्था वाले कमरों में स्कूल खोल लेते हैं, कमाई का धंधा करना चाहते हैं और आज तो इंडिविजुअल इन्सान ही स्कूल खोल रहे हैं और एक प्रोफेशन कायम हो चुका है। तो खेलों के मैदान तो हैं नहीं साथ ही कमेटी के अन्दर उसका प्राविजन भी नहीं है। क्योंकि तालीम के जरूरी दूसरी चीजों के साथ बच्चों को खेलों के सामान और मैदान की जरूरत होती है। वैसे ही टीचर्स खेलों के रुपये को हजम कर जाते हैं। तो जरूर इसमें खेल-कूद कमेटी को शामिल करना चाहिए मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री अम्मार रिजवी—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने तमाम साथियों जिन्होंने इस विवाद में हिस्सा लिया, बहुत कृतज्ञ हूं कि शिक्षा के ऊपर काफी व्यापक रूप में प्रकाश डाला गया। शिक्षा एक ऐसा व्यापक विषय है कि जिसके ऊपर जितना भी विवाद किया जाय, जितनी भी बातें कही जायं वह कम हैं। मैं बहुत गौर से अपने दोस्तों की बात सुन रहा था। कुछ चीजें ऐसी लगीं कि या तो समझा नहीं पाये या कुछ दूसरे तरीके से उनको देखा गया। सबसे पहली आपत्ति जो की गयी वह बोर्ड के फार्मेशन पर की गयी कि यह बहुत बड़ा बोर्ड है, यह ऐसा बोर्ड है जो डिबेटिंग सोसाइटी हो जायगा, जो इस काबिल नहीं रहेगा जहां पर फैसले लिये जा सकें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। इन्टरमीडिएट बोर्ड दुनियां की सबसे बड़ी एग्जामिनिंग बाडी है जितने लोग यहां पर बैठते हैं बोर्ड में वह संसार में किसी एग्जामिनिंग बाडी में नहीं बैठते। आवश्यक था कि इतने बड़े बोर्ड में सभी क्लासेज के इन्टरेस्ट को वहां पर रिप्रेजेन्ट किया जाय। तो वहां पर जैसा तरीका हो सकता था, अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जहां हमने एक तरफ यह ध्यान दिया है कि शिक्षा को शिक्षाविदों के हाथ में दिया है वहां वोकेशनल ट्रेनिंग, जाब-ओरिएंटेड एजूकेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाय इस ख्याल से उसमें टेक्निकल लोगों को रखा है। वहां पर इस बात का भी ख्याल किया है कि महिलाओं और तमाम सब लोगों को रखा जाय। उद्योगपतियों के सिलसिले में कुछ आपत्ति की गयी। लफ्ज "उद्योगपति" नहीं रखा गया है बल्कि उद्योग से सम्बन्धित रखा गया है। वह मजदूर भी हो सकता है और वे सभी लोग हो सकते हैं जिनका उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध है। तो यह समझना कि यहां किसी उद्योगपति को लाया जायगा सच नहीं है। इसी तरह से यह भी कहा गया कि इसके अन्दर माइनारिटीज की बात रखना गलत है। सिर्फ माइनारिटीज की ही बात नहीं है बल्कि पिछड़े वर्ग के लोग और वह लोग जिनका प्रतिनिधित्व बोर्ड में नहीं है, हमारे वीकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सेक्शन्स आफ दि सोसायटी को सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है ऐसे तमाम लोगों को बोर्ड में जगह देने की बात कही गयी है ताकि वह लोग देखें कि जब हम सेक्युलर बातें कर रहे हैं तो जो चीज आगे एजूकेशन में लायें वह ऐसी होनी चाहिये जो सेक्युलर हो और समाजवादी हो।

इसी तरह से कहा गया कि करीकुलम की कोई बात नहीं कही गयी। मैं स्पष्ट यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक आपके सामने प्रस्तुत है यह कोई ऐसा विधेयक नहीं है जो अन्तिम बात हो, जिसको पारित करने के बाद फिर किसी बात की आवश्यकता नहीं रह जायगी। दुनियां की कोई चीज पूर्ण नहीं होती। उसमें हमेशा गुन्जाइश और चीजों को शामिल करने की रहती है। यह विधेयक कुछ चीजों को ले कर बनाया गया है। यह विधेयक इसलिये बनाया गया है कि टीचर्स का रिप्रेजेन्टेशन बोर्ड में हो सके। यह विधेयक इसलिये बनाया गया है कि जिन लोगों के हाथ में शिक्षा है वह ऐसे होने चाहिये जो समाज को कुछ नया स्वरूप दे सकें। यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि नित्य प्रबन्धक लोग एजूकेशन में जिस प्रकार की धांधलियां करते थे वह न कर पायें। मैंने अर्ज किया था कि प्रबन्धक लोगों ने शिक्षा की सेवा की है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शिक्षा को कमर्शियलाइज भी किया है। तो जहां पर ऐसी प्रवृत्तियां हों, जहां शिक्षा को दुकानदारी बनाने की बात हो वहां अंकुश लगाने की जरूरत थी। यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि सस्पेन्शन की जो बात थी, जब जी चाहा किसी टीचर को अलग कर दिया उस पर रोक लगायी जा सके और मैनेजमेंट को मनमानी न करने दिया जाय। सरकार को अधिकार होना चाहिये कि जो आदमी हटाया गया है वह सही हटाया गया या ऐसे ही हटा दिया गया है। जो लोग फर्जी सार्टिफिकेट दे देते थे उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई नियन्त्रण नहीं था। तो कुछ चीजें सामने थीं जिनकी वजह से यह विधेयक लाया गया। जैसे स्थानीय निकायों को सरकार की सैलरी डिस्बर्समेंट स्कीम में नहीं रखा गया। जब हम उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में और डिग्री कालेजों में तनख्वाह देते थे और वह संस्थायें जो स्थानीय निकायों में चलती थीं उनमें तनख्वाहें नहीं दी जाती थीं तो उनको शिकायत होती थी। यह एक ऐसी बात थी जिसे शासन ने महसूस किया।

मेरे एक मित्र ने यह भी आपत्ति की जहां पर ज्यादा फीस लेने के ऊपर प्रतिबन्ध लगाया गया है उसमें कोई पेनल क्लाज नहीं रखा गया। तो मैं अपने मित्र का ध्यान सफा 3 पर खंड 6 के अन्तर्गत धारा 7 (घ) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कम से कम 1 हजार रुपया जुर्माना और 3 साल की सजा हो सकती है।

किताबों के नेशनलाइजेशन की बात भी आयी। हमारे एक मित्र ने बहुत सही बात कही कि अगर हम रोज किताबें बदलते रहेंगे तो इसका भार अभिभावकों, छात्रों और समाज पर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखा गया है कि किताबें नेशनलाइज की जाएं। और पूरे प्रदेश में जो हजारों किस्म की किताबें चलती हैं इनको भी कम किया जा रहा है ताकि यदि किसी का एक जगह से ट्रान्सफर दूसरी जगह हो जाता है तो उसे वहां दूसरी किताबें न मिलें। एक सी किताबें हर जगह रहें। यह तमाम चीजें थी जिनके लिये यह विधेयक लाना पड़ा। बहुत सी बातों की जानकारी शासन को नहीं थी, उनका पता आज माननीय सदस्यों के भाषणों से चला, बहुत से बहुमूल्य सुझाव भी सामने आये, उस सब के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। उम्मीद करता हूं कि यह विधेयक हमारी आखिरी मंजिल नहीं है। आगे बढ़ने की तरफ हमारा एक कदम है। समाजवाद की तरफ हम जा रहे हैं, यह हमारा कमिटमेंट है कि हम समाजवादी व्यवस्था देश में लायेंगे। यह कहा गया कि अगर गैरसमाजवादी सरकार आ गयी तो इसका इस्तेमाल करेगी, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूं कि अब भारतवर्ष की जनता बहुत होशियार हो गयी है, प्रतिक्रियावादी और दक्षिणपंथी शक्तियों का मुकाबला करने के लिए, इसलिये उनकी शंका निर्मूल है। ऐसा मौका अब नहीं आयेगा कि रिएक्शनरी लोग सत्ता में आयें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि यह सदन इस विधेयक पर विचार करे और इसे पारित करे।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2—23

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2, 1921 की धारा 2 का संशोधन

2—इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में—

(i) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ख) 'संस्था' का तात्पर्य मान्यता प्राप्त इन्टरमीडिएट कालेज, हायर सेकेन्डरी स्कूल या हाई स्कूल से है, और, जहां सन्दर्भ से ऐसा अपेक्षित हो, इसके अन्तर्गत संस्था का भाग भी है, और 'संस्था के प्रधान' का तात्पर्य ऐसी संस्था के, यथास्थिति, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक से है;"

(ii) खण्ड (खख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(खख) 'निरीक्षक' का तात्पर्य, यथास्थिति, जिला विद्यालय निरीक्षक से, और बालिकाओं के लिए संस्था की स्थिति में, सम्भागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वाहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भी है;"

(iii) खण्ड (खखख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"(ग) 'विहित' का तात्पर्य विनियमों द्वारा विहित से है।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाये, अर्थात्:—

"3—(1) बोर्ड में एक सभापति (जिस पद को निदेशक पदेन धारण करेगा) और निम्नलिखित अन्य सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट, दो प्रधान;

(ख) राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित संस्थाओं के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, दो अध्यापक;

(ग) राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के, ऐसे क्षेत्रों से और ऐसी रीति में जो विहित की जायं, निर्वाचित ग्यारह प्रधान:

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह संस्था का स्थायी प्रधान न हो और उसका अनुभव संस्था के प्रधान के रूप में (अस्थायी रूप से धारण किए गए पद की अवधि को भी सम्मिलित करते हुए) कम से कम (कुल मिलाकर) पांच वर्ष का निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को न हो;

(थ) राज्य सरकार द्वारा अननुरक्षित संस्थाओं के, ऐसे क्षेत्रों से और ऐसी रीति में, जो विहित की जाय, निर्वाचित ग्यारह अध्यापक :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति इस खण्ड के अधीन निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह स्थायी अध्यापक न हो और उसका अध्यापन का अनुभव (अस्थायी रूप में सेवा की अवधि को भी सम्मिलित करते हुए) किसी संस्था में कम से कम (कुल मिलाकर) 10 वर्ष का निर्वाचन के दिनांक के पूर्ववर्ती 30 जून को न हो ;

(ङ) उत्तर प्रदेश में विधि द्वारा स्थापित [कृषि या अभियन्त्रण (इंजीनियरिंग) विश्वविद्यालय से भिन्न] विश्वविद्यालयों या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय (कालेज) के, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, पांच अध्यापक ;

(च) कृषि में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अध्यापक ;

(छ) अभियन्त्रण में शिक्षा देने वाला और विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध या सहयुक्त किसी महाविद्यालय में सेवा करने वाला, राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अध्यापक ;

(ज) मेडिकल कालेज का राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक आचार्य (प्रोफेसर) ;

(झ) राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य ;

(ञ) राज्य विधान परिषद् के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित तीन सदस्य ;

(ट) शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, पांच व्यक्ति ;

(ठ) महिला शिक्षा से सम्बद्ध, राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन महिला ;

(ड) प्राविधिक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन ;

(ढ) उद्योग के राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट, तीन प्रतिनिधि ;

(ण) प्राचार्य (प्रिंसिपल), महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद, पदेन ;

(त) निदेशक, राजकीय विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद, पदेन ;

(थ) प्राचार्य, राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्था, इलाहाबाद, पदेन ;

(द) प्राचार्य, राजकीय शिक्षा संस्था, इलाहाबाद, पदेन ;

(ध) प्राचार्य, राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, पदेन ;

(न) निदेशक, मनोविज्ञान केन्द्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, पदेन ;

(प) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय-संगठन, नई दिल्ली, पदेन ;

(फ) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक जिला विद्यालय निरीक्षक ;

(ब) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक संभागीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका ;

(भ) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली का, उसके द्वारा नाम-निर्दिष्ट, एक प्रतिनिधि;

(म) बोर्ड का सचिव, पदेन, जो बोर्ड का सदस्य-सचिव होगा।

(2) राज्य सरकार अल्प संख्यकों (चाहे धर्म या भाषा पर आधारित हो) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का, जिसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से अन्यथा नहीं हुआ है, प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिये पांच व्यक्तियों से अनधिक को बोर्ड का सदस्य नाम-निर्दिष्ट कर सकती है।"

धारा 4 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में—

(क) उपधारा (1) में शब्द "पदेन तथा आमेलित सदस्यों" के स्थान पर शब्द "पदेन सदस्यों" रख दिए जायं ;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्: —

"(2) बोर्ड का कोई सदस्य जिस हैसियत से वह निर्वाचित या नाम-निर्दिष्ट किया गया हो उसकी समाप्ति पर ऐसा सदस्य न रहेगा और उसका स्थान तदुपरान्त रिक्त हो जाएगा।"

धारा 7 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 7 में —

(i) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात् :—

"(1) हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं के लिए शिक्षा की ऐसी शाखाओं में, जिन्हें वह उचित समझे, पाठ्य-क्रम, पाठ्य-पुस्तक, अन्य पुस्तक और शिक्षण सामग्री, यदि कोई हो, विहित करना ;

(1-क) ऐसे पाठ्य पुस्तक, अन्य पुस्तक या शिक्षण सामग्री में सब या किसी का, दूसरों का पूर्णतः या अंशतः अपवर्जन करके या अन्यथा, प्रकाशन या निर्माण" ;

(ii) खण्ड (7) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाय, अर्थात् : —

"(7) अपनी परीक्षाओं के परिणाम का पूर्णतयः या अंशतः प्रकाशन करना या रोकना।"।

नई धारा 7-क, 7-ख, 7-ग और 7-घ का बढ़ाया जाना

6—मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् : —

मान्यता के लिए राज्य सरकार का अनुमोदन

"7-क—धारा 7 के खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड का कोई आदेश किसी संस्था को पहली बार या किसी नए विषय या वर्ग में या उच्च कक्षा के लिए मान्यता देने के बारे में तब तक प्रभावी न होगा जब तक कि राज्य सरकार ने उसका अनुमोदन न कर दिया हो।

डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र को अप्राधिकृत रूप से प्रदान करने का प्रतिषेध

7 ख—कोई व्यक्ति किसी डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र या अन्य दस्तावेज को प्रदान, अनुदान या जारी नहीं करेगा या प्रदान, अनुदान या जारी करने के लिए हकदार होना अपने को प्रकट नहीं करेगा जिसमें यह कथन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो कि उसके स्वामी, ग्रहीता या पाने वाले ने किसी संस्था में या व्यक्तिगत रूप से पाठ्यक्रम का अनुसरण किया है और हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा, जिसके वर्णन में उसके हाई स्कूल या इन्टरमीडिएट परीक्षा होने के प्रति विश्वास कराने की युक्तियुक्त प्रकल्पना हो, उत्तीर्ण किया है।

संस्था में प्रवेश पाने के लिये कोई दान आदि प्रभारित करने पर रोक

7-ग—किसी संस्था के प्रबन्धधिकरण से सम्बन्धित कोई व्यक्ति और संस्था का प्रधान या अध्यापक या कोई अन्य कर्मचारी ऐसी संस्था में प्रवेश देने की शर्त के रूप में किसी छात्र से अथवा उसकी ओर से राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में जारी किए गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट दर पर फीस के सिवाय, प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में कोई अंशदान, दान, फीस या किसी प्रकार का कोई अन्य संदाय, चाहे वह नकद हो या वस्तु के रूप में, न लेगा न प्राप्त करेगा और न लेने या प्राप्त करने देगा।

धारा 7-ख अथवा 7-ग का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

7-घ—धारा 7-ख अथवा 7-ग के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिए कारावास से जो तीन वर्ष तक हो सकता है, और जुर्माने से भी जो एक हजार रुपये से कम न होगा दण्डित किया जा सकेगा, और यदि ऐसा उल्लंघन करने वाला व्यक्ति कोई सोसाइटी या व्यक्तियों का कोई समुदाय है तो ऐसी सोसाइटी या समुदाय के प्रत्येक सदस्य को, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से ऐसे उल्लंघन को प्राधिकृत करता है या अनुज्ञा देता है, इसी प्रकार दण्डित किया जा सकेगा।"

धारा 9 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"(4) जब कभी राज्य सरकार की राय में तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक या समीचीन हो, तो वह बोर्ड को पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन कोई निर्देश किये बिना इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा आदेश दे सकती है या ऐसी अन्य कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे, और विशिष्टतः ऐसे आदेश द्वारा किसी विषय से सम्बन्धित किसी विनियम का परिष्कार, विखंडन या रचना कर सकती है और तदनुसार बोर्ड को तत्काल सूचना देगी।

(5) उपधारा (4) के अधीन राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही पर आपत्ति नहीं की जायगी।"

धारा 11 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) में, शब्द "बोर्ड के कम से कम पांच सदस्यों" के स्थान पर शब्द "बोर्ड की कुल सदस्यता के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों" रख दिये जायं।

धारा 12 का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(i) उपधारा (1) में, द्वितीय वाक्य निकाल दिया जाय ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

"(4-क) वह परीक्षाओं के संचालन के लिये ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आवश्यक हों।" ;

(iii) उपधारा (6) निकाल दी जाय।

धारा 13 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय अर्थात्—

"13—(1) बोर्ड निम्नलिखित समितियों को नियुक्त करेगा, और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्त की जा सकती हैं, अर्थात्—

(क) पाठ्यक्रम समिति,

(ख) परीक्षा समिति,

(ग) परीक्षा फल समिति,

(घ) मान्यता समिति, और

(ङ) वित्त समिति।

(2) ऐसी समितियों में केवल बोर्ड के सदस्य ही सम्मिलित होंगे और इन समितियों का गठन इस प्रकार होगा कि प्रत्येक समिति में यथासम्भव निम्नलिखित वर्गों में से प्रत्येक वर्ग के एक-एक सदस्य को प्रतिनिधित्व दिया जा सके :—

(क) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) तथा (ग) में उल्लिखित संस्थाओं के प्रधान ;

(ख) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा (घ) में उल्लिखित अध्यापक;

(ग) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ङ), (च), (छ) तथा (ज) में उल्लिखित अध्यापक तथा आचार्य;

(घ) धारा 3 की उपधारा (1) में खंड (झ) तथा (ञ) में उल्लिखित विधायक;

(ङ) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ट), (ठ) तथा (ढ) और धारा 3 की उप-धारा (2) में उल्लिखित व्यक्ति ;

(च) धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ड), (ण), (त), (थ), (द), (ध), (न), (प), (फ), (ब) तथा (भ) में उल्लिखित व्यक्ति :

प्रतिबन्ध यह है कि बोर्ड का कोई सदस्य इन समितियों में एक से अधिक प्रकार की समिति का सदस्य नहीं होगा, और समिति के सदस्यों का कार्यकाल उनकी बोर्ड की सदस्यता के साथ समाप्त होगा।

(3) उपधारा (1) में उल्लिखित समितियों के अतिरिक्त, बोर्ड अन्य समितियां, यदि कोई हों, जो विहित की जायं, नियुक्त करेगा और राज्य के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिये ऐसी भिन्न-भिन्न समितियां नियुक्ति की जा सकती हैं।

(4) इन अतिरिक्त समितियों का गठन ऐसी रीति से होगा जो विहित की जायं और इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल ऐसी अवधि के लिये होगा जो विहित किया जाय।"

धारा 15 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (झ) में, शब्द, अक्षर और कोष्ठक "खण्ड (ग) और (ङ)" के स्थान पर शब्द, अक्षर और कोष्ठक "खंड (ग) और (घ)" रख दिए जायं।

धारा 16 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

12—मूल अधिनियम की धारा 16 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

"16—(1) धारा 15 के अधीन विनियम केवल राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से बनाये जायेंगे और गजट में प्रकाशित किये जायेंगे।

(2) राज्य सरकार बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी ऐसे विनियम को परिष्कार रहित या ऐसे परिष्कार सहित, जिसे वह उचित समझे, स्वीकृत कर सकती है।"

धारा 16—क का संशोधन

13—मूल अधिनियम की धारा 16—क में,—

(क) उपधारा (1) में शब्द "यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या प्रिन्सिपल" के स्थान पर शब्द "प्रधान" रख दिया जाय;

(ख) उपधारा (3) में शब्द "यथास्थिति, प्रधानाध्यापक या प्रिंन्सिपल" के स्थान पर शब्द "प्रधान" रख दिया जाय;

(ग) उपधारा (5) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी संस्था का प्रबन्धाधिकरण प्रशासन योजना में कोई संशोधन या परिवर्तन का अनुमोदन न करने के निदेशक के आदेश से व्यथित हो तो प्रबन्धाधिकरण के अभ्यावेदन पर, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रशासन योजना में प्रस्तावित संशोधन या परिवर्तन संस्था के हित में है तो वह निदेशक को उसका अनुमोदन करने का आदेश दे सकती है और तदुपरान्त निदेशक तदनुसार कार्यवाही करेगा।"

धारा 16—ङ और 16—च का प्रतिस्थापन

14—मूल अधिनियम की धारा 16—ङ और 16—च के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात् :—

अध्यापकों और संस्था के प्रधानों के चयन की प्रक्रिया

"16—ङ—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संस्था के प्रधान और संस्था के अध्यापक एतत्पश्चात् व्यवस्थित रीति से प्रबन्ध समिति द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(2) संस्था के प्रधान का और संस्था के अध्यापक का पद, सिवाय पदोन्नति द्वारा भरी जाने के लिये विहित सीमा तक के,

निरीक्षक को रिक्ति की सूचना देने और रिक्ति को कम-से-कम दो समाचार-पत्रों में जिनका राज्य में पर्याप्त परिचालन हो, विहित विवरण सहित विज्ञापित करने के पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे ।

(3) कोई व्यक्ति संस्था का प्रधान या संस्था का अध्यापक तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि विनियमों द्वारा विहित न्यूनतम अर्हता उसके पास न हो :

प्रतिबन्ध यह है कि वह व्यक्ति भी जिसके पास ऐसी अर्हता न हो, नियुक्त किया जा सकता है, यदि बोर्ड ने उसकी शिक्षा, अनुभव और अन्य उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए उसे अर्हता से मुक्त कर दिया हो ।

(4) उपधारा (2) के अधीन प्रकाशित विज्ञापन के अनुसरण में संस्था के प्रधान या संस्था के अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र ऐसी फीस सहित, जिसका भुगतान ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय, निरीक्षक को दिया जायगा और वह उसे प्रबन्ध समिति को अग्रसारित करेगा ।

(5) विनियमों के अनुसार आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में कार्यवाही की जायगी और साक्षात्कार-पत्र जारी किये जायेंगे तथा चयन समिति की बैठक बुलायी जायगी ।

(6) चयन समिति एक सूची तैयार करेगी जिसमें प्रत्येक पद के लिये नियुक्ति के लिये उपयुक्त पाये गये यथासाध्य तीन अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में होंगे और ऐसी सूची के साथ अपनी सिफारिश प्रबन्ध समिति को संसूचित करेगी ।

(7) उपधारा (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रबन्ध समिति उपधारा (6) के अधीन चयन समिति की सिफारिशों की प्राप्ति पर सर्वप्रथम चयन समिति से प्रथम अधिमानता प्राप्त अभ्यर्थी को और उसके पद ग्रहण करने मे विफल होने पर इस धारा के अधीन चयन समिति के द्वारा तैयार की गयी सूची में उसके तुरन्त बाद वाले अभ्यर्थी को और ऐसे अभ्यर्थी की भी विफलता पर उस सूची में विनिर्दिष्ट अन्तिम अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान करेगी ।

(8) यदि प्रबंध समिति चयन समिति की सिफारिश से सहमत न हो तो वह असहमति के कारणों सहित मामला, संस्था के प्रधान के पद पर नियुक्ति की स्थिति में संभागीय शिक्षा उप निदेशक को और संस्था के अध्यापक के पद पर नियुक्ति की स्थिति में निरीक्षक को निर्दिष्ट करेगी, और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(9) यदि नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा अनुमोदित कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो इस धारा में निर्धारित रीति से फिर से चयन किया जायगा ।

(10) यदि संस्था के प्रधान की नियुक्ति की स्थिति में, राज्य सरकार का, और संस्था के अध्यापक की नियुक्ति की स्थिति में,

निदेशक का यह समाधान हो जाय कि, यथास्थिति संस्था के प्रधान या अध्यापक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके की गयी है तो, यथास्थिति, राज्य सरकार या निदेशक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी नियुक्ति रद्द कर सकता है और ऐसे परिणामी आदेश दे सकता है जो आवश्यक हो।

(11) पूर्ववर्ती उपधाराओं में किसी बात के होते हुये भी किसी पदासीन व्यक्ति को छः माह से अनधिक अवधि के लिये अवकाश के अनुदान से या किसी शिक्षा सत्र के दौरान किसी पदासीन व्यक्ति की मृत्यु या सेवा निवृत्ति से उत्पन्न होने वाली अस्थायी रिक्ति की दशा में नियुक्ति सीधी भर्ती या पदोन्नति द्वारा चयन समिति को निर्देश किये बिना ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन की जा सकेगी जो विहित की जायं।

चयन समिति

16-च (1) संस्था के प्रधान के रूप में नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे : --

(i) प्रबन्ध समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य जिसे समिति प्रस्ताव द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट करे--जो सभापति होगा ;

(ii) प्रबन्ध समिति के द्वारा इस निमित्त नाम-निर्दिष्ट खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न उसका एक सदस्य ;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें वह संस्था स्थित है।

(2) संस्था में अध्यापक की नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों के चयन के लिये एक चयन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित होंगे: --

(i) प्रबन्ध समिति द्वारा उस निमित्त प्रस्ताव द्वारा नाम-निर्दिष्ट समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, जो सभापति होगा;

(ii) ऐसी संस्था का प्रधान;

(iii) इस धारा के अधीन तैयार की गयी नामिका में से निरीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट तीन विशेषज्ञ, जो उस जिले के न हों, जिसमें संस्था स्थित है।

(3) किसी ऐसी संस्था के सम्बन्ध में जिसके लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्ति किया गया हो, उस संस्था के सम्बन्ध में, यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (i) और (ii) या उपधारा (2) के खंड (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति के स्थान पर प्राधिकृत नियंत्रक रखा गया समझा जायगा।

(4) प्रत्येक सम्भाग के लिये विहित रीति से निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की एक नामिका तैयार की जायेगी और प्रत्येक तीन वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जायगी।

(5) चयन समिति का कार्य संचालन विहित रीति से किया जायगा : प्रतिबन्ध यह है कि किसी चयन समिति की गणपूर्ति उस समिति की कुल सदस्यता के बहुमत से होगी :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी अभ्यर्थी के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा की गयी कोई सिफारिश विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि यथास्थिति, उपधारा (1) के खंड (iii) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशेषज्ञों में से दो विशेषज्ञ उससे सहमत न हों।

(6) चयन समिति की कोई कार्यवाही केवल उसके गठन में कोई त्रुटियां उसकी सदस्यता में कोई रिक्ति होने के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

अल्पसंख्यक संस्थाओं के प्रति अपवाद

16—चच—(1) धारा 16—ङ की उपधारा (4) में और धारा 16—च में किसी बात के होते हुए भी, संविधान के अनुच्छेद 30 के खण्ड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था के प्रधान या अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में प्रबन्ध समिति द्वारा नाम-निर्दिष्ट (सभापति को सम्मिलित करते हुए) पांच सदस्य होंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि चयन समिति के सदस्यों में से एक—

(क) संस्था के प्रधान की नियुक्ति के मामले में निदेशक द्वारा विशेषज्ञों की तैयार की गई नामिका में से प्रबन्ध समिति के द्वारा चुना गया विशेषज्ञ होगा;

(ख) अध्यापक की नियुक्ति के मामले में सम्बद्ध संस्था का प्रधान होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट चयन समिति के द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन चुने गये किसी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा तब तक—

(क) संस्था के प्रधान के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक ने नियुक्ति के प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो; और

(ख) अध्यापक के मामले में निरीक्षक ने ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन न कर दिया हो।

(4) सम्भागीय शिक्षा उप—निदेशक या निदेशक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चयन का अनुमोदन नहीं रोकेगा जबकि चुना गया व्यक्ति विहित न्यूनतम अर्हताओं से युक्त और अन्यथा पात्र हो।

(5) जहां सम्भागीय शिक्षा उप-निदेशक या निरीक्षक, यथास्थिति, इस धारा के अधीन चुने गये अभ्यर्थी का अनुमोदन नहीं करता है वहां प्रबन्ध समिति ऐसे अनुमोदन की प्राप्ति के दिनांक से तीन सप्ताह के भीतर संस्था क प्रधान के मामले में निदेशक को और अध्यापक के मामले में सम्भागीय शिक्षा उपनिदेशक को अभ्यावेदन कर सकती है।

(6) उपधारा (5) के अधीन अभ्यावेदन पर निदेशक या सम्भागीय शिक्षा उप निदेशक द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

16—चचच—(1) बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और परीक्षा फल तैयार करने के लिये प्रबन्ध समिति, संस्था का प्रधान, प्रत्येक अध्यापक और अन्य कर्मचारी किसी संस्था के सम्बन्ध में इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित, सौंपी गयी या अभ्यर्पित सहायता देगा, कर्त्तव्यों का पालन करेगा और कृत्यों का निर्वहन करेगा।

परीक्षा के दौरान सहायता के लिए उपबन्ध

(2) यदि निदेशक का यह समाधान हो जाय कि कोई ऐसी समिति, संस्था का प्रधान, अध्यापक या कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी निदेश का पालन करने में असफल रहा है तो वह बोर्ड की परीक्षाओं के संचालन, ऐसी परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन या उसका परीक्षा-फल तैयार करने के लिये ऐसे उपाय (जिसके अन्तर्गत संस्था के भवन, फर्नीचर या किसी सम्पत्ति का अधियाचन करना और उसे कब्जे में लेना भी है) और ऐसी अवधि के लिये कर सकता है जो उसे उसके लिये आवश्यक प्रतीत हो।"

धारा 16-छ का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 16—छ में—

(i) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अध्यापकों की सेवा की शर्तें" के स्थान पर शब्द "संस्थाओं के प्रधान, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें" रख दिए जाएं;

(ii) उपधारा (2) के खंड (क) में शब्द "जिसमें जांच होने तक निलम्बन" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "(जिसके अन्तर्गत जांच या अपेक्षित जांच होने तक या नैतिक पतन समन्वित किसी अपराध के लिये किसी दाण्डिक मामले में अन्वेषण, जांच या विचार किये जाने तक निलम्बन भी है)" रख दिये जायं;

(iii) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा में और स्पष्टीकरण रख दिए जाएं, अर्थात् :—

"(5) किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक प्रबन्धाधिकरण द्वारा निलम्बित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रबन्धाधिकरण की राय में—

(क) उसके विरुद्ध आरोप इतने गम्भीर न हों कि उससे उसको पदच्युत करना, पद से हटाना या पंक्तिच्युत करना, उचित समझा जाय; या

(ख) उसके पद पर बने रहने से उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों के संचालन में बाधा पड़ने या उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो; या

(ग) उसके विरुद्ध किसी ऐसे अपराध के लिये दण्ड विषयक मामला, अन्वेषण, जांच या परीक्षण के अधीन है, जिसमें नैतिक पतन सन्निहित हो।

(6) जब कभी प्रबन्ध समिति द्वारा किसी संस्था का प्रधान या अध्यापक निलम्बित किया जाय तथा उसकी सूचना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 से प्रारम्भ के दिनांक से 30 दिन के भीतर, यदि निलम्बन आदेश ऐसे प्रारम्भ के पूर्व पारित किया गया था, और किसी अन्य मामले

में निलम्बन के आदेश के दिनांक से सात दिन के भीतर निरीक्षक को दी जायगी और ऐसे विवरण जो विहित किया जाय और उसके साथ सभी सुसंगत दस्तावेज होंगे ।

(7) निलम्बन का कोई आदेश, जब तक कि निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित न हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ के दिनांक से या यथास्थिति, उस आदेश के दिनांक से साठ दिन से अनधिक अवधि के लिये प्रवृत्त न रहेगा और निरीक्षक का आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जायगी ।

(8) यदि, किसी समय, निरीक्षक का यह समाधान हो जाय कि संस्था के प्रधान या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही में संस्था के प्रधान या अध्यापक के किसी दोष के बिना विलम्ब किया जा रहा है तो निरीक्षक प्रबन्धाधिकरण को अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् इस धारा के अधीन दिये गये निलम्बन के आदेश को प्रतिसंहृत कर सकता है ।

(9) इस उपधारा के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) के समक्ष विचाराधीन सभी अपीलें संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) को निस्तारण के लिये अन्तरित हो जायेंगी :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि इस उपधारा के प्रारम्भ होने के पूर्व उप–शिक्षा निदेशक (महिला) ने किसी ऐसी अपील की सुनवाई प्रारम्भ कर दी हो तो अपील का निस्तारण स्वयं उप–शिक्षा निदेशक (महिला) द्वारा किया जायगा ।

स्पष्टीकरण:––इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी बालिका संस्था के सम्बन्ध में, पद "संभागीय शिक्षा उप निदेशक" का तात्पर्य संयुक्त शिक्षा निदेशक (महिला) से होगा ।"

धारा 18 का संशोधन

16––मूल अधिनियम की धारा 18 में, जहां कहीं भी शब्द "नियुक्ति निर्वाचित या आमेलित" आये हों उनके स्थान पर शब्द "निर्वाचित या नाम–निर्दिष्ट" रख दिए जायं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24, 1971 की धारा 3 का संशोधन

17––उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 3 में––

(क) उपधारा (2) में शब्द "वेतन का भुगतान" के पूर्व शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए," रख दिए जाएं ;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :––

"(3) यदि किसी संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी के वेतन का भुगतान प्रबन्धाधिकरण के किसी व्यतिक्रम के कारण उपधारा (1) के अनुसार न किया जाय तो निरीक्षक उसका भुगतान इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 5 की उपधारा (1) में उल्लिखित लेखे में जमा की गयी धनराशि से उस उपधारा

में उल्लिखित दिनांक से दस दिन के भीतर यथास्थिति, ऐसे अध्यापक या कर्मचारी द्वारा अन्तिम बार आहरित वेतन की दर पर, और नयी नियुक्ति की दशा में, उस वेतन मान के न्यूनतम दर पर जिसमें उसकी नियुक्ति की गयी हो, करेगा या करायेगा, और तत्पश्चात् ऐसे भुगतान के सम्बन्ध में समायोजन यथासंभव शीघ्र किया जायगा।"

धारा 5 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "किसी अनुसूचित बैंक" के स्थान पर शब्द "किसी अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक" रख दिये जायें ;

(ख) उपधारा (2) में शब्द "राज्य सरकार के तदर्थ सामान्य या विशेष आदेशों के अनुसार" के पश्चात् शब्द "और जब तक ऐसे आदेश न दिये जायं निरीक्षक के निदेशों के अनुसार" रख दिये जायं और सदैव से रखे गए समझे जायं ;

(ग) उपधारा (4) में, खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"(ग) संस्था के प्रयोजनार्थ ऐसा अन्य व्यय जिसके लिये राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निदेश दिया जाय ;" ;

(घ) उपधारा (6) में शब्द "अनुसूचित बैंक" के स्थान पर शब्द—

"अनुसूचित बैंक या सहकारी बैंक" रख दिये जायं।

धारा 9 के स्थान पर नयी धारा का रखा जाना

19—मूल अधिनियम की धारा 9 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात् :—

पदों के लिये अनुमोदन

"9—कोई संस्था निदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी के पूर्वानुमोदन के बिना अध्यापक या अन्य कर्मचारी का नया पद सृजित नहीं करेगी।"

धारा 13 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा या" निकाल दिये जायं।

प्रकीर्ण

संक्रमणकालीन उपबन्ध

21—(1) अध्याय 2 और 3 में निर्दिष्ट किसी मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से एक वर्ष के भीतर, राज्य सरकार के लिये अध्याय 2 में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में विनियम या, यथास्थिति, अध्याय 3 में दिये गये विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाना विधिपूर्ण होगा, और राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार बनाया गया प्रत्येक विनियम या नियम तब तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि वह इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से संशोधित या विखण्डित न कर दिया जाय।

(2) इस बात के होते हुए भी कि इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 3 के स्थान पर इस अधिनियम द्वारा एक नई धारा रख दी

गई है, किन्तु इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उस अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले यथा विद्यमान उक्त अधिनियम के अधीन गठित बोर्ड के सदस्य तब तक पदारूढ़ रहेंगे जब तक की उक्त नयी धारा 3 के अनुसार बोर्ड का पुनर्गठन न कर दिया जाय ।

कठिनाइयों को दूर करना

22—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकती है :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

निरसन तथा अपवाद

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 18, 1975

23—(1) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 और उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेज (अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1971 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 कहलायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसाकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मैं एक बात श्रीमन्, जानना चाहता हूं कि उत्तरकाशी, टिहरी, के अध्यापकों के बारे में मैंने कुछ प्रश्न उठाये थे.....

श्री उपाध्यक्ष—

अब वह वक्त निकल गया।

श्री अम्मार रिजवी—

मैं इतना निवेदन कर दूं कि कैबिनेट की एक सब-कमेटी बन गयी है जो विचार कर रही है, इसलिये कुछ कहना उचित नहीं होगा, मैं माननीय सदस्य को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी जितनी भी मांगें उचित हैं उन सब को पूरा किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विधि (संशोधन) विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975†

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय। मान्यवर, यह बड़ा ही मासूम विधेयक है। इसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। भीख मांगना देश, प्रदेश और समाज के लिये एक लानत है, एक बहुत बुरी चीज है। इसे दूर करने के लिये समय-समय पर नान आफिशियल बिल्स भी आते रहे हैं और सरकार आश्वासन देती रही है कि वह समय पर बहुत जल्दी विधेयक लायेगी। और मान्यवर, विधान परिषद् ने वहां एक कमेटी भी बैठायी थी जिसकी रिपोर्ट सन् 1970 में आयी और कमोबेश उसी पर आधारित यह हमारा विधेयक है। दूसरे प्रदेशों में जहां यह कानून लागू है, वहां से भी मंगवाकर देखा गया है और उसी सिलसिले में यह बिल लाया गया। मान्यवर, यों तो समाज के ऊपर यह एक लानत है जिसको पूरे प्रदेश में और सब के लिये इसे फौरन बन्द कर देना जरूरी है। यह बिल भी हमने उसी मकसद को सामने रख कर बनाया है लेकिन फिलहाल शुरू करने के लिये इसको हम पूरे प्रदेश में लागू करने की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें करोड़ों रुपये का खर्चा है और उस खर्चे के साथ-साथ इस सामाजिक लानत को दूर करने के लिये बहुत बड़ी संख्या में समाज सेवकों और समाज सेविकाओं की जरूरत होगी, जिनका इस वक्त इतनी बड़ी संख्या में इन्तजाम करना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। इसलिये यह सोचा गया है कि रुपये पैसे की तो कमी है ही, और तमाम दुश्वारियों और परेशानियों को देखते हुए पहले ऐसे नाबालिग बच्चों को लिया जाय जिनकी जिन्दगी बिलकुल खराब कर दी है उन एजेंटों ने जो उनसे भीख मंगवाते हैं और तमाम दूसरे काम करवाते हैं। यह सारे देश के ऊपर एक कलंक का टीका है। अगर आप बनारस, आगरा या हरिद्वार कहीं भी चले जायं तो आप पायेंगे कि इन भिखमंगों की वजह से राह चलना मुश्किल होता है। खासतौर से बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिये बड़ी समस्या होती है और वे यहां से उनकी तरह-तरह की तस्वीरें खींचकर ले जाते हैं और तमाम मुमालिक में उनको अपने ढंग से दिखलाते हैं। इस प्रकार हमारे देश की तस्वीर बाहर के देशों में गलत पेश होती है। इसलिये यह सोचा गया कि 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चों पर इस कानून को लागू किया जाय। देखा गया है कि हजारों की संख्या में

†7 अगस्त, 1975 की कार्यवाही में छपा है।

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

ऐसे बच्चों से भीख मंगवाया जाता है या वे खुद भीख मांगते हैं। रोज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि बच्चे किडनैप कर लिये जाते हैं। उनसे भीख मांगने का पेशा कराया जाता है या दूसरे पेशे कराये जाते हैं। बहुत सी लड़कियां होती हैं उनको भगा लिया जाता जिसे शुरू में भीख मंगाया जाता है और बाद में उनसे बहुत से गन्दे काम कराये जाते हैं। फिलहाल हम इसको बनारस और आगरा से शुरू कर रहे हैं। हमारी कोशिश यह होगी कि रफ्ता-रफ्ता इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाय और रफ्ता-रफ्ता इसको बढ़ाते जायं। अगर सख्ती से इसका इनफोर्समेंट हो जाय, सख्ती से कानून लागू हो जाय तो शायद बड़े लोगों के लिये नौबत ही न आवे और समाज से यह लानत दूर हो सके। अगर कच्ची उम्र के बच्चों को सुधारा जाय तो वे आसानी से सुधर सकते हैं और बड़ी उम्र वाले जिनकी आदत पड़ चुकी है बगैर मेहनत किये हुए खाने की, उनमें मेहनत करके खाने की आदत डालें बजाय इसके कि वे कहीं भीख मांग कर खा लें। माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि भीख में उनको खाने को मिल जाता है या पैसा मिल जाता है उससे वे खरीद कर खाते हैं और साथ-साथ दूसरे गलत काम भी करते रहते हैं।

इस सम्बन्ध में प्लानिंग कमीशन की तरफ से एक सर्वे भी हो चुका है और उस पर सन् 68–69 में एक स्टडीग्रुप भी बना था। उसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। उस रिपोर्ट को देखने से मालूम होता है कि 10 परसेंट बच्चे अंडर एज हैं जो भीख मांगने का काम करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें आर्थिक दशा को सुधारना चाहिये। चूंकि हमारा मुल्क बहुत गरीब है और अगर यहां की आर्थिक दशा को सुधारा जाय तो सम्भव है कि गरीबों में भीख मांगने की प्रथा अपने आप खतम हो जाय। मैं इसको नहीं मानती हूं। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है और रोज यहां देखने में आता है कि हमारे देश में बहुत से लोग धर्म-कर्म के नाम पर लोगों को भीख देते हैं और इस तरह से भीख देने की उनकी एक आदत सी पड़ गयी है। लेकिन मैं समझती हूं कि जब हम समाजवाद की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने मुल्क में और प्रदेश में समाजवाद को लाना चाहते हैं, मुल्क से बेरोजगारी और गरीबी हटाना चाहते हैं तो हमें समाज की इस लानत को दूर करना पड़ेगा।

मान्यवर, इसको चलाने के लिये सरकार एक कमेटी बनायेगी जिसमें नान–आफिसियल मेम्बर्स भी होंगे। इसलिये मैं यह मानकर चलती हूं कि सोशल वर्क के लिये हमारा विभाग जो कार्य करता है सरकार जो कार्य करती है उसमें जब तक आवाम सहयोग नहीं देगा, जनता सहयोग नहीं देगी, सबका सहयोग नहीं हासिल होगा तब तक यह स्कीम लागू करने से सफलता नहीं मिल सकती। इस कमेटी को जो सरकार बनायेगी, 3 साल कार्यकाल होगा। इसको अख्तियार होगा कि वह और सब–कमेटीज बना सकें, लोकल कमेटीज बना सके। अभी हम 2 जिलों में इस को लागू कर रहे हैं, आगरा और बनारस में। वहां पर हम ऐसे बच्चों को पकड़ेंगे और उन पर अवयस्क कोर्ट में मुकदमा चलेगा और सर्टीफाइड इंस्टीट्यूशंस में बच्चों को भेजा जायगा। फिलहाल 5 जगहों पर यह व्यवस्था है। जैसे हरिद्वार, बनारस, फैजाबाद, लखनऊ, कुल मिलाकर 5 जगहों पर है। इन इंस्टीट्यूशंस में इन बच्चों का ध्यान रखा जायगा कि कैसे इनको देशभक्त बनाया जा सकता है, किस प्रकार से इनको अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है जिससे आगे चलकर इनको अच्छे नागरिक के रूप में ढाला जा सके और यह देश के भविष्य बन सकें, बजाय इसके कि भीख मांग कर अपनी जिंदगी खराब करें। होता यह है कि एक आदमी जो एजेंट होता है वह 10–12 बच्चों से भीख मंगवाता है। दिन भर यह भीख मांगते हैं फिरभी इनका पेट नहीं भरता है और इनके ऊपर सख्त जुल्म किये जाते हैं। एजेंट इनके पैसों को ले लेता है। इस तरह से यह अपनी जिंदगी गुजारते हैं।

तो मैं समझती हूं कि इस कानून को लागू किया जाय अब तक हमारे पास कोई कानून था ही नहीं। इसलिये कानून बनाया गया है। मैं समझती हूं मेम्बरान इसको सर्व

सम्मति से पास करेंगे । एक बात जरूर है कि लोगों में, हमारे माननीय मेम्बरान सोचते होंगे कि 2 जिलों में क्यों लागू किया गया है, पूरे प्रदेश में होना चाहिये। मैं आपको आश्वासन देना चाहती हूं कि मेरा इरादा यही है। लेकिन मैं समझती हूं कि 2 कदम चलें मजबूती के साथ चलें बजाय इसके कि 10 कदम चलें और लड़खड़ा कर गिरें। इसलिये मैं समझती हूं कि मजबूती के साथ इसको लागू करें और जो समाज पर बहुत बड़ी लानत जो बहुत बड़े अर्से से चली आ रही है उसको पूरी तरह से काबू करें। इसी के साथ यह कोशिश की जायगी कि जो सर्टीफाइड इस्टीट्यूशंस हैं उसमें इन बच्चों के लिये एग्रीकल्चर, पढ़ाई आदि का इन्तजाम किया जाय जिससे आगे चलकर यह बच्चे मेहनत करके रोजी-रोटी कमा सकें, खा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस सदन में इस विधेयक को रखती हूं।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष जी, माननीया समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती मोहसिना किदवाई जी ने जो यह बिल समाज को स्वच्छ करने के लिये, समाज का जो बहुत पुराना रोग है उसको दूर करने के लिये पेश किया है, मैं इसके लिये उन्हें मुबारकबाद देता हूं। मान्यवर, हमारे समाज में भिक्षा वृत्ति एक परम्परागत तरीके से, सदियों से चली आ रही है। आज के समय में, इस वैज्ञानिक युग में, समाज के लिये यह अभिशाप है और उसको मिटाने के लिये जो यह प्रयास किया जा रहा है मैं इसको सही कदम मानता हूं। माननीया मंत्री जी ने सही कहा कि यह काम बहुत बड़ा है। इसको पूरे प्रदेश में लागू करने मे करोड़ों रुपयों की जरूरत होगी। इसको लागू करने के लिये पैसों की आवश्यकता होगी। आपने इंस्टीटयूशंस खोलने की बात की है। इन संस्थाओं को चलाने के लिये भी काफी पैसा खर्च होगा, यह बात सही है। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से एक बात जानना चाहता हूं कि कम से कम हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिये। मैं मानता हूं कि आपने दो नगरों में इसको लागू किया है और इस प्रकार आप चाहती हैं जो कदम रखें वह मजबूत हो किन्तु हमारे सामने एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिये कि हमारे मजबूत कदम कब मंजिल पर पहुंचेंगे ? मैं एक मिसाल देना चाहता हूं कि 1957 में सबसे पहली बार जब विधान सभा में चुनकर आया तो इसी सदन में सरकार की तरफ से घोषणा की गयी कि हम शिक्षा को फ्री करने की दिशा में बढ़ रहे हैं और छठी दर्जा तक इस साल फीस माफ करते हैं और धीरे-धीरे आगे बढ़ते जायेंगे। उस सरकार ने कोई लक्ष्य नहीं निर्धारित किया कि कितने दिनों में हम उस मंजिल पर पहुंच जायेंगे। नतीजा यह हुआ कि 1957 में जो घोषणा हुई थी हम वहीं पर कायम हैं और दूसरा मजबूत कदम उस लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ा पाये। इसलिये कहने का मतलब यह कि हमारा लक्ष्य होना चाहिये। भिक्षा वृत्ति को समाप्त करने की ओर कब पहुंच जायेंगे इसका लक्ष्य होना चाहिये। आप वित्तीय सीमाओं को देखते हुये लक्ष्य रखें, आपने यह कानून बनाया तो अच्छा है। लेकिन पूरे प्रदेश में यह लागू हो जाये लेकिन डर यह है कि लोग इसको भूल जायेंगे। हमेशा आप इसी पद पर रहेंगी यह जरूरी नहीं है और जो दूसरे आयेंगे वह इस पर ध्यान दें या न दें।

मान्यवर, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इसमें धारा 1 के सब क्लाज 4 में दिया हुआ है कि पहले केवल यह बालकों पर ही लागू किया जायेगा। लेकिन मंत्री जी ने एक बात कही कि समाज की जो कुरीतियां हैं वह सही हैं कि बदमाश लोग छोटे-छोटे लड़कों और लड़कियों को उठा ले जाते हैं और उनसे भिक्षा वृत्ति कराते हैं। हम तो पिछले 10-12 साल से देख रहे हैं कि चारबाग स्टेशन पर कई औरतें और उनके साथ कई लड़कियां रहती हैं जोकि उनसे भिक्षा मंगवाती हैं। अब वे जवान हो गयी हैं और यह कहते सुनते हैं कि उनकी शादी के लिये कुछ मदद दीजिये। आप इसको स्वीकार करती हैं तो इसमें बालकों पर ही लागू होगा यह क्यों लिखा है ? लड़कों और लड़कियों दोनों पर, जो 16 वर्ष के अवयस्क हों इसको लागू होना चाहिये। इसलिये सरकार को इस पर सोचना चाहिये।

[श्री भीखा लाल]

मान्यवर, तीसरी बात इस विधेयक के पृष्ठ 2 पर परिभाषा दी गयी है। खंड 2 में (क) की परिभाषा को हम पढ़ना चाहते हैं :—

"सजातीय पद तथा व्याकरण के रूप भेद सहित 'भिक्षा मांगने' का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बहाने से जैसे गाकर, नाच कर, भाग्य बता कर, करतब दिखा कर या किसी वस्तु को विक्रयार्थ प्रस्तुत करके, भिक्षा मांगने या लेने से है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे गाता बजाता है और गाने बजाने पर कोई खुश होकर इनाम देता है तो यह भिक्षा समझी जा रही है। यदि नाच करके, अपनी कला का प्रदर्शन करके उसको कोई कुछ देता है तो वह भिक्षा समझी जायेगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी कला का प्रदर्शन करता है जैसे देहातों में नट लोग तरह-तरह के करतब दिखाते हैं, जिसको हम छोटे सरकस कह सकते है, उसके उपलक्ष में अगर उसको कुछ दिया जायगा तो उसे भिक्षा समझा जायगा। तो ऐसी चीजें जिनका सम्बन्ध कला से है उनके उपलक्ष में कुछ दिया ज.न। भी भिक्षा समझा जाय यह मुनासिब नहीं है। अब अगर कोई आदमी अपाहिज है और भीख नहीं मांगता लेकिन सड़क के किनारे या स्टेशन पर कोई सामान रख कर बेचता है तो हम तो उसकी सराहना करते हैं क्योंकि वह भिक्षा न मांग कर कोई छोटा-मोटा उद्यम करता है। ऐसे ही बांस पर चल कर या रस्से पर चलकर करतब दिखाना भी एक हुनर ह हालांकि यह कूड फार्म है। लेकिन इसको भिक्षा वृत्ति में रखते हैं तो फिर सरकार और सिनेमा भी उसमें आ जाते है कि सिनेमा में भी लड़कियां नाचती हैं। इसलिये इन चीजों को भिक्षा का रूप नहीं दिया जाना चाहिये। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस पर फिर से विचार करें। दूसरी चीज यह कि इसको जल्दी लागू होना चाहिये। मंत्री जी ने कहा कि इसमें कठिनाइयां हैं। संस्थाए खोलनी होगीं जहां भिक्षुकों को रखा जा सके। उसमें ट्रेनिंग की व्यवस्था की जायगी, ताकि वे लोग "वहां से कुछ सीखकर बाहर आवें। इसलिये इसमें समय लगगा। मेरा कहना है कि क्या यह मुनासिब नहीं है कि जिन नगरों मेंआप लागू करने जा रहे हैं वहां की नगरपालिका को, टाउन एरिया कमेटी को कहें कि इसका कुछ भार वह वहन करें। ज्यादा भार सरकार वहन करे लेकिन कुछ भार उनपर भी डाला जाय। उनकी मदद लेकर अगर हम इस काम को करेंगे तो जो काम सरकार अपन आप करेगी उसमें दस साल लगेगा तो उस तरह से पांच साल लगेगा।

माननीय मंत्री जी ने कहा कि बहुत से बच्चों को लोग उठा कर ले जाते हैं और उनके हाथ या उंगलियां तोड़ कर अपंग बना देते हैं। वह लोग ज्यादा दोषी हैं और उसके लिए इसमें प्राविधान किया गया है। बहुत अच्छा है। इसी तरह से जो जख्मी या अपंग पशु को लेकर भिक्षा मांगेगा उसको भी अपराध समझा जायगा और इसम कहा गया है कि उसको पकड़ लिया जायगा और पशु को चिकित्सालय में भेज दिया जायगा। शहरों में कुछ लोग छोटे—छोटे गाय और बछड़ों को सजा कर भीख मांगते है तो उन्हें भी जब्त करने का प्राविधान इसम होना चाहिये। इन सभी चीजों पर मंत्री जी विचार करें। जैसा मैंने कहा एक तो लक्ष्य निर्धारित करें और दूसरे यह बालक और बालिकाओं दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिये। इसके साथ ही जो परिभाषाएं हैं उन पर भी मंत्री जी फिर से विचार कर लें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री देव कुमार यादव (जिला बांदा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीया मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस बिल का स्वागत करता हूं कि इन्होंने इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। मैं माननीय भीखालाल जी के विचारों मे अपने को सम्बद्ध करता हुआ एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि यह

तो प्राविधान किया गया है कि भिक्षा मांगने वाले बच्चों को 5 वर्ष तक की अवधि के लिये निरूद्ध किया जा सकता है, लेकिन उस अवधि में उनको क्या-क्या ट्रेनिंग दी जायेगी ताकि समाज में अपने को योग्य बना सकें, इसका कोई स्पष्ट संकेत इसमें नहीं है। हालांकि इसमें यह दिया हुआ है कि पहले से रिफारमेट्री स्कूल चल रहे हैं उसमें भेजेंगे, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा एक सुझाव यह है कि हम लोगों को जेल कमेटी की तरफ से बरेली जेल जाने का अवसर मिला। वहां पर वह किशोर सदन चला रहे हैं और उसमें बच्चों को नैतिक शिक्षा की व्यवस्था है। हम लोग उससे प्रभावित हुये। वहां पर 19 वर्ष तक के बच्चे दाखिल हो सकते हैं। वहां की संख्या भी, जैसा हमको बताया गया था, कम हो रही है। कुल 86 बच्चे हैं जब कि रख-रखाव पर बहुत अधिक सरकार का पैसा व्यय होता है। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे बच्चों को किशोर सदन, बरेली में भेजा जा सकता है और वहां पर ऐसी कोई व्यावसायिक शिक्षा देने का प्राविधान किया जा सकता है जिससे वहां से निकलने के बाद सामान्य नागरिक की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास कोई ऐसे साधन नहीं हैं ताकि वहां से निकलने के बाद वह काम धंधा कर सकें। अगर वह काम-धंधा नहीं करेंगे तो इधर-उधर घूमेंगे और भिक्षावृत्ति की तरह दूसरा जरायम पेशा अख्तियार कर लेंगे। इसलिये सुझाव यह है कि आपके द्वारा इस बात का भी उचित प्राविधान होना चाहिये ताकि वह निरोध गृह से निकलने के बाद उनको कोई आर्थिक सहायता प्रदान की जा सके और उसका फालोअप भी होना चाहिये ताकि यह देखा जा सके कि उस आर्थिक सहायता से वह अपने को एस्टैबिलिश कर सके कि नहीं।

इसके अतिरिक्त भिक्षा वृत्ति के विरुद्ध एक सामाजिक वातावरण बनाना भी बहुत जरूरी है। तमाम कानून पास हो जाते हैं और सामाजिक वातावरण न बनने से थोड़े से दायरे तक ही सीमित होकर रह जाते हैं। जिस प्रकार जगह-जगह पर फैमिली प्लानिंग का बड़े व्यापक प्रचार, पोस्टर, विज्ञापन आदि लगे हुये हैं उसी प्रकार आप जिलों में, चाहें आप थोड़े ही जिले लें उत्तर प्रदेश में, स्टेशनों पर, चौराहे पर, और तमाम छोटी-छोटी जगहों पर इसके प्रचार कराने की व्यवस्था करें और यह बतायें कि भिक्षा वृत्ति एक सामाजिक अपराध है और इसका निरोध होना चाहिये तथा इसके लिये कानून भी पास हो गया है। इससे बड़ा मनोवैज्ञानिक असर पड़ेगा तथा इस तरह एकाएक सामाजिक वातावरण बनेगा जिसे कानून का पालन सम्भव हो सकेगा और इसके माध्यम से उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं जिस लक्ष्य प्राप्ति के लिये यह बिल इस माननीय सदन में प्रस्तुत किया गया है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

कुमारी रमा पन्त (जिला अल्मोड़ा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीया समाज कल्याण मंत्री महोदया ने जो उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975, इस सदन में प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। मान्यवर, यह तो सच है कि भिक्षावृत्ति हमारे प्रदेश के लिये ही नहीं, हमारे देश के लिये एक बड़ा कलंक है और यह भिक्षा वृत्ति आज से नहीं अनेकों वर्षों से चली आ रही है। विदेशों में जब भी भारत की तस्वीर धुंधली करने का इरादा होता है तभी यहां के स्लम्स, भिखमंगों की तस्वीर सहित लम्बे-चौड़े विवरण के साथ समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। मान्यवर, मैंने यहां तक सुना है कि जब भी विदेशों से पर्यटक यहां आते हैं जैसे कलकत्ता है, बम्बई है, दल्ली है, आदि महानगरियों में इस बात के लिये खासतौर से पूछते हैं और कहते हैं कि उनको उन स्लम्स और भिखमंगों की जगहों को दिखाया जाय। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह का भ्रमात्मक प्रचार तो होता ही है। यह सही है कि इस चीज का निवारण होना आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है। यह बिल जो यहां पेश किया गया है उसके लिय मैं माननीया मंत्री जी को बधाई देती हूं और अपनी कृतज्ञता प्रकट करती हूं। क्योंकि यह एक सराहनीय कदम है।

[कुमारी रमा पन्त]

भिक्षावृत्ति केवल समाज के लिय कलंक ही नहीं है वरन इसके पीछे अपराधों की एक श्रृंखला बंधी हुई है जैसे अपहरण, चोरी, जेबकतरी, शराब का अवैध व्यापार आदि। जिन्होंने भिक्षावृत्ति पर रिसर्च की है और उस सम्बन्ध में विवरण प्रकाशित होते हैं उनको पढ़ कर तो दिल दहल जाता है और ऐसी दहशत होती है कि इतने अनैतिक काम होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि कानून का सहारा ले कर इस भिक्षा वृत्ति को रोकने का प्रयास कर रही है। इससे इन अपराधों में कमी होगी। एक तरफ तो भिखारियों को पकड़ कर दंड का प्राविधान किया गया है और दूसरी तरफ उनके लिये संस्थायें खोलने की व्यवस्था की गयी है जिनमें ये भिखारी रह सकेंगे तथा रोजगार व शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, अपना भरणपोषण कर सकेंगे। लेकिन यह जान कर भी आश्चर्य होगा कि हमारे प्रदेश में ही नहीं वरन सारे देश में जहां-जहां भिखारियों के लिये होम्स खोले गये हैं, जिन-जिन स्टेट्स में इस तरह के एक्सपेरीमेंट्स किये गये हैं, उनके लिये संस्थायें खोली गयी हैं वहां यह देखा गया कि उनमें ये भिखारी जाना पसन्द नहीं करते। अगर जबरदस्ती पकड़ कर वे उन होम्स में भेज दिये गये तो भाग कर बाहर आ जाते हैं क्योंकि भीख मांगने की उनको आदत पड़ जाती है, बिना मेहनत क उनको पैसा मिलता है। यह भी देखा गया कि मरते हैं तो बहुत से भिखारियों के पास बहुत अधिक सम्पत्ति पाई गयी। इंसान होने पर भी वह इंसानी जिन्दगी नहीं बिताना चाहते। फटे कपड़े पहन कर, जूठन खाकर जानवरों से बदतर जिन्दगी व्यतीत करना वह पसन्द करते हैं, इंसान हो कर भी इन्सान रहना पसन्द नहीं करते। इस समाजिक बुराई को दूर करने के लिये जो कदम उठाया जा रहा है वह बहुत सराहनीय कदम है।

लेकिन कुछ समस्यायें ऐसी भी होती हैं जिनका निराकरण केवल कानून बनाने से ही नहीं हो सकता। सामाजिक चेतना जाग्रत करना आवश्यक होता है। हमारे समाज में बच्चों को अपहरण करके उनको अपंग बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाता है। यह केवल हमारी सहानुभूति जीतने के लिये किया जाता है। महिलाओं को उन पर ममता आ जाने के लिये किया जाता है जिससे वे भीख दे देती हैं। इसको सख्ती से दबाना है और यह नहीं सोचना है कि भिखारियों के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय के प्रति आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने यह बिल पेश किया है। यह सही है कि अभी इसको दो ही स्थानों पर लागू किया जायगा और धीरे-धीरे इसका विस्तार किया जायगा। लेकिन मुझे इससे एक शंका होती है कि कहीं ऐसा न हो चूंकि भिखारियों की संख्या बहुत अधिक है जिस जगह पर यह लागू किया जाय तो भिखारी वहां से दूसरे स्थानों पर चले जायं। ऐसे मामले में आमतौर से यह बहुत तेज होते हैं। इस बात पर रोक लगानी होगी वर्ना जिस जिले में यह लागू होगा उस जिले में तो बेशक संख्या कम हो जायगी लेकिन दूसरे जिले में ज्यादा हो जायगी। इसके अलावा भीखा लाल जी ने जो कहा उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि यह केवल बालकों पर ही लागू न होकर बालिकाओं पर भी लागू किया जाय। बालकों में बालिकायें भी सम्मिलित की जा सकती हैं। इन शब्दों केसाथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया और इन शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करती हूं।

श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक भिक्षावृत्ति को रोकने के लिये पेश किया गया है यह एक बहुत क्रान्तिकारी कदम है जिसे वर्तमान सरकार ने तथा मंत्री महोदय ने उठाया है। समाज में सुधार लाने के लिये और इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कार्यवाही करने के लिये यह जो कदम उठाया गया है इसके अन्तर्गत जो लोग भिक्षावृत्ति के आधार पर अपनी जीविका का साधन बनाये हुये थे, कामचोरी की वजह से पशुओं सा जीवन व्यतीत कर रहे थे उन पर

नियंत्रण होगा। और कुछ समय के बाद यहां से भिक्षावृत्ति समाप्त हो जायेगी। अभी माननीय भीखालाल जी ने सुझाव दिये। मैं अपने को उनके सुझावों के साथ सम्बद्ध करते हुये कहना चाहूंगा कि नटों की एक जाति होती है और उस जाति के लोग अपनी कला कौशल के द्वारा अपनी आजीविका चलाते रहते हैं। इस तरह से इस जाति विशेष के ऊपर यह नियम लागू हों, यह मुनासिब नहीं है। इसमें निश्चित रूप से यह तो माननीया मंत्री जी स्पष्टीकरण देंगी या कोई और व्यवस्था करेंगी जिसे इन कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने का मौका मिले और अपनी आजीविका कमा सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि ये लोग अपनी कला के आधार पर ही अपनी आजीविका उपार्जित करते और उनकी संख्या भी मैं समझता हूं कि काफी बड़ी है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित व्यवस्था शासन की तरफ से होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त जैसा कि हम लोग आये दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि छोटे-छोटे लड़कों को जो गिरोह उठाकर ले जाते हैं और उन्हें भिक्षावृत्ति के पेशे में लगवा देते हैं आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे समाज विरोधी और समाजद्रोही लोगों के खिलाफ केवल साधारण कानूनी कार्यवाही न की जाय बल्कि उन्हें कठोर दण्ड भी दिया जाय जिससे हमेशा-हमेशा के लिये उन्हें सबक मिल सके और भविष्य में वे ऐसी हरकतें न कर सकें और उन्हें यह महसूस हो सके कि ऐसे प्रयास करने पर उन्हें उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ राजकीय निराश्रित समितियां संगठित करने का प्रयास किया गया है। यह कदम प्रशंसनीय है। इससे समाज के इस कमजोर अंग को कुछ न कुछ राहत मिलेगी और ऐसी व्यवस्था यह समिति करेगी जिससे भिक्षावृत्ति में लगे हुये और दूसरे लोगों जैसे निराश्रितों को इससे सहायता मिलेगी। मुनासिब होता यदि इन समितियों को यह कार्य भी सुपुर्द किया जाता जो कि निराश्रित विधवायें हैं जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है। इस सम्बन्ध में भी वह समिति देखती। इसमें लिखा है कि न्यायालय यह आदेश दे सकता है कि उसके माता-पिता या उसके भरण-पोषण के लिये जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस योग्य हो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अंशदान करे। इससे मैं यह नहीं समझ पाया कि "अन्य व्यक्ति" कौन है। इसका स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं।

श्रीमती मोहसिना किदवाई--

जनाबेवाला, मैं आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों की मशकूर हूं जिन्होंने इस विधेयक के ऊपर अपने विचार जाहिर किये और इसी बीच में 2-4 ऐसे सुझाव भी आये जो वाकई अहम के हैं और जिनके बारे में ध्यान दिया जाना चाहिये। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था जिस पर माननीय भीखालाल जी ने ऐतराज किया उसमें नाचने, गाने और कला दिखाकर पैसा लेने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। मैं उनसे यह निवेदन करना चाहूंगी कि शुरू में तो ये ऐसी रीति अपनाते हैं--जैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं या कोई और चीज दिखा रहे हैं और उससे पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं तो इनसे दूसरी तरह का काम लिया जाता है। खासकर लड़कियां ऐसा करती हैं। तो यही सोचकर उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया था कि अपर हाउस में एक कमेटी बनायी गई थी। उसने कुछ रिकमन्डेशन्स की हैं जिसके बिना पर यह विधेयक ड्राफ्ट किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं उन रिकमन्डेशन्स को पढ़कर सुनाना चाहती हूं-- किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा किसी सार्वजनिक स्थल में या उसके आसपास चाहे गा कर, नाच कर, भविष्य बतलाकर, करतब दिखाकर वस्तुओं का प्रदर्शन करके या उन्हें बेचकर या अन्य प्रकार से इस प्रयोजन के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा हाव भाव दिखा कर भिक्षा मांगना।

[श्रीमती मोहसिना किदवाई]

यह सारी रिकमेंडेशन उस कमेटी की हैं उसी के आधार पर यह किया गया है। दूसरी बात नटों के सम्बन्ध में जो माननीय भीखा लाल जी ने कही उसके बारे में कहना चाहती हूं वैसे उन्होंने खुद ही कह दिया कि एक गाय को सजाकर ले जाते हैं और कटोरा लेकर भीख मांगते हैं तो फिर कैसे फर्क किया जाय। वैसे यह सारी चीजें जब कानून अमल में आयेगा उसमें कोई अमल में लाने में कठिनाई होगी या कोई त्रुटियां मालूम होंगी तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, आगे जाकर उसे एमेंड किया जा सकता है। हम इसे 16 साल तक की उम्र के बच्चों के लिये लागू कर रहे हैं तो उसमें कोई भविष्य बतलाने वाले नहीं होते हैं। जो मेहनत करके कोई व्यवसाय करते हैं और अपनी रोटी कमाते हैं तो उनके ऊपर यह लागू नहीं हो रहा है।

फिर एक बात यह कही गई कि 16 वर्ष के बालकों तक ही यह कानून लागू होगा और लड़कियों पर लागू नहीं होगा। तो इसमें तो बच्चे में दोनों आ जाते हैं। अगर छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में है तो वहां पर मां की भी बेगर्स रूम में रखा जायेगा।

जो श्री देवकुमार जी ने सुझाव दिया कि उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जानी चाहिये कि वहां से वह अच्छे नागरिक बन कर निकल सकें। वह अच्छी बात है। तो वह किशोर सदन की बात कही वह अच्छी बात है। मैंने भी देखा है कोशिश की जायेगी कि उसको और अच्छा किया जाय। जहां तक यह काम है यह केवल कानून बना देने से ही हल नहीं हो सकता है वगैर जनसहयोग के कानून कामयाब नहीं हो सकता है। कानून बनाना तो आसान है लेकिन उसको सही माने में अमल में लाने के लिये जनसहयोग जरूरी है। उसमें आप और हम जुट जायं ताकि समाज में जो इस प्रकार की बुराई है वह समाप्त हो।

अभी तक हमारे 5 इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। अभी यह जो आगरा और बनारस में चल रहे हैं इन दो शहरों में जो भिखारियों की संख्या है वह 92075 मेल है और 13441 औरतों की है और इसके अलावा दो-दो हजार दोनों शहरों में बच्चों की है। इनकी पूरी व्यवस्था करना मैं समझती हूं थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन फिर भी जहां जजबा और लगन हो और इमानदारी से काम करने की भावना हो वह मुश्किल आसान हो सकती है। मैं समझती हूं कि इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और उस मदद से इस कानून के उद्देश्य में सफलता मिलेगी और सही रूप से इसका पालन हो सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2 से 31

परिभाषायें

2—जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) सजातीय पद तथा व्याकरण के रूप भेद सहित, "भिक्षा मांगने" का तात्पर्य किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी बहाने से जैसे गा कर, नाच कर, भाग्य बता कर, करतब दिखा कर या किसी वस्तु को विक्रयार्थ प्रस्तुत करके, भिक्षा मांगने या लेने से है, और इसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है—

(i) किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करना;

(ii) भिक्षा प्राप्त करने या उसे बलात् लेने के उद्देश्य से किसी जख्म, घाव, चोट विकृति या रोग को, चाहे वह मनुष्य का हो या पशु का, अभिदर्शित या प्रदर्शित करना;

(iii) जीविका का कोई प्रत्यक्ष साधन न होने, और किसी सार्वजनिक स्थान में ऐसी रीति में या ऐसी रीति से घूमना या वहां बने रहना जिससे यह प्रतीत हो कि ऐसा व्यवहार करने वाला व्यक्ति भिक्षा मांग कर या ले करके अपनी गुजर करता है ;

(iv) भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ अपने को प्रदर्शनार्थ प्रयोग में लाने की अनुज्ञा देना, किन्तु इसके अन्तर्गत किसी विधि द्वारा प्राधिकृत या विहित रीति से प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए धन या खाद्य या उपहार मांगना या लेना नहीं है;

(ख) "प्रमाणित संस्था" का तात्पर्य किसी ऐसी संस्था से है, जिसकी व्यवस्था तथा अनुरक्षण राज्य सरकार भिक्षुओं तथा उनके आश्रितों को निरुद्ध करने, प्रशिक्षण देने और सेवायोजन के लिए करें और इसके अन्तर्गत धारा 16 के अधीन इस रूप में प्रमाणित कोई संस्था भी है;

(ग) "बालक" का तात्पर्य सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति से है ;

(घ) "न्यायालय" का तात्पर्य प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से है या जिस क्षेत्र में यह अधिनियम प्रवृत्त हो, उसमें दाण्डिक अधिकारिता का प्रयोग करने वाले किसी अन्य न्यायालय से है ;

(ङ) "अवयस्क न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो उसके लिये उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 में दिया गया है ;

(च) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(छ) "सार्वजनिक स्थान" का तात्पर्य किसी ऐसे स्थान से है जहां भुगतान करने पर या अन्यथा जनता की तत्समय पहुंच हो या उसे पहुंचने की अनुज्ञा हो, और इसके अन्तर्गत कोई रेल गाड़ी, गा ी या जलयान या रेलवे या बस स्टेशन भी है ;

(ज) "समिति" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित राज्य निराश्रित सहायता समिति से है।

राज्य निराश्रित सहायता समिति

3—(1) राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य निराश्रित सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) समिति में एक अध्यक्ष तथा उतनी संख्या में अन्य सदस्य होंगे जितनी विहित की जाय।

(3) अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे और जब तक कि उनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा पहले ही समाप्त न कर दी जाय, नियुक्ति के दिनांक के तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4) समिति से त्याग-पत्र से या अन्यथा हुई कोई रिक्ति राज्य सरकार द्वारा नई नियुक्ति करके भरी जाएगी।

(5) इस धारा में किए गए उपबन्ध के सिवाय, समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायं।

रिक्ति के कारण समिति के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे।

4—समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण से अविधिमान्य नहीं समझी जाएगी कि समिति में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई दोष है।

समिति की शक्ति और कृत्य

5—समिति—

(क) भिक्षा वृत्ति का प्रतिषेध और निराश्रितों की सहायता की व्यवस्था करने से सम्बन्धित विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देगी;

(ख) निराश्रितों के लिए सहायता की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ योजना तैयार करेगी और उसे राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी ;

(ग) निराश्रितों की सहायता के प्रशासन से सम्बन्धित समस्त विषयों का पर्यवेक्षण, निदेशन और नियन्त्रण करेगी ; और

(घ) ऐसी अन्य शक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन और कर्त्तव्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन विनिर्दिष्ट किए जायं।

समिति का कर्मचारि वर्ग

6—(1) समिति का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर नियुक्त किया जाएगा जिन्हें राज्य सरकार अवधारित करे ;

(2) समिति, राज्य सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेशों के अधीन रहते हुए, अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने या अपनी शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती है जिन्हें वह उचित समझे और उनके कृत्य तथा सेवा की शर्तों को अवधारित कर सकती है।

स्थानीय सहायता समितियां

7—(1) समिति, इस अधिनियम के उपबन्धों को किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ ऐसी रीति से जो विहित की जाए,एक स्थानीय सहायता समिति गठित कर सकती है।

(2) राज्य निराश्रित सहायता समिति के नियन्त्रणाधीन रहते हुये स्थानीय सहायता समिति ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो इस अधिनियम द्वारा या अधीन विहित किये या सौंपे जायं।

भिक्षा मांगने का प्रतिषेध

8—कोई व्यक्ति, किसी ऐसे क्षेत्र में जहां यह अधिनियम लागू होता है, भिक्षा नहीं मांगेगा।

भिक्षा मांगते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार करन की शक्ति

9—(1) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जो भिक्षा मांगते पाया जाय, बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकता है और इस प्रकार गिरफ्तार किये गए व्यक्ति को किसी न्यायालय को ले जाएगा अथवा भेजेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी भू-गृहादि में भिक्षा मांगने या लेने के प्रयोजनार्थ प्रवेश करने पर, जब तक कि उस भू-गृहादि के किसी अध्यासी द्वारा ऐसे पुलिस अधिकारी को कोई मौखिक या लिखित शिकायत न की जाय, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और न इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50, 51, 52, 56 तथा 57 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस धारा के अधीन प्रत्येक गिरफ्तारी पर लागू होंगे और थाने का प्रभारी अधिकारी गिरफ्तार व्यक्ति को विहित रीति से तब तक रखेगा जब तक कि किसी न्यायालय के समक्ष न लाया जाय।

भिक्षा मांगते पाए गए व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच

10—(1) यदि धारा 9 के अधीन कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष लाया जाय, तो न्यायालय इस अभिकथन के सम्बन्ध में कि वह भिक्षा मांगते हुए पाया गया, विहित रीति से, संक्षिप्त जांच करेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच तुरन्त पूरी न की जा सके तो न्यायालय उसे समय-समय पर स्थगित कर सकता है, और उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर तथा ऐसी अभिरक्षा में, जो सुविधाजनक हो, प्रतिप्रेषित करने के आदेश दे सकता है ;

प्रतिबन्ध यह है कि न्यायालय जांच के लम्बित रहने तक, किसी व्यक्ति को प्रतिभू सहित अथवा रहित इस आशय का एक बन्ध-पत्र प्रस्तुत करने पर छोड़ सकता है कि वह जांच के दौरान भिक्षा नहीं मांगेगा और जब कभी अपेक्षित हो न्यायालय में उपस्थित होगा,

(3) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान न हो कि वह व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरन्त छोड़ दिया जाए।

(4) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट जांच करने पर न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा व्यक्ति भिक्षा मांगते हुए पाया गया था तो वह यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति भिक्षुक है।

(5) न्यायालय, पूर्ववर्ती अन्तिम उपधारा के अधीन भिक्षुक माने गये व्यक्ति को किसी प्रमाणित संस्था में, ऐसी अवधि के लिए जो छः मास से कम न होगी और एक वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, निरुद्ध करने का आदेश देगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि न्यायालय का समाधान मामले की परिस्थितियों से हो जाए कि उस व्यक्ति के द्वारा, जो पूर्वोक्त रूप से भिक्षुक पाया गया है, पुनः भिक्षा मांगने की सम्भावना नहीं है तो वह उस व्यक्ति को, सम्यक् भर्त्सना के पश्चात् प्रतिभू सहित या रहित इस बन्ध-पत्र पर छोड़ सकता कि वह उस अवधि, में, जिसमें बन्ध-पत्र प्रवृत्त है, भिक्षा मांगने से प्रविरत रहे और सदाचार रखे।

(6) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देते समय न्यायालय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) भिक्षा मांगने के लिए आरोपित व्यक्ति की आयु तथा चरित्र,

(ख) परिस्थितियां तथा दशायें जिनमें वह व्यक्ति रह रहा था, और

(ग) ऐसे अन्य विषय जिन पर न्यायालय की राय में, ऐसे व्यक्ति के हित में विचार किया जाना आवश्यक हो।

(7) उपधारा (5) के अधीन दिए गए आदेश, की एक प्रति प्रमाणित संस्था के अधीक्षक के पास तुरन्त भेजी जाएगी।

बालक भिक्षुकों के लिए विशेष उपबन्ध

11—(1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के होते हुए भी जहां यह पाया जाय कि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 10 के अधीन जांच की जानी है बालक है, वहां न्यायालय, यदि उत्तर प्रदेश बालक अधिनियम, 1951 के उपबन्ध उस स्थानीय क्षेत्र में लागू हों, उस बालक को अवयस्क न्यायालय में भेज देगा जो उसके प्रति उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही करेगा।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ आयु अभिनिश्चित करने के लिए न्यायालय किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा उसकी परीक्षा करा सकता है या ऐसा अन्य साक्ष्य ले सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

अनुवर्ती अपराधों के लिए शास्ति

12—(1) कोई भी व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में पहले निरुद्ध किया जा चुका हो, भिक्षा मांगते पाए जाने और दोष सिद्ध होने पर एतत् पश्चात् उपबन्धित रीति से दण्डित किया जायगा।

(2) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन पहली बार दोष सिद्ध हो तब न्यायालय उसे ऐसी अवधि के लिए जो एक वर्ष से कम न होगी और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगी, किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देगा।

(3) जब कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन दूसरी बार या पश्चात्वर्ती समय पर दोष सिद्ध हो तो न्यायालय उसे किसी प्रमाणित संस्था में पांच वर्ष की अवधि के लिए निरुद्ध करने का आदेश दे सकता है और किसी ऐसी निरुद्ध अवधि को (जो दो वर्ष से अधिक की न हो) उतनी ही अवधि तक के कारावास के दण्ड में परिवर्तित कर सकता है।

भिक्षुक पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के बालक का रखना

13—जहां न्यायालय ने किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया हो वहां वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, उस व्यक्ति पर पूर्णतया आश्रित पांच वर्ष से कम आयु के किसी बालक को, उसकी पूर्ण निरोध अवधि के दौरान या उसके भाग के लिये प्रमाणित संस्था में रखने का निदेश दे सकता है।

भिक्षुक या उसके संबंधियों से भरण-पोषण खर्च की वसूली

14—(1) न्यायालय, जो किसी व्यक्ति को धारा 10 या धारा 12 के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश देता है यह आदेश दे सकता है कि उसके माता-पिता या उसके भरण-पोषण के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति, यदि वह इस योग्य हो, उसके भरण-पोषण के लिये विहित रीति से अंशदान करे।

(2) यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध आदेश दिया गया है, उसके पास कोई सम्पत्ति है या वह किसी सम्पत्ति में किसी अंश का हकदार है, तो वह यह निदेश दे सकता है कि, भरणपोषण का व्यय जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, यथास्थिति, उसकी उक्त सम्पत्ति या सम्पत्ति में अंश से वसूल किया जायगा।

(3) उपधारा (1) या (2) के अधीन कोई आदेश देने के पूर्व न्यायालय उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध उपयुक्त उपबन्धों के अधीन कोई आदेश देने का प्रस्ताव हो, ऐसे आदेश के विरुद्ध कारण बताने का अवसर देगा।

(4) इस धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश में जिम्मेदार पक्ष द्वारा आवेदन करने पर या अन्यथा, न्यायालय द्वारा फेरफार किया जा सकता है।

(5) कोई धनराशि जिसकी वसूली के लिए उपधारा (1) या (2) के अधीन आदेश दिया गया हो उसी प्रकार वसूल की जाएगी मानों वह दाण्डिक अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा आरोपित जुर्माना हो।

भिक्षा मांगने या मंगवाने के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को सेवायोजित करने या उनका उपयोग करने के लिये शास्ति

15—जो कोई किसी व्यक्ति को भिक्षा मांगने के लिए सेवायोजित करता है या उससे भिक्षा मंगवाता है या कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा, प्रभार देखभाल में कोई बालक हो, उसे ऐसा करने की मौनानुमति देता है, उत्प्रेरित करता है या उत्साहित करता है या जो कोई किसी व्यक्ति का उपयोग भिक्षा मांगने के लिए प्रदर्शन के रूप में करता है, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास का दण्ड दिया जाएगा जो एक वर्ष से कम न होगा और तीन वर्ष तक विस्तृत हो सकेगा।

16—कोई व्यक्ति, जो किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने के लिए या किसी प्रमाणित संस्था या अन्य स्थान में ले जाए जाने के लिए, जब इस अधिनियम के अधीन अपेक्षा की जाय, किसी पुलिस अधिकारी या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के साथ, जाने से इन्कार या चूक करे, उसे दोष सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास का जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माने का या दोनों का दण्ड दिया जायगा। मजिस्ट्रेट आदि के समक्ष जाने से इन्कार करने के लिए दण्ड

17—(1) राज्य सरकार ऐसे स्थान या स्थानों पर जैसा वह उचित समझे, एक या अधिक प्रमाणित संस्थाओं का उपबन्ध और उनका अनुरक्षण कर सकती है और किसी संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ प्रमाणित संस्था होना प्रमाणित कर सकती है। प्रमाणित संस्था

(2) प्रत्येक ऐसी प्रमाणित संस्था अधीक्षक के प्रभार में होगी जिसे राज्य सरकार विहित निबन्धन तथा शर्तें पर नियुक्त करेगी।

(3) किसी ऐसी प्रमाणित संस्था में, यथासाध्य, कृषि, औद्योगिक तथा अन्य व्यवसायों के शिक्षण की तथा सामान्य शिक्षा और अन्तेवासियों की चिकित्सकीय देख-रेख के लिए उपबन्ध किया जायगा।

18—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किया जाय प्रबन्ध तथा अनुशासन के ऐसे नियमों, के अधीन होगा जो समय-समय पर विहित किए जायं जिसके अन्तर्गत शारीरिक या अन्य कार्य लेने और किसी ऐसे नियमों का उल्लंघन करने पर दण्ड देना भी है। प्रबन्ध तथा अनुशासन

19—ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी अन्य प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अन्तरण से ऐसे व्यक्ति की कुल निरोध अवधि में किसी भी स्थिति में कोई वृद्धि नहीं होगी: निरुद्ध व्यक्तियों का अन्तरण

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य में, उस राज्य सरकार की सहमति के बिन अन्तरित नहीं किया जायगा।

20—कोई व्यक्ति जो प्रमाणित संस्था से अधीक्षक की अनुज्ञा के बिना या किसी अन्य विधिपूर्ण कारण के बिना, संस्था से चला जाय या इस अधिनियम के अधीन अनुपस्थिति की अनुज्ञात अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् वापस न आये, वारन्ट के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या प्रमाणित संस्था के किसी अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत करे, गिरफ्तार किया जा सकता है और उसे प्रमाणित संस्था में वापस भेज दिया जायगा। प्रमाणित संस्था से भागने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी

21—(1) जहां राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध कोई व्यक्ति कुष्ठ रोगी है, या विकृत चित्त का है, वहां, यथास्थिति राज्य सरकार या इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति उस व्यक्ति को कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या सुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान में ले जाने का आदेश दे सकता है। कतिपय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को निरुद्ध करना

(2) लीपर्स ऐक्ट, 1898 और इंडियन लूनेसी ऐक्ट, 1912 के उपबन्ध के अधीन रहते हुए, यथा पूर्वोक्त कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, किसी कुष्ठ आश्रम या मानस चिकित्सालय या अन्य स्थान पर, किसी प्रमाणित संस्था में व्यतीत की गई निरोध अवधि को सम्मिलित करके ऐसी अवधि के लिए निरुद्ध नहीं किया जायगा जो धारा 10 या धारा 12 के अधीन उसे किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने के लिए आदेशित कुल अवधि से अधिक हो।

(3) जहां राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति विकृत चित्त का नहीं रह गया है या उसका कुष्ठ रोग ठीक हो गया है,वहां राज्य सरकार या ऐसा अन्य व्यक्ति उसे प्रमाणित संस्था में यदि उसे आगे भी निरुद्ध करना हो, भेजने का आदेश देगा अन्यथा उसे उन्मुक्त करने का आदेश देगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जहां किसी भिक्षुक को विकृत चित्त या कुष्ठ रोग के कारण तुरन्त हटाना आवश्यक हो वहां प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को उस समय तक विहित रीति से कार्यवाही करने की छूट होगी जब तक कि राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से उपर्युक्त के अनुसार आदेश प्राप्त न किया जा सके।

निरोध अवधि की समाप्ति के पूर्व अस्थायी रूप से या सशर्त छोड़ा जाना

22--(1) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, राज्य सरकार या तदर्थ प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किसी व्यक्ति को अल्पावधि के लिए अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा दे सकता है या किसी भी समय ऐसे व्यक्ति को सशर्त छोड़ सकता है और उसे इसके लिए लाइसेन्स दे सकता है।

(2) ऐसी शर्तों के अधीन जो विहित की जायं, उपधारा (1) के अधीन दिया गया लाइसेन्स किसी भी समय विखण्डित किया जा सकता है और तदुपरान्त ऐसे लाइसेन्स पर छोड़ा गया व्यक्ति अपने को अध्यर्पित करेगा और व्यतिक्रम करने पर गिरफ्तार किया जायगा और उसे किसी प्रमाणित संस्था में उस अवधि की समाप्ति तक निरुद्ध किए जाने के लिए भेजा जायगा जिसके लिए उसे धारा 10 या धारा 12 के अधीन निरुद्ध किए जाने का आदेश दिया गया हो ।

(3) जिस अवधि में कोई व्यक्ति किसी प्रमाणित संस्था से उपर्युक्त अनुज्ञा द्वारा या लाइसेन्स पर अनुपस्थित हो उस अवधि को, प्रमाणित संस्था में उसकी निरोध अवधि की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी निरुद्धि का भाग समझा जायगा।

(4) पूर्ववर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति भिक्षा मांगने से विरत रहेगा तो वह किसी भी समय यह निदेश दे सकती है कि उसे बिना शर्त छोड़ दिया जाय और तदुपरान्त उस अवधि को जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को प्रमाणित संस्था में निरुद्ध करने का आदेश दिया गया था, समाप्त समझा जायगा।

भिक्षुक की स्वास्थ्य परीक्षा

23--(1) इस अधिनियम के अधीन किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किए जाने के लिए आदेशित व्यक्ति की, प्रमाणित संस्था में पहुंचने के पश्चात् यथाशीघ्र चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की जायगी।

(2) चिकित्सा अधिकारी आयु और स्वास्थ्य की सामान्य स्थिति और मानसिक और शारीरिक स्थिति और विशेषत: इस बात की रिपोर्ट देगा कि वह व्यक्ति किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित है या नहीं और वह कोई शारीरिक परिश्रम करने के योग्य है या नहीं।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट ऐसे प्रमाणित संस्था के अधीक्षक को भेजी जाएगी और रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार तदर्थ प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी कार्यवाही के लिए भेजी जायगी जो उचित समझी जाय।

प्रमाणित संस्था में तलाशी

24—प्रमाणित संस्था का अधीक्षक यह निदेश दे सकता है कि प्रमाणित संस्था में आए हुए व्यक्ति की तलाशी ली जायगी, उसे साफ सुथरा बनाया जायगा, उसके व्यक्तिगत सामान का निरीक्षण किया जायगा और यदि उसके पास धन या अन्य वस्तु पाई जाय तो उसका निस्तारण विहित रीति से किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी महिला की तलाशी शिष्टता का ध्यान रखते हुए महिला द्वारा ली जाएगी।

अंगुली की छाप लेने की शक्ति

25—(1) इस अधिनियम के अधीन प्रमाणित संस्था में निरुद्ध किए जाने के लिए आदेशित प्रत्येक व्यक्ति, किसी भी समय, तदर्थ नियमों द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को अपनी अंगुली की छाप लेने देगा।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के अधीन अपनी अंगुली की छाप देने से इन्कार करे, दोष-सिद्धि पर ऐसी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकती है।

पशुओं का अभिग्रहण और निस्तारण

26—(1) धारा 9 के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई पुलिस अधिकारी किसी पशु को अभिगृहीत कर सकता है जिसके जख्म, घाव, चोट, विकृति या रोग को ऐसे व्यक्ति द्वारा भिक्षा प्राप्त करने या बलात् लेने के उद्देश्य से अभिदर्शित या प्रदर्शित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत पशु को निकटतम पशु चिकित्सालय भेजा जा सकता है और उसका निस्तारण न्यायालय के आदेशानुसार किया जायगा।

अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे

27—इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

अपील और पुनरीक्षण

28—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन अपील और पुनरीक्षण के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के अधीन दिये गये आदेश को कारावास का दण्ड समझा जायगा।

लोक सेवक समझे जाने वाले व्यक्ति

29—इस अधिनियम के द्वारा या अधीन किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए सशक्त सभी व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

इस अधिनियम के अधीन लिये गये बन्ध-पत्र

30—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 33 के उपबन्ध, यथाशक्य, इस अधिनियम के अधीन लिए गये बन्ध-पत्र पर लागू होंगे।

नियम

31—(1) राज्य सरकार, शासकीय गजट में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त अथवा किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) समिति की शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य ;

(ख) स्थानीय सहायता समितियों का गठन, उनकी शक्ति, कृत्य और कर्त्तव्य ;

(ग) वह रीति जिसके अनुसार धारा 9 के अधीन गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को किसी न्यायालय के समक्ष लाये जा सकने तक रखा जायगा ;

(घ) धारा 10 की उपधारा (1) अधीन संक्षिप्त जांच करने की रीति ;

(ङ) वह रीति जिसके अनुसार किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के भरण-पोषण के लिए धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अंशदान किया जायगा ;

(च) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रबन्ध तथा अनुशासन जिसके अन्तर्गत उससे शारीरिक और अन्य कार्य लेना और नियमों के उल्लंघन के लिए दन्ड देना भी है ;

(छ) वे शर्तें जिनके अधीन कोई निरुद्ध व्यक्ति, एक प्रमाणित संस्था से राज्य में या राज्य के बाहर दूसरी प्रमाणित संस्था में अन्तरित किया जा सकता है ;

(ज) धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन चित्त की विकृति या किसी अन्य कारण से किसी व्यक्ति को प्रमाणित संस्था से हटाए जाने की रीति और शर्तें ;

(झ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन किसी प्रमाणित संस्था से अस्थायी अनुपस्थिति के लिए अनुज्ञा की शर्तें और अस्थायी रूप से छोड़े जाने के लिए लाइसेन्स की शर्तें ;

(ञ) वह रीति जिसके अनुसार धारा 23 के अधीन किसी भिक्षुक की चिकित्सकीय परीक्षा की जायगी ;

(ट) किसी प्रमाणित संस्था में निरुद्ध व्यक्ति के कब्जे में प्राप्त वस्तुओं के धारा 24 के अधीन निस्तारण की रीति ;

(ठ) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन व्यवस्थित किसी विषय के सम्बन्ध में फीस ;

(ड) कोई अन्य विषय जिसे विहित करना अपेक्षित हो या विहित किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, राज्य विधान मन्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त जो एक सत्र या दो सत्र या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जिन्हें विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन तद्धीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 31 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

भिक्षा वृत्ति रोकने और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने के लिये विधेयक

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्षमें निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना, प्रारम्भ और प्रभाव।

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसे नगर, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया या टाउन एरिया या उसके भाग या ऐसे अन्य स्थानीय क्षेत्र में ऐसे दिनांक से लागू होंगे जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट करे, और भिन्न-भिन्न क्षेत्रों और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

(4) राज्य सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध प्रथमत: केवल बालकों पर लागू होंगे, और समय-समय पर, पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं द्वारा इस अधिनियम को अन्य श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू होने का निदेश दे सकती है।

(5) राज्य के किसी क्षेत्र में और किसी भी वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में उपधारा (3) और उपधारा (4) में उपबन्धित रीति से इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर उस क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त तदनुरूप विधियां, उस वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में प्रभावहीन हो जायेंगी और ऐसी प्रभावहीनता पर संयुक्त प्रान्त साधारण खन्ड अधिनियम, 1904 की धारा 6 क उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी अधिनियमिति के निरसन पर लागू होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती मोहसिना किदवाई—

मान्यवर, मैं आपकी इजाजत से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश भिक्षा वृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध विधेयक, 1975 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा

समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

यहां सदन में बहुत से हमारे सदस्य ऐसे हैं जो प्रदेश के पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, उनके यहां की, उनकी कुछ अलग समस्यायें हैं। उन समस्याओं पर चर्चा इस सदन में हो यह आवश्यक है। यह इसलिए भी जरूरी है कि वहां की जो कठिनाइयां हैं, और खासकर इस मौसम में जो ज्यादा बढ़ जाती हैं, उन पर यहां चर्चा हो सके और माननीय सदस्य अपनी राय इन परेशानियों पर दे सकें और सरकार उनका लाभ उठाकर उन परेशानियों को दूर करने में सक्षम हो सके।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, यहां कई बार सदन में चर्चा आई पिछड़े इलाकों के बारे में। हमारे प्रदेश में पूर्वी उत्तर प्रदेश, बुन्देलखंड और पहाड़ी—ये तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिलसिले में आप भी जानते हैं, क्योंकि इस सदन के पुराने सदस्य आप रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 जिले हैं गोरखपुर और वाराणसी कमिश्नरी के। इनके बारे में मैं जानता हूं, यहां इतना पिछड़ापन है कि वहां लेबर और किसान के पास कोई ऐसे आय के साधन नहीं है, कि वे अपनी जीविकोपार्जन कर सकें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में न तो खेती के कोई अच्छे साधन हैं, न कोई स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज हैं और न ही वहां कोई हैवी उद्योग हैं। न कोई ऐसी चीज है, जिससे वहां के मजदूर और खेतिहर मजदूर और किसान आज के आधुनिक विकास के युग में अपना जीवन भरपेट खाकर भली भांति बिता सकें। वहां पर 25-27 साल पहले जो हालत थी, वही आज भी है उसमें कोई ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। जो थोड़ा हुआ है, वह न के बराबर है। आप जानते हैं कि जहां से बिजली सप्लाई होती थी—रिहन्ड डैम योजना, वह पानी के अभाव में रुकी पड़ी है, ओबरा थर्मल पावर इतनी बिजली नहीं दे सकता है, जिससे पूर्वी प्रदेश खेती कर सके। शारदा कैनाल का एक्सटेंशन हो रहा है, जो अभी पूरा नहीं हुआ, दो साल की योजनाएं हैं, उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर को छोड़कर जहां पर कोई बड़ा कारखाना नहीं है और वाराणसी को छो कर जहां रेलवे का डीजल लोकोमोटिव कारखाना है, शेष नौ जिलों में कोई उद्योग धन्धे नहीं हैं। गोरखपुर में एक अवश्य बड़ा फर्टिलाइजर का कारखाना केन्द्र सरकार का है, किन्तु उसमें जो भरती होती है वह पूरे भारतवर्ष के स्तर पर होती है, उसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं आ पाते हैं। लेबर में भी दूसरे प्रदेश के आदमी आ जाते हैं, स्थानीय आदमी नहीं लिए जाते हैं। इसलिए उस कारखाने का पूर्वी उत्तर प्रदेश के अर्थात् गोरखपुर के लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। सरकार के सामने सुझाव दिए गये हैं। पटेल कमीशन जो केन्द्रीय सरकार ने बनाया था, उसने बड़ी विस्तृत रिपोर्ट दी है। उसने यहां तक कहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आदमी जानवरों के खाने लायक खाना खाते हैं और उससे भी बदतर जिन्दगी व्यतीत करते हैं। रबी की मड़ाई में जो जानवरों का गोबर होता है उसमें से जो अन्न निकलता है, पूर्वी जिलों में किसान उसको धो कर खाता है। जो सड़ा हुआ चोट्टा बरेली मिल या बड़ी मिल का होता है, धान की रोपाई में जुलाई, अगस्त, सितम्बर में वहां के किसान के पास गुड़ नहीं रहता, वही चोट्टा खरीद कर पीता है और मजदूरों को भी मिलता है। पटेल कमीशन जब आया.....

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिवेनी जी, विकास की समस्याओं के बारे में आप सुझाव दें कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार का विकास होना चाहिए और नहीं हुआ। दूसरे यह ऐसा महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें बहुत से माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों के बारे में सुझाव देना चाहेंगे, इसलिये समय का भी ध्यान रखें। ऐसे सुझाव दें जिससे क्षेत्र की जनता और विधान सभा लाभान्वित हो सके।

चौधरी रामपालसिंह यादव (जिला कानपुर)—

कोरम हाउस में नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुन: आरम्भ हुई।)

श्री त्रिवेनी—

तो मैं सुझाव यह दे रहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में सिंचाई के साधन किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा बनाये जायं और बिजली की जो कमी है, उसके लिये ओबरा के एक्सटेन्शन को पूरा किया जाय। रिहन्ड डैम में पानी न होने के कारण बिजली नहीं मिलती। उसका भी कुछ उपाय किया जाय। मजदूरों के लिए स्माल स्केल इन्डस्ट्री हो या बड़े उद्योग हों, वे ज्यादा से ज्यादा खोले जायं। आवागमन के साधन पूरे किये जायं। पूर्वी जिले के विद्यार्थियों के पढ़ने लिखने के लिए समुचित व्यवस्था की जाय। जैसे यूनिवर्सिटियों में गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसमें साधन की कमी है। उसको पूरा किया जाय। यह सुझाव इस सदन में कई बार दे चुका। पटेल कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी लेकिन उसी बीच में इमरजेन्सी आ गयी और पटेल कमीशन के कार्य ठप हो गये। ये तीन चार सुझाव हैं। किसानों के लिये सिंचाई के साधन जब पूरे हो जायेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को और मजदूरों को रोजगार मिलेगा। वहां के मजदूर, गोरखपुर और बनारस डिवीजन के मजदूर बम्बई, कलकत्ता और दूसरे शहरों में जा कर काम करते हैं। मैंने दिल्ली में देखा हर फैक्टरी में गोरखपुर डिवीजन के ही मजदूर मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय त्रिवेनी जी, आप विषय से बाहर बोल रहे हैं।

श्री त्रिवेनी—

पूर्वी उत्तर प्रदश में सिंचाई, बिजली और उद्योगों की कमी है। अगर सरकार इन कमियों को पूरा कर दे तो वहां का उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि बुन्देलखंड के इलाके की भी हालत बहुत खराब है। मैं चाहता हूं कि हर इलाके में साधन दिए जाने चाहिए जहां पर साधनों की कमी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी हैं नहीं, जिन्हें सुनना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री आर्य जी उपस्थित हैं, संयुक्त जिम्मेदारी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इनसे कोई मतलब नहीं है। जब आपने घंटी बजायी तो दौड़े चले आये। पिछड़े जिलों के विकास के बारे में कोई खास दिलचस्पी है नहीं। त्रिवेनी जी बोल रहे थे। श्रीमन् हमारे सूबे के 14 जिले अत्यन्त पिछड़े हुए हैं जिनका स्तर बहुत नीचा है, वह चाहे अवध के हों या पहाड़ के जिले हों या बुन्देलखंड के जिले हों या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले हों। तो श्रीमन् यह है हमारी हालत। श्रीमन् हमारा विकास कैसे होगा। विकास 2-3 तरीके से हो सकता है। शिक्षा में प्रगति हो जाये, दूसरे सिंचाई के साधन उपलब्ध हो जायं और तीसरे कृषि में विकास हो जाए और उद्योग धन्धे लग जाएं। ये चार चीजें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। अब श्रीमन् सिंचाई की हालत आपसे छिपी नहीं है। मुश्किल से सब मिलाकर टोटल सब साधनों से मिलाकर 30 फीसदी सिंचाई है, चाहे वह नहर से हो या ट्यूबवेल से हो। अभी भी 70 फीसदी हमारे प्रदेश में टोटल असिंचित

[श्री ऊदल]

क्षेत्र है। सरकार का ध्यान है उस तरफ, लेकिन जितना ध्यान जाना चाहिये उतना नहीं है। अब आजकल इनका शारदा सहायक योजना पर ध्यान है। जहां पर यह योजना नहीं है वहां ट्यूबवेल लग सकते हैं। ट्यूबवेल की हालत यह है कि न तो परसाल मिला और न इस साल मिला कोई ट्यूबवेल।

एक बार योजना बनी थी आपको याद होगा कि विश्व बैंक की योजना आयी थी। 2 जिलों को इसमें लिया गया, बनारस और इटावा 350 बनारस के लिए और लगभग 300 नलकूप एटा में स्थापित करने की योजना थी, लेकिन सब खटाई में पड़ा हुआ है। तो हम इनको सुझाव देकर क्या करें। अभी तक एक भी नलकूप सरकारी नहीं मिला। हमारे यहां 2 तहसीलों में नहरें हैं और ज्ञानपुर और बनारस तहसील में न नहर है और न दूसरा कोई सिंचाई का साधन है। वहां केवल नलकूप हो सकते हैं। आजमगढ़ के कुछ हिस्से में नहरें हैं और बाकी में नलकूप हो सकते हैं। तो, श्रीमन्, प्रतापगढ़ की हालत और जौनपुर की हालत भी बहुत खराब है। माननीय आर्य जी कम से कम इस भावना को अपनी इमरजेन्सी की जो कैबिनेट हो उसमें रख देंगे, लेकिन जब याद रहे तब, क्योंकि आपको याद भी कम ही रहता है।

एग्रीकल्चर पर आप गौर करें, यह कितनी महंगी हो गई है। सरकार ने 15 रुपये प्रति हार्स पावर प्रति माह बिजली के बढ़ा दिए हैं खाली सिंचाई के लिए चाहे वह चलाए या न चलाए। आज भी हजारों कनेक्शन्स कटे पड़े हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने खाद के कुछ दाम गिराये हैं लेकिन अगर थोड़े और गिरा देती तो बहुत उत्तम होता। पंजाब में 10 रुपया प्रति हार्स पावर है। मैं यह मानता हूं कि पहले बिजली की बहुत चोरी होती थी, चालाक लोग कनेक्शन कट जाने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों से मिलकर के कनेक्शनों को जोड़ लेते थे। इस प्रकार से लाखों रुपये की चोरी होती थी, यह अपनी जगह पर सत्य है। इस 15 रुपये प्रति हार्स पावर के हो जाने से अब बिजली की चोरी बहुत कम हो गई है लेकिन किसानों की कमर टूट गई और अगर जांच कराई जाय तो पता चलेगा कि हजारों कनेक्शन आज भी कटे पड़े हुए हैं। जब सरकार चाहती है कि खेती में उन्नति हो तो मेरा निवेदन है कि 15 रुपये के स्थान पर 10 रुपया प्रति हार्स पावर, जिस प्रकार से पंजाब में है, कर दिया जाय।

अब मैं शिक्षा पर आता हूं। शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हालत यह है, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले विधेयक के सम्बन्ध में जिक्र किया, कि देहातों में शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि देहातों की शिक्षा के बारे में भी सरकार सोचे। लड़कियों की शिक्षा के बारे में तो बहुत ही खराब व्यवस्था है। जिस प्रकार से देहातों में प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनके लिए कोई इस प्रकार की शिक्षा संस्थायें नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ऊदल जी, इस प्रस्ताव में यह है कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर सदस्यों की राय जानने हेतु चर्चा। आप इसी पर अपने विचार व्यक्त करें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, जब शिक्षा ही नहीं होगी तो विकास क्या खाक होगा, उद्योग और खेती ही नहीं बढ़ेगी तो क्या विकास हो पायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--

योजनाओं के सम्बन्ध में यदि कुछ समस्यायें हों तो उनके बारे में आप अपने विचार व्यक्त करें।

श्री ऊदल--

मान्यवर, यदि देहात में सड़कें ही नहीं होंगी तो किसान जो उत्पादन करता है, उसे वह मन्डियों में नहीं पहुंचा पाएगा तो कम से कम गांवों में जो सड़कें कच्ची हैं और मुख्य हैं, उनको पक्का कर दिया जाय। और वे सड़कें जो लम्बी-लम्बी सड़कों को जोड़ती हैं, उनका पक्का करना तो बहुत ही आवश्यक है।

जहां तक हमारे उद्योग धन्धों की बात है वे हमारी कृषि पर आधारित नहीं हैं क्योंकि हमारी कृषि की इतनी तरक्की नहीं हुई है कि हम कृषि के ऊपर बड़े-बड़े उद्योग खड़े कर सकें। कृषि के उपर बहुत बड़े-बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं, बड़ी-बड़ी डेयरीज खोल कर चाहे वे कोआपरेटिव बेसिस पर हों या और किसी बेसिस पर हों, इलाके के किसानों को लाभ पहुंचा सकते हैं। आस-पास के इलाके के किसानों को गायों को और भैंसों को पालने की आदत डलवानी चाहिए और उसके दूध को लेकर उसे रोजगार से लगाया जा सकता है। इन डेयरीज को हम अपने पिछड़े क्षेत्रों में खोल सकते हैं और लोगों को मदद दे सकते हैं, उनकी बेकारी को दूर कर सकते हैं, उस क्षेत्र का विकास भी कर सकते हैं।

मान्यवर, हमारे पहाड़ों में बड़े खनिज पदार्थ हैं। हमारे मिर्जापुर में चकिया और नौगढ़ में तो बहुत खनिज पदार्थ पड़े हुए हैं। अब इसको सरकार कितना कर पायेगी कितना नहीं, क्योंकि सब काम पैसे का है, इसलिये मैं चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। बुन्देलखंड और बनारस के आस-पास का हिस्सा, रामनगर और चकिया तहसील का है इसका व्यापक सर्वे होना चाहिये और सर्वे होकर जो वहां से निकलने लायक है उसको निकालना चाहिए और उद्योग-धन्धों को खोलना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि उद्योग की स्थापना, शक्ति की व्यवस्था और कृषि के क्षेत्र में अच्छे बीज इत्यादि देकर कृषि का विस्तार और कृषि पर आधारित उद्योग और सड़कें आदि हैं उनकी बड़ी जरूरत है, और उनके द्वारा किसानों को राहत मिल सकेगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर हम विचार करते हैं तो कुछ पिछड़ापन उन क्षेत्रों का दूर हो सकता है और सरकार को विचार करना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ, श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार इस विषय पर व्यक्त करना चाहेंगे। मैं पसन्द करूंगा कि प्रत्येक माननीय सदस्य 7 से 10 मिनट के भीतर ही अपना समय लें और अपने विचार व्यक्त करें।

*श्री बालकृष्ण सनवाल (जिला नैनीताल)--

अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास की इस चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया। मैं भी पहाड़ के पिछड़े क्षेत्र से आया हूं और जिस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुन्देलखंड हैं उसी प्रकार से पहाड़ का क्षेत्र भी पिछड़ा हुआ है। वहां प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। बन बहुत हैं और खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, परन्तु कुछ ऐसी समस्यायें हैं जिनके कारण पिछड़ापन बना हुआ है। सबसे पहले, खेती के लिए कृषि भूमि बहुत कम है। 70 फीसदी बनों से ढंका हुआ है, 30 प्रतिशत ही कृषि के काम में आता है। उसमें से भी मेरा ख्याल है कि 5 प्रतिशत सिंचाई के योग्य भूमि रहती है। तो इस तरह से अनाज का अभाव है। परन्तु जो वन-संपदा वहां है उसका उपयोग नहीं होता। मेरा सुझाव यह है कि वहां पर जो वन-संपदा है चाहे वह औषधियों, जड़ी-बूटियों के रूप में, लकड़ी के रूप में या इमारती लकड़ी के रूप में या पेपर-पल्प बनाने वाली लकड़ी के रूप में है उन सब का उपयोग अगर उसी क्षेत्र में किया जाय तो उससे वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आज स्थिति यह है कि कारखाने नाम के लिए भी कोई

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बाल कृष्ण सनवाल]

वहां पर नहीं हैं। थोड़ा बहुत मैदानी हिस्से में तराई भावर के हिस्से में कुछ धान कूटने की मशीनें लगी हैं। आरा मशीनें लगी हैं, परन्तु ऊपर पहाड़ी हिस्सों में बिलकुल अभाव है।

सबसे पहले औद्योगीकरण के लिए सड़कों का होना आवश्यक हैं। पिछले वर्षों में, विशेष तौर से जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया और सीमा से सम्बद्ध होने के कारण वहां पर सड़कों का निर्माण हुआ और केन्द्रीय सरकार की सहायता से कुछ बनी हैं और जहां उससे सुरक्षा की दृष्टि से उनको बनाया गया उनका उपयोग जनता के लिए भी हुआ है। तो सड़कों का निर्माण और अधिक हो जिससे वन-सम्पदा को आसानी से जंगलों से निकाल कर ऐसे स्थानों पर लाया जा सके जहां पर उनका कारोबार हो।

दूसरी समस्या जो आमतौर पर पैदा होती है वह फलों की है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ों का फल सस्ता बिकता है, उसके लिये मार्केट नहीं है जबकि कश्मीर और हिमांचल का फल महंगा बिकता है। क्योंकि वहां की सरकार वहां के उत्पादकों को बढ़ावा देती है। हमारे यहां कोई ठोस रूप में ऐसी स्कीम सामने नहीं आयी है। हमारे यहां उत्पादकों को कुछ सहायता दी जाती है पर उस पैमाने पर नहीं जिस प्रकार हिमांचल प्रदेश में दी जाती है। मैं समझता हूं कि फल से सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि वहां फारेस्ट्स से लीसा निकलता है जिससे बिरोजा, रेजिन, वार्निश वगैरह बनती है। सारा कच्चा माल नीचे आता है और बरेली में पक्का किया जाता है फिर जाता है कलकत्ता। तो कच्चा माल पहाड़ों पर है, मजदूर भी वहां उपलब्ध हो सकते हैं, उसको दूर ले जा कर वहां पर प्रोसेसिंग करना यह कुछ उचित नहीं है। मेरा आग्रह है उत्तर प्रदेश सरकार से कि जितना भी लीसा वगैरह वहां निकलता है अगर पूरे के फिनिश्ड गुड्स वहां नहीं बन सकते हैं तो आधा माल वहां तैयार किया जाय जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि पहाड़ों में घास बहुत है। ऐसे-ऐसे वृक्ष हैं जिनकी घास जानवरों को खिलाने के काम में आ सकती है। अगर हम दुधारू जानवरों को वहां दे सकें तो अधिक दूध का उत्पादन वहां हो सकता है और उसे दूसरे रूप में परिणित किया जा सकता है। आज स्थिति यह है कि हमारे पढ़े-लिखे नौजवान नौकरी के लिये घूमते हैं। या तो उत्तर प्रदेश के लोग मजदूरी करते हैं या फिर पहाड़ के आदमी मजदूरी करने पहुंचते हैं।

इसके अलावा पहाड़ों में जो खनिज पदार्थ हैं उनका उपयोग वहीं पर किया जाय। कुछ वर्ष पहले मैंगनेसाइट फैक्टरी वहां खुली है। उससे भी वहां उद्योग की दिशा में कुछ प्रगति हुई है।

जड़ी-बूटियों की बात मैं क्या कहूं। वहां ऐसे-ऐसे पौधे हैं जिनकी दवाइयां बनती हैं और जिनको लोग एकत्र करके कानपुर, कलकत्ता, बम्बई आदि भेजते हैं। मिट्टी के भाव का सामान हमारे यहां से जाता है जबकि लाखों की कीमत का वह होता है। उनके कारखाने अगर वहां बना दिये जाएंगे तो वहां की गरीबी दूर हो सकती है। वहां छोटे-छोटे पावर हाउस बनाये जा सकते हैं क्योंकि पानी वहां लगातार बरसता है और नदियों में पानी हमेशा रहता है। वहां के नौजवानों को टेक्निकल एजूकेशन दी जाय जिससे वह लोग अपने यहां रोजगार कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकें। मैं इन शब्दों के साथ में पुनः आपको समय देने के लिये धन्यवाद देता हूं।

*श्री प्रेम दत्त (जिला फतेहपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का समय दिया। दुर्भाग्य है कि मैं जनपद फतेहपुर का हूं जो न पूर्व में गिना जाता है न पश्चिम में। पूर्व की सीमा इलाहाबाद तक मानी जाती है और पश्चिम की सीमा कानपुर तक। ऐसे सैंडविच में हम फतेहपुर में रह रहे हैं। आज मुख्य मन्त्री जी बड़े अच्छे मूड में हैं। जो लोग यहां नहीं हैं, जिन्होंने वाक-आउट किया है उन्होंने भी मुझे बताया कि माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो विधेयक रखा है उसका वह हार्दिक स्वागत करते हैं लेकिन रेकार्ड में नहीं लाना चाहते थे। बुन्देलखंड बना। उसमें जो जिले आते हैं उसमें भी फतेहपुर उपेक्षित रहा। पहाड़ी योजना बनी। अच्छी योजना है, मैं उसका स्वागत करता हूं। पूर्वी जिलों की मांग जब यहां **पर** होती है तो बहुत घसीट कर इलाहाबाद तक आते हैं और फतेहपुर के विषय में कोई बात नहीं करता। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आता हूं वह क्षेत्र मान्यवर, आपका जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे मिला हुआ है और आप यह जानते होंगे हम लोगों के निर्वाचन क्षेत्रों की दक्षिणी सीमा जमुना जी से मिली है। वही जमुना जी जब इलाहाबाद में पहुंचती हैं तो वहां के लिये विशेष योजना है, वही जमुना जी आगरा में भी पहुंचती हैं, वहां पर विशेष योजना है, लेकिन फतेहपुर के लिये कोई योजना नहीं है। वहां के विकास के लिए कोई प्राविधान आज तक नहीं किया गया। अभी जो सीलिंग ऐक्ट आया था उसमें जमुना जी के उत्तर में 16 किलोमीटर का प्राविजन रखा गया था जिसमें आपका क्षेत्र और मेरा क्षेत्र कवर कर लेता है। उस सीलिंग से बड़े काश्तकारों को तो लाभ हुआ, मगर छोटे काश्तकारों को लाभ नहीं हुआ। मैं विरोध पक्ष में खड़े होकर बोल रहा हूं, इससे यह भ्रम न हो जाय कि मैं विरोध पक्ष में हूं। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि बुन्देलखंड की परिभाषा में जिस तरह से आपने सीलिंग में 16 किलोमीटर रखा है, जमुना के उत्तरी क्षेत्र को उसमें माना है, उसी परिभाषा के अन्तर्गत बुन्देलखंड की योजना जो आप बनाने जा रहे हैं उसे भी शामिल कर लें। इससे हमारे क्षेत्र में काफी तरक्की हो सकती है।

हमारे क्षेत्र के आदमी जब फतेहपुर जाते हैं तो बीच में एक नदी पड़ती है। उस पर पुल न होने के कारण फतेहपुर जो 15 मील पर है, बड़ा चक्कर काटकर जाना पड़ता है और उस ओर से जाने में फतेहपुर 35 मील पड़ जाता है। अगर कोई मरीज है, वह तो फतेहपुर तक पहुंच भी नहीं पाता है, रास्ते में ही मर जाता है। हमारे क्षेत्र के ही जब माननीय उदित नारायण शर्मा जी थे, उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिया था, पर वह पूरा नहीं हुआ। माननीय मुख्य मन्त्री जी आज यहां बैठे हैं, मेरा विश्वास है वे इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। इस पुल के बनवाने में कोई बहुत ज्यादा खर्च भी नहीं आयेगा। इसके दोनों तरफ पक्की पेन्टेड सड़कें भी हैं।

हमारे क्षेत्र के 10 मील के फासले पर एक बिन्दकी नगर है, वहां तक लोग नहीं जा पाते हैं। भारत एक पिछड़ा देश है, उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा है, उत्तर प्रदेश में फतेहपुर जिला सबसे पिछड़ा है और फतेहपुर जिले में हमारा क्षेत्र सबसे पिछड़ा है। इसलिए इस ओर माननीय मुख्य मन्त्री विशेष ध्यान दें। यह बड़े ही कलंक की बात हमारे लिए है कि वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है।

हमारे यहां गन्ना बहुत होता है। वहां कोआपरेटिव बेसिस पर अगर एक मिल लगा दी जाय तो काफी बेकारी दूर हो जायेगी। हमारे यहां हड्डी भी बहुत होती है। उसकी भी एक मिल लगा दी जाय। कच्चा चमड़ा बाहर बहुत जाता है और मैं कहूं कि वहां से आगरा और कानपुर को फीड होता है तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। मान्यवर, मुझे विश्वास है और आज आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मन्त्री

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रेम दत्त]

जी से निवेदन करूंगा कि वे कम के कम चमड़े का कोई ऐसा कारखाना वहां के लिए दे दें जिससे वहां की बेकारी दूर हो सके वहां पर स्टील की इन्डस्ट्री कायम करने से भी वहां की बेकारी दूर हो सकती है। मेरे यहां पूरे निर्वाचन क्षेत्र में रेल का पहिया नहीं जाता है। रेल की पहिया कोई बड़ी भारी बात नहीं है, वहां पर बस का पहिया भी मुश्किल से 12-14 किलोमीटर जाता है। इसका कारण केवल यह है कि वहां आवागमन का साधन गड़बड़ है। आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना है कि हमारे यहां जो सड़कें हैं वहां रोडवेज की व्यवस्था कर दी जाय।

हमारे यहां कोई जनाना अस्पताल भी नहीं है पूरे क्षेत्र में। होता यह है कि वहां जो नर्सेज वगैरह हैं उनके बल पर अपना उपचार कराना पड़ता है या ज्यों के त्यों लोग वहां पर बैठे रहते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि एक जनाना अस्पताल हमारे क्षेत्र में कर दें तो बड़ी भारी कृपा होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करने की कृपा करें।

श्री प्रेम दत्त--

आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि जो सुझाव मैंने सरकार को दिये हैं उनमें से एक पुल वाली बात मान ली जाती है तो वहां की जनता इसके लिए शासन को बधाई देगी। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्य मन्त्री जी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। आपने समय दिया इसके लिये आपको धन्यवाद है।

मुख्य मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा)--

मान्यवर, एक बात मैं कह दूं कि यह प्रस्ताव मैं कल, परसों या कुछ दिन पहले लाया था कि हम उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र के सम्बन्ध में विचार करें। तो मेरी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें विकास होना है तो किस तरह से हो, इस स्ट्रेटजी पर रोशनी आ जाय कि कौन सी रणनीति अपनायी जाय जिससे तमाम विकास हो सके, तो उससे बहुत फायदा होगा। अभी तक क्या रणनीति अपनायी गयी है, जो योजनागत कार्यक्रम हैं आप उस सम्बन्ध में अच्छी तरह से जानते हैं। अगर आपके विचार उस सम्बन्ध में मिल जायं तो उस पर कल जो कुछ भी होगा, कुछ समय मिलेगा और कल उस सम्बन्ध में जो कुछ भी होगा मैं अन्तिम रूप से प्रकाश डालूंगा लेकिन अगर इस पर सभी माननीय सदस्यों से कुछ रोशनी मिल जाय कि क्या-क्या काम है तो उसमें आसानी रहेगी। इसीलिये यद्यपि मुझे उर्दू अकेडमी की मीटिंग में साढ़े 4 बजे जाना था, मैंने उनसे माफी मांग ली कि मैं 5 बजे से पहले नहीं आ सकूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी मुझे स्मरण करा दिया, हमारे ऊपर काम का बड़ा भारी बोझ है, सारे देश पर बोझ है और उस बोझ को कैसे जल्दी उतारें, इसके लिये क्या रास्ता निकले, इस पर ध्यान देना है। पैसे सीमित हैं, और रणनीति क्या हो, जैसे, आपने हड्डी की बात कही, या चमड़े की बात है, खेती की बात है, पशु विकास की बात है, तथा और क्या-क्या काम किये जायं जिससे हम आगे बढ़ सकें, इस पर अगर माननीय सदस्यों से कुछ रोशनी मिल जाय तो बड़ी कृपा होगी।

*श्री रामायण राय (जिला देवरिया)--

मान्यवर, यह जो पुस्तिका है, इस पुस्तिका की तरफ भी दृष्टिपात माननीय सदस्यों ने किया होगा और सम्पूर्ण प्रदेश में जन-संख्या का घनत्व पूरब में कितना है, पश्चिम में कितना

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और मध्य में कितना है, यदि उस पर माननीय सदस्यों ने दृष्टिपात किया होगा तो उनको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि जन संख्या के घनत्व का जहां तक प्रश्न है वह सबसे अधिक पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। मान्यवर, कोई भी बाहर से जाने वाला आदमी गोरखपुर से देवरिया की तरफ आगे को जाय तो उसे विकसित खेती भी दिखलायी देती है, नहरें और सड़कें भी दिखलायी देती है और इस इलाके में कई विकास के कार्य भी शासन की तरफ से करने के प्रयास दिखलायी देते हैं और उसे लगता है कि यहां विकसित खेती भी है, सड़कें भी बनी है, और कहीं-कहीं चिमनियों से धुंआं भी निकलता दिखलायी देता है, फिर क्या वजह है कि यह इलाका पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है।

मान्यवर, जहां तक मैं समझ पाया हूं कि इन क्षेत्रों में संतुलित विकास नहीं हुआ है। और न इन क्षेत्रों म जन-संख्या का जो भार भूमि पर आधारित है उसको हटाने के लिये कोई निश्चित नीति शासन की रही। फलत: मान्यवर, पिछले दिनों जब गोरखपुर में एक फर्टीलाइजर का कारखाना खोला गया तो ऐसा लगा कि इसमें इस क्षेत्र के 10-5 हजार अन-स्किल्ड लेबर हैं, उनको रोजगार मिलेगा। आस पास के जो क्षेत्रों के निवासी हैं उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन मान्यवर, हुआ ऐसा नहीं। हम तो एक विचित्र अनुभव करते हैं कि यदि कहीं कोई बड़ा कारखाना खुलता है तो उसके 8 मील के रेडियस में मजदूर महंगे हो जाते हैं। 8 मील के रेडियस में दूध नहीं मिलता, मिलने में मुश्किल होती है। कारखाना उस एरिया के शोषण करने वाले अस्त्र के रूप में दिखायी देने लगता है। तो मैं समझता हूं कि जहां कहीं भी इस तरह के कारखाने लगाये जाते हैं उनमें श्रमिकों की भर्ती के लिए शासन की कोई नीति होगी, इन बातों की तरफ शासन की दृष्टि होनी चाहिए। जहां तक हमारे अपने जिले का सवाल है, मान्यवर, 80 फीसदी किसान हमारे जिले के 2 एकड़ से कम जोत वाले हैं। और जहां तक मान्यवर, मेरी जानकारी है 100 में से 80 आदमी खेती पर आश्रित भी हैं।

हमारी गरीबी का अगर सही चित्र कोई देखना चाहे तो जाड़े के दिनों में आप किसी भी गांव के पोस्ट आफिस पर चले जायं। वहां किसी तरफ से कोई बुढ़िया लाठी लिए हुए चलती आएगी और पोस्ट आफिस पर पूछेगी कि बाबू कोई चिट्ठी आइलबा। चिट्ठी से उसका आशय उस मनीआर्डर से है जिसको उसके लड़के ने जो बम्बई में कारखाने में काम करता है, या कलकत्ता में काम करता है। उसको जब मनीआर्डर का पैसा मिलेगा तभी उसकी हांडी पर परई बजेगी। मान्यवर, जो लीनिंग पालिसी थी वह नीचे के जो वर्ग हैं उनके लिये लाभप्रद नहीं हो सकी। न तो कोई भी उनकी कोआपरेटिव है और न उनको कोई धन्धा देने की बात सोची गयी। ऋण नीति के चलते जो ऊपर के जो लोग हैं, जिनके पास ऋण लेने की कपेसिटी थी केवल उन्होंने ही उसका फायदा उठाया है। वही लोग निश्चित रूप से आगे गये हैं लेकिन जो नीचे का वर्ग हैं जिसमें 80 फीसदी जन संख्या आती है उसको हमारी ऋण नीति से कोई लाभ नहीं हुआ है।

मान्यवर, हमारे जिले में 14 शुगर फैक्टरीज हैं। उनमें से 1933, 1932, 1931, की कुछ हैं और कुछ मिलें तो 1903 की हैं। लेकिन उन मिलों की हालत क्या है? मान्यवर, एक जमाने में जिस मिल की 12 परसेंट चीनी की कैपेसिटी थी वह आज घटकर केवल 8 परसेंट ही रिकवरी चीनी की देती है! गन्ने की जो बेरायटी किसानों को सप्लाई की जाती है उस पर गन्ना विभाग ने ध्यान नहीं दिया। कोयम्बटूर जाति को जो वहां के स्वायल के लिए उपयुक्त नही हैं, कुछ ध्यान नहीं दिया है गन्ना विभाग ने कि कितना शुगर कान्टेंट होगा, कितनी उपज होगी। गन्ना विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राय साहब समय का ध्यान रखें।

श्री रामायण राय—

मान्यवर, मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूं । 5 मिनट दे दें। मैं आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है।

तो मिलों की यह हालत है कि कई बार सदन में मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात उठी तो कुछ मिल वालों ने अपनी मशीन और एसट्स बेच भी दिये । बड़ी बुरी दशा है इन मिलों की। इन मिलों के शीरे से जिससे सेंथेटिक रबर बन सकता था। 14 मिलें शुगर की देवरिया में हैं, इनके मोलेसिस से पेपर इन्डस्ट्री, हार्ड बोर्ड इन्डस्ट्री चलायी जा सकती है, लेकिन देवरिया में ऐसी कोई इन्डस्ट्री नहीं लगी। मान्यवर, हमारे जिले का कुछ इलाका ऐसा है जहां स्पाइसेज और कटहल ज्यादा पैदा होता है। फ्रूट और एग्रो विभागों की दृष्टि देवरिया जिले की ओर नहीं गयी है । वहां कटहल के एक-एक पेड़ से एक-एक हजार रुपया मिल सकता है लेकिन वह सब नष्ट हो जाता है । हमारे जिले में एक पोटेटो रिसर्च फार्म खुला है । उसकी उपज देखकर किसानों के मन में लालच हुआ और आलू काफी पैदा किया। लेकिन फसल के समय वह किसानों को एक रुपये का चार किलो बेचना पड़ा किन्तु इस समय उसी आलू का भाव 20 आने किलो है। हमारे जिले में एक कोल्ड स्टोरेज शासन की ओर से बना है। पता नहीं किन कारणों से 3-4 वर्षों से बनकर खड़ा है लकिन उसमें किसानों का एक मन आलू भी नहीं रखा जा सका। इसलिये कोल्ड स्टोरेज जहां उत्पादन बढ़ा है सरकार को खोलना चाहिये।

मान्यवर, इस साल हमारे वहां एक नई खेती से लाभ हुआ है और वह मक्के की फसल है। हमारे जिले के दो हिस्से हो गये हैं—लाइन के इस पार जहां गन्डक नदी है और उसी से एक नहर निकली है जिससे उस इलाके का चित्र बदलता जा रहा है। लेकिन ठीक उसके बगल में जहां दूसरा इलाका—सलेमपुर तहसील, सदर तहसील और नाग देवरिया दोनों में अब संतुलन बिगड़ता जा रहा है। दैवी विपत्तियों की चर्चा मैं क्या करूं कि आये दिन बाढ़ से करोड़ों रुपये की फसल बरबाद होती है। पिछले दिन जब बाढ़ पर बहस हो रही थी तो मैंने आग्रह किया था कि बाढ़ की समस्या की तरफ ध्यान दिया जाय। जब तेजी से बाढ़ आयी तो उत्तर प्रदेश और बिहार के इन्जीनियरों ने मिलकर एक संयुक्त गोष्ठी की थी लेकिन जो भी बांध इस साल टूटे हैं उनसे उस जिले का नुकसान होता है। अधिकांश बांध ऐसे हैं जो बिहार सरकार के बनवाये हैं । उनके अधिकारियों से मिलकर हमारे जनपद में बाढ़ से बचने की योजनायें चलाई जानी चाहिए।

अन्त में मान्यन्वर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हमारे जिले में सबसे निर्धन वर्ग हैं। इसलिये कोई सहकारी संस्थाये बनाकर उनका उद्धार करने का प्रयास किया जाय। उनको कुटीर उद्योग धन्धे दिये जायं जिससे कृषि के अतिरिक्त कुछ अर्जन कर सके इसके अलावा कोई फायदा नहीं है।

श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा (जिला बांदा)—

मान्यवर, उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा खण्ड बुन्देलखंड है और उसमें सबसे पिछड़ा हमारा बांदा जनपद है । मैं उसके सुरक्षित क्षेत्र से चुनकर आता हूं जो कि अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र है और वह मानिकपुर क्षेत्र है। बांदा की आबादी 12 लाख और क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि सरकार चाहे जितना पैसा दे दे किन्तु बांदा का विकास नहीं हो सकता है। इलाहाबाद से बांदा लगा हुआ है और क्षेत्रफल भी काफी है । मान्यवर, हमारे बांदा जनपद में केवल छ : परसेन्ट सिंचाई का साधन है । वह भी परसेन्टेज जो केन केनाल है उसकी वजह से है। कर्वी डिवीडन में केवल एक परसेन्ट सिंचाई है जहां से मैं चुनकर आया हूं। मैंने मुख्य मन्त्री जी से निवेदन किया था कि उस क्षेत्र में कुछ योजनायें हैं जिनको अगर लागू कर दें तो उस क्षेत्र का भला हो सकता है। एक योजना पैसुनी नहर योजना है। इसका प्रोजेक्ट बनकर भी दिल्ली सरकार को चला गया है। यह पांच करोड़ की योजना है। इसके साथ ही हमारे यहां बांदा जनपद में ऐसे किसान भाई हैं जो अपने ट्यूबवेल लगा सकते हैं

लेकिन उनके पास बोरिंग के साधन नहीं हैं । मैं निवेदन करूंगा कि बांदा जनपद में कम से कम दो रिग मशीनें भेज दें। बांदा जनपद बहुत बड़ा एरिया है। कर्वी डिवीजन थी जनता ने मांग की है और मैं भी यह मांग करता हूं कि हमारा कर्वी जिला अलग बना दिया जाय । अलग जिला बन जाने से हमें जो योजनायें मिलेंगी तो उससे वहां का विकास हो जायगा। मऊ, कर्वी दो तहसील हैं। राजापुर और मानिकपुर को तहसील बना दिया जाय तो चार तहसीलों का कर्वी जिला बन जायेगा। बुन्देलखंड में कर्वी ही बाकी है। इसको भी तत्काल जिला घोषित कर दें। जहां तक उद्योग धन्धों का प्रश्न है हमारे बांदा जिले में कोई रा मैटीरियल नहीं ह। लेकिन बुन्देलखंड विकास निगम ने अपनी रिपोर्ट दी है कि चित्रकूट में आयुर्वेदिक औषधियों का कारखाना चल सकता है।

हमारे यहां 15-20 करोड़ की ट्रान्सफारमर बनाने की स्कीम थी लेकिन वह वहां से झांसी चली गयी। हमारे यहां धान की खेती होती है और पयाल काफी पैदा होता है। भूसी भी पैदा होती है। इन दोनों को मिलाकर एक कार्ड बोर्ड का कारखाना लग सकता है। पाठा क्षेत्र में कोई सड़क नहीं है। बांदा में 52 किलोमीटर सड़क एलाट हुई है। 22 किलोमीटर की एक सड़क पाठा क्षेत्र में है वह बनवा दी जाय। वहां आने जाने की कोई सुविधा नहीं है। सिमरिया से मारकुंडी तक की सड़क बन जाय तो लोगों को आने-जाने की सुविधा हो जायगी। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में कोई महिला अस्पताल नहीं है, राजापुर का जिला परिषद् का अस्पताल सरकार ने ले लिया है। उस पर लिखा है कि राजकीय अस्पताल लेकिन बिल्डिग नहीं है। मेरा निवेदन है कि एक राजकीय महिला अस्पताल खोलने की कृपा करें। पाठा पेयजल योजना जो लगभग 3 करोड़ की है बन गयी है। लेकिन उससे पहाड़ के ऊपर के एक गांव को भी पानी नहीं पहुंचता। पहाड़ के नीचे के गांवों को जरूर पानी पहुंच जाता है। वहां पर गुप्ता जी असिस्टेंट इन्जीनियर थे अब वह एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर हो गये हैं और वहीं पर 8 साल से हैं। उनके ट्रान्सफर के विषय में कई बार लिखा लेकिन उनका ट्रान्सफर नहीं हुआ और उन्होंने हमारी योजना को चौपट कर दिया। इसी प्रकार करौदीकलां में भी एल0 एस0 जी0 ई0 डी0 की पानी पीने की योजना है, कुछ पम्प बगैरा भी पड़े हैं। उसको भी पूरी कराने का प्रबन्ध करें और हमारे जिले के लिये कुछ पैसा भी अलाट करें।

मेरे क्षेत्र में एक भी लड़कियों का विद्यालय नहीं है। अगर सरकार मानिकपुर जो एक जंकशन भी है, वहां पर एक कन्या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोल दें तो पाठा क्षेत्र की जनता को अपनी कन्याओं को शिक्षित करने में सुविधा हो जाएगी। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की समस्याओं पर बोलने का अवसर दिया।

श्री गौरी शंकर (जिला इटावा)--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अपने क्षेत्र की पिछड़ी हुई दशा के बारे में कुछ कहने का मौका दिया। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां से पहले एक सीधे-सादे विधायक थे जिन्होंने धीरज और शान्ति के साथ सिर्फ सुना लेकिन और आज वह धीरज का बांध टूट चुका है। हमारी क्षेत्र की जनता आज चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि इन 27 सालों में हमें क्या मिला जब कि हमने हमेशा कांग्रेस को बहुमत से जिताया। मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कौनसा ऐसा स्थान होगा जहां जमुना, चम्बल, कुआरी, आदि 5-5-नदियां आकर मिलती हैं, अथाह जलराशि जहां हो--मैं किसी विशेष स्थान की आलोचना नहीं करना चाहता जहां कि बांध बना है और आये दिन जल की और बिजली की समस्या रहती ह, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां 'पंचनन्दा', एक ऐसा स्थान ह जहां 5-5 नदियां आकर मिलती हैं और वहां पर किसी एक ऐसे स्थान पर बांध बनाया जाना चाहिए और वहां से कोई फीड कैनालन्स निकाली जानी चाहिए तथा बिजली के लिए भी इस पर कुछ प्रबन्ध किया जाना चाहिए ताकि वहां की जनता को राहत मिल सके। यह बहुत बड़ी हमारी उपलब्धता होगी यदि यह काम हम करवा सके। यह देन सिर्फ हमारे जिले के लिए

[श्री गौरी शंकर]

हीं नहीं बल्कि बुन्देलखंड के लिए भी और पूरे प्रदेश के लिए भी होगी। इसके लिए कोई योजना अवश्य बननी चाहिए। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब भी पश्चिमी जिलों की बात आती है तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ की बात की जाती है और पूर्वी जिलों की बात होती है तो गोरखपुर, देवरिया, बलिया का नाम लिया जाता है और बुन्देलखंड के नाम पर जालौन आदि का नाम लिया जाता है। लेकिन इटावा का नाम बीच में लटका हुआ है। हमारे अजीतमल क्षेत्र की दशा तो बहुत खराब है। 5 नदियों के अलावा छठी नदी सेंगर टेढ़ी-मेढ़ी चलती है और उससे जो उपजाऊ जमीन है उसने उस जमीन को काटकर बीहड़ बना दिया है। 5 नदियों और छठी नदी को लेकर एक बड़ी योजना बनाई जानी चाहिये जिससे उस क्षेत्र की जनता का विकास हो सके तथा स्टेट ट्यूबवेल लगाये जाने चाहिये।

हमारे यहां मटर बहुत पैदा होती है। दुख की बात यह है कि वही मटर वहां से खरीद ली जाती है कलकत्ता, प्रोसेसिंग के लिये भेज दी जाती है। बाद में वही मटर हम दुगुने और तिगुने दाम पर खरीदते हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे यहां मटर के लिए कोई प्रोसेसिंग सेन्टर कायम किया जाय। इसी तरह से हमारे यहां लाहा (काली सरसों) बहुत पैदा होती है। उसके लिये कोई तेल उद्योग हमारे यहां स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो जमीन बीहड़ पड़ी हुई है वहां पर अफोरैस्टेशन किया जाय यदि वह जंगलात विभाग की है और यदि वह जंगलात की नहीं है तो गरीब लोगों में वह जमीन बांट दी जाय। जमुना, चम्बल, कुआरी, जो नदियां हैं वहां का जो इलाका है वहां पर दुग्ध योजना इन्टीरियर क्षेत्र में चलाई जानी चाहिये। इसी तरह से जो पुआल है उसका कार्ड-बोर्ड टाइप योजना जैसी कोई चीज बनाई जा सकती है जो पैकिंग के काम आती है। अगर यह योजना बनाई जाती है तो बहुत बड़ी कृपा हमारे क्षेत्र पर होगी। हमारें क्षेत्र में एक स्थान मनसुखपुर टकपुरा है। श्रीमती इन्दिरा गांधी वहां आई थी और दो तीन लाख एकत्रित उस क्षेत्र की जनता को आशा हो गई थी कि उसे कुछ मिलेगा लेकिन आज तक वहां कुछ नहीं किया गया। इसी प्रकार फफूंद रेलवे स्टेशन के पास काफी बंजर ऊसर जमीन पड़ी हुई है और जमीन की वहां कोई समस्या नहीं है लिहाजा कोई कल कारखाना फफूंद रेलवें स्टेशन के पास लगाया जा सकता है। जोकि कानपुर से निकट है। इसके अलावा कई नदियों का रेत है। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं न साइंटिस्ट हूं सर्वे करा कर यदि उसका इस्तेमाल कांच आदि की फैक्टरी लगा कर किया जाय तो ठीक रहेगा। इसी तरह के अजीतमल और फूलपुर प्रोजेक्ट की स्थापना की बात अलबर्ट मेअर ने पं0 नेहरू के जमाने में की थी और योजना यह थी कि हर गांव को बिजली मिलेगी, हर गांव को सड़क से लिंक अप किया जायगा, हर गांव में विद्यालय खुलेंगे लेकिन प्रोजेक्ट के नाम पर केवल इमारत ही खड़ी हो सकी है और अलबर्ट मेअर का वह प्लान और पं0 नेहरू का स्वप्न अधुरा रह गया। अच्छा हो इस प्रोजेक्ट के बारे में आज की स्थिति में कुछ सोचा जाय तो अच्छा होगा।

इटावा जिले का मिलिटरी सेवा में भी बड़ा योगदान है। चम्बल घाटी के क्षेत्र के नौजवानों का इसमें जितना योगदान है मैं दावें के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसी अन्य जनपद का उतना योगदान नहीं है। माननीय मुख्य मन्त्री जी चाहें तो इस सम्बन्ध में आंकड़े उठा कर देख लें। मेरा इतना ही निवेदन है कि इस जिले के इन्टीरियर क्षेत्र को लिंक अप किया जाय तभी इसके पिछड़ापन दूर हो सकता है। एक तो अटस से लेकर अच्छलदा रेलवे स्टेशन को लिंक अप किया जाय तो 15 किलीमीटर का टुकड़ा है। दूसरे अटस से अहेरीपुर होते हुए भर्थना रेलवे स्टेशन को लिंक अप कर दिया जाय। तीसरे जुआ के पुल को भीखेपुर पर नेशनल हाई को काटते हुए जूहीखा जमुना घाट और उससे आगे जगमनपुर को लिंक अप कर दिया जाय। चौथे जूहीखा जमुना घाट पर कालपी वाले पेन्टुन ब्रिज को दे दिया जाय क्योंकि कालपी पर पक्का पुल लगभग तैयार है। अगर यह सब आपने इस क्षेत्र में करने की कृपा की तो इटावा जिले का पिछड़ापन दूर हो सकेगा।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी (जिला प्रतापगढ़) --

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलन का अवसर दिया। मैं उत्तर प्रदेश के उस क्षेत्र से आता हूं, जैसा भाई प्रेमदत्त जी ने कहा वह न पूर्व में लिया जाता है और न पश्चिम में लिया जाता है। एक तरफ हमार मुख्य मन्त्री जी हैं इलाहाबाद के। दूसरी तरफ हमारी प्रधान मन्त्री हैं। इन दोनों के बीच का जिला है और जिस प्रकार चिराग तले अन्धेरा हुआ करता है उसी तरह के उस जिले में पिछड़ापन है। उस जिले में बांस, बबूल, आंवला, अमरूद तथा आम की फसलें होती हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

5-5 फलों की फसलें होने पर भी बैकवर्ड है।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

लेकिन उन फसलों का कोई उपयोग नहीं होता। कोई इन्डस्ट्री वहां इन फसलों पर आधारित नहीं है? इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक सड़क डेरवा से कुन्डा तक जाती है जो काफी दिनों से सरकार के विचाराधीन है लेकिन उसे आज तक पी० डब्ल्यू० डी० ने नहीं लिया। सरकारी बसें उस पर चलती हैं और भी बीसियों बसें चलती हैं और साल भर मे नयी बसेज खराब हो जाती हैं। इन सड़कों को आप बनाने की कृपा करें। मान्यवर, जिस क्षेत्र से मैं आता हूं सौभाग्य से उसी क्षेत्र से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने किसानों का आन्दोलन प्रारम्भ किया था। मान्यवर, रूरे एक ग्राम है वहां पर कई नेताओं ने कहा कि यहां पर एक प्रतिमा बनेगी जो कि एक उदाहरण रहेगा। एक योजना बनी थी कि एक ब्लाक में एक गांव को चुनकर एक आदर्श ग्राम बनेगा, उसको लागू किया जाना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सिंचाई के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। टेल पर पानी नहीं जाता है। इस सम्बन्ध में हम माननीय मुख्य मन्त्री जी से मिले थे और हमने यह निवेदन किया था कि वहां एक ट्यूबवेल देने की कृपा करें लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ।

जहां तक सम्पूर्ण जिले की बात है हमारे यहां एक घुइशरनाथ में एक पुल बन रहा है। उस पुल को बनाने के लिये अविलम्ब 3-4 लाख रुपया शासन दे तो वह साल डेढ़ साल में पूरा हो जायेगा और दूसरा पुल उसके बनने से हमारे जिले के कालाकांकर पर पान्टून ब्रिज बनने से फतेहपुर, बांदा, इलाहाबाद आदि जगहों से सम्पर्क हो जायेगा। एक रोड कोहडौर से दाउदपुर वाया पट्टी हमारे यहां है जहां पर कि बरसात में 4-5 महीने तक लोग पैदल भी नहीं आ जा सकते हैं। उस रोड में कंकड़ तो पड़े हुये हैं लेकिन डामर न होने से बसेज उसमें नहीं चल सकती हैं। तीसरी चीज मुझे यह निवेदन करना है कि दाउदपुर से लगभग दो मील पर एक खास बाजार है। उसका नाम रामगंज बाजार है जो कि जिले की सबसे बड़ी मन्डी है उसके लिये लिंक रोड बनी है डामर होनी चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया।

श्री राम लखन (जिला बस्ती)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने प्रदेश के ऐसे पिछड़े इलाकों के लिए बहस का समय दिया है। ऐसे प्रस्ताव को लाकर उस पर अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहने का अवसर जो हमें मिला है उससे क्षेत्र के लोगों को राहत होगी और खासकर पूर्वी जिले के लोग तो आशीर्वाद देंगे ही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बस्ती जिला चारा तरफ से छोटी बड़ी नदियों से घिरा हुआ है। वहां पर सबसे बड़ी प्रोब्लम बाढ़

[श्री रामलखन]

की है। मैं मान नीय मुख्य मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में सेन्टर को प्रभावित करें और जो राप्ती और घाघरा में बांध बनाने की योजना चल रही है उसे शीघ्र क्रियान्वित करें। इससे वहां की बाढ़ की समस्या दूर हो जायेगी। इस स्कीम को कार्यान्वित करने के लिये यदि हम लोग भी आपके साथ चलकर दिल्ली सरकार से मिलें और इस स्कीम को चला दें तो बड़ी राहत वहां की जनता को मिल जायेगी। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का 2/3 हिस्सा आपको आशीर्वाद देगा, आपका नाम रहेगा और सरकार का नाम भी अमर रहेगा। जब तक यह बांध नहीं ब नता है तब तक इस बाढ़ से बचने के लिये जहां नदियों का कटान ज्यादा होता है, जैसे बस्ती, गोरखपुर, उन किनारे के इलाकों में जब रात को लोग सोते हैं तो उन्हें यह विश्वास नहीं होता है कि वे सुबह सुरक्षित भी रहेंगे या नहीं। इस साल जो फसल वहां बोयी गई है वह तीन-तीन बार बोयी गई क्यों कि वहां पर आये दिन बाढ़ आती है और घाघरा की बाढ़ ऐसी है जिससे लोग त्राहि–त्राहि करने लगते हैं। मान्यवर, आप गरीबों के लिये बाढ़ के समय में धन देते हैं लेकिन वह कितने दिन मिलता है–दो चार दिन मिल गया या 10, 5 किलो अनाज मिल गया उससे कब तक पूरा होगा ? बाढ़ में जो हिस्से डूब जाते हैं उनमें देर से पानी सूखता है जिससे उन हिस्सों में रबी की फसलें नहीं बोई जाती हैं और फिर जब पानी सूख जाता है तो वहां पर सिंचाई के साधन न होने के कारण पानी नहीं मिल पाता है। वहां पर ट्यूबवेल नहीं लग पाते हैं और न ही अन्य सिंचाई का साधन है। इसलिये फसल नहीं हो पाती है। वहां पर सिंचाई के लिये लिफ्ट सिंचाई योजना या ऐसे ट्यूबवेल बनाये जो बरसात में बंद कर दिये जायं और फिर बाद में चालू हो जायं। ऐसा करने से वहां के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण होगा और आपका नाम उजागर होगा।

मान्यवर, वहां पर छोटे-मोटे उद्योग धन्धे स्थापित किये जायं। मैं नहीं कहता कि बड़े उद्योग खोल दें लेकिन जो वहां मूंज या घास होती है उस पर आधारित उद्योग खोल।

अगर हमारे यहां बाढ़ रोकने का कोई इन्तजाम हो जाय तो वहां पर गल्ला पैदा होगा इसी तरह से गन्ना इतना पैदा होगा कि प्रदेश को काफी फायदा होगा लेकिन लोग मजबूर हैं और वह हताश हो जाते हैं। एक दफा चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि तुम्हारे पूर्व के लोग निकम्मे हैं और वह मेहनत नहीं करते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीं है वहां पर साधन दें तो लोग मेहनत करने को तैयार हैं अगर चौधरी साहब वहां चार बार इलेक्शन लड़ेंगे और हार जायें तो वही हत उत्साह हो जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष––

आपके बोलने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाता है।

श्री राम लखन––

श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां के विकास के लिये आप सिंचाई के साधन दे दें और बाढ़ से बचाने का उपाय कर दें तो वहां के लोग आपके आभारी होंगे। इसी तरह से छोटे-मोटे उद्योगों की जो स्कीमें बनी हैं वह इन पिछड़े जिलों के लिए काफी फायदे मन्द होंगी। जैसा कि रामायण राय जी ने कहा कि पूर्वी जिलों के मजदूर जो हैं आपको देश के हर भाग में मिलेंगे। अगर छोटे-मोटे उद्योग हो जायेंगे तो वहां के लोगों को रोजगार मिल जायेगा।

मान्यवर, एक और निवेदन करना चाहूंगा कई बार मैंने देखा है जब कि मैं विधान सभा का सदस्य नहीं था तो वहां पर गांवों में पटाई का काम कर दिया जाता था तो उससे जो बाढ़ में जानवर बह जाते थे उससे वह बच जाते थे और जो तमाम बीमारियां बाढ़ से फैल जाती हैं वह

कम हो जाती थी उससे लोगों को राहत मिलती थी पटाई से थोड़े बहुत खेत बरबाद हो जाते थे लेकिन जन-धन की हानि नहीं होती थी। उससे बचत हो जाती थी। बाढ़ से मकान गिर जाते हैं उससे उसकी बचत हो जाती है इसलिये पटाई का काम अवश्य कर दें।

मान्यवर, सड़कों की मैं क्या बताऊं ? एक सड़क जो हुकूमत बर्तानियां के समय में बनी थी वही है। थोड़ी बहुत पिछली बार काम हुआ था। इसमें मैं ज्यादा क्या कहूं लकिन इस ओर अवश्य ध्यान दिया जाय प्रदेश के ओर क्षेत्रों के साथ वहां भी सड़कों का विकास किया गया तो वहां की जनता आपको धन्यवाद देगी। अगर वहां सड़क बन जायं तो जो छोटा मोटा सामान या फसल अपने खाने से ज्यादा जो लोग पैदा करते हैं वह शहरों तक आसानी से पहुंच सकेगी। जैसा कि रामायण राय जी ने कहा आज वहां लोगों को मीलों तक पैदल जाना पड़ता है। हमारे जिले में कोल्ड स्टोरेज का कोई इन्तजाम नहीं है। जो आलू वहां पैदा होता है वह चार किलो के हिसाब से बिक जाता है। अगर कोल्ड स्टोरेज न भी हो सके तो सड़कों का इंतजाम तो अवश्य कर दें इससे लोग रिक्शा चला कर भी कुछ पैसा कमा लेंगे और दूसरी हर प्रकार की सुविधायें उनको मिल जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष—

आप समाप्त करें।

श्री रामलखन—

इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि आप हमारे पूर्वी जिलों का विशेष ध्यान रखें धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस विषय पर कल भी चर्चा जारी रहेगी।

अब हम उठते हैं और कल 10 बजे फिर मिलेंगे।

(इसक बाद सदन 5 बजकर 4 मिनट पर अगले दिन के 10 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
8 अगस्त, 1975।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 226 वि0 सभा (678)—1975—840।